खण्ड-122, अंक-2
बुधवार, 4 चैत्र, शक संवत् 1875
(25 मार्च, 1953 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 122 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २५ मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बज दिन में अध्यक्ष, श्री आत्म.राम गो.विन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ ुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६०)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द्र, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दशन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री

देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री

बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूराम कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाजन, श्री सी० बी०
महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री

रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी, श्रीमती
ब्रजबासीलाल, श्री
ब्रजबिहारी मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवबचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री

सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हर खयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रस्ताव

*१—श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५३-५४ के वित्तीय वर्ष के बजट की नयी मांगों में पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों के २५ प्रतिशत पदों को स्थायी किये जाने का प्रस्ताव रखा गया था ?

*२—यदि हां, तो उन्हें नयी मांगों में सम्मिलित न किये जाने का क्या कारण था, और क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के हित में उक्त पदों को इसी बजट में स्थायी घोषित करने के प्रश्न पर पुनर्विचार करेगी ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम) —शासन का यह मत है कि इन प्रश्नों का जन हित में उत्तर देना उचित न होगा।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या मंत्री महोदय कृपापूर्वक बताने का कष्ट करेंगे कि कितने कर्मचारियों को स्थायी रूप देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन निकट भविष्य में है और यदि है तो कब तक ?

श्री मोहन लाल गौतम—शासन के सभी अस्थायी कर्मचारियों का प्रश्न सरकार के सामने उपस्थित है और उसमें यह फैसला कब तक होगा इसका जवाब ठीक-ठीक नहीं दिया जा सकता।

तारांकित प्रश्न

ग्राम पंचायतों का चुनाव

*१—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पंचायतों के जो चुनाव फरवरी सन् १९५२ में होना चाहिये थे वह क्यों स्थगित किये गये थे ?

श्री मोहनलाल गौतम—पंचायत निर्वाचन फरवरी सन् १९५२ में इसलिये नहीं हो सके कि पंचायत राज अधिनियम में अनेकों संशोधनों की आवश्यकता पर शासन विचार कर रहा था और बिना संशोधन किये चुनाव कराना उचित न था।

*२—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या यह सत्य है कि वह एक वर्ष के लिए स्थगित किये गये थे? यदि हां, तो फिर अभी तक उनके न कराने का क्या कारण है और अब कब कराये जावेंगे?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, निर्वाचन फरवरी सन् ५३ में भी नहीं हो सके क्योंकि संशोधक विधेयक पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो सका था। यथासम्भव शीघ्र ही विधेयक विधान मंडल में प्रस्तुत किया जावेगा और उसके स्वीकार होने के पश्चात् चुनाव कराये जावेंगे।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त विधयक विधान सभा में कब तक पेश हो जावेगा और चुनाव कब तक हो जावेंगे?

श्री मोहनलाल गौतम—विधेयक बहुत जल्द विधान सभा में उपस्थित हो जावेगा और चुनाव कब होंगे यह उसी समय बताया जा सकेगा जब कि विधेयक पेश हो जाय और स्वीकार हो जाय और उसके बाद चुनाव का टाइम टेबिल बने।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उनका बहुत जल्दी से क्या मतलब है क्या इसी सेशन में यह बिल आयेगा या बाद में पेश होगा?

श्री मोहनलाल गौतम—बहुत जल्दी से मतलब यह है कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उसमें कोई देर न हो। यह विधान सभा का सेशन तो दो अप्रैल तक है और इसमें वह आसकेगा इसमें मुझे संदेह है।

*३—श्री लक्ष्मण राव कदम—[१६ मार्च, १९५३ ई० को इस प्रश्न का उत्तर संख्या ५५ के अन्तर्गत दिया गया]।

प्रान्त के कुष्ट रोग के मरीजों के इलाज का प्रबन्ध

*४—श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त के कुष्ट रोग के मरीजों के इलाज के लिये प्रान्त में कहां कहां पर विशेष प्रबन्ध किया गया है?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—प्रान्त के कुष्ट रोग के मरीजों के इलाज के लिये निम्नलिखित चिकित्सालय हैं—

(१)—कुष्ट चिकित्सालय, नैनी, इलाहाबाद।
(२)—कुष्ट चिकित्सालय, अल्मोड़ा।
(३)—कुष्ट चिकित्सालय, चन्दोग, अल्मोड़ा।
(४)—कुष्ट चिकित्सालय, जमूरतगंज, फैजाबाद।
(५)—कुष्ट चिकित्सालय, देहरादून।
(६)—कुष्ट चिकित्सालय, रुड़की, सहारनपुर।
(७)—कुष्ट चिकित्सालय, कानपुर।
(८)—कुष्ट चिकित्सालय, मुरादाबाद।
(९)—कुष्ट चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
(१०)—कुष्ट चिकित्सालय, खीरी।

(११) कुष्ट चिकित्सालय, बहराइच।
(१२) कुष्ट चिकित्सालय, श्रीनगर, गढ़वाल।
(१३) कुष्ट चिकित्सालय, आगरा।
(१४) कुष्ट चिकित्सालय, लखनऊ।
(१५) कुष्ट चिकित्सालय, गोरखपुर।
(१६) कष्ट चिकित्सालय, बनारस।

उपरोक्त चिकित्सालयों के अतिरिक्त बनारस, कानपुर, तथा देवरिया में अस्पतालों में भी कुष्ट रोग के मरीजों के इलाज के लिये क्लीनिक्स (Clinics) हैं। मुनी की रेती (जिला टेहरी-गढ़वाल) में भी ऐसी क्लीनिक (Clinic) गांधी स्मारक निधि द्वारा खोली गई है।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार अनिवार्य रूप से राज्य में प्रान्त के कुष्टियों का इलाज कराने की योजना पर विचार करेगी?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जितने कुष्टियों के अस्पताल बताये हैं उनमें से कितने कुष्टि उसमें रहते हैं।

श्री बनारसी दास—यह जो १६ चिकित्सालय हैं उनमें कुल मिलाकर १,२८८ रोगियों के रहने का प्रबन्ध है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इन अस्पतालों में जो कुष्टि भिखारी हैं वे भी भरती किये जाते हैं?

श्री बनारसी दास—जी हां। इसके लिये किसी प्रकार की कोई तमीज नहीं होती कि वह भिखारी है या नहीं। जो भी कुष्ट रोग से पीड़ित होते हैं वह उसमें दाखिल किये जाते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बतलायेगी कि जो लिस्ट उसने अस्पतालों की दी है उसमें कितने सरकारी हैं और कितने गैर सरकारी?

श्री बनारसी दास—इसमें जितने क्लिनिक्स हैं उनको छोड़कर बाकी सभी गैर-सरकारी हैं और सरकार उनको प्रतिवर्ष अनुदान देती है।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या सरकार बतलायेगी कि जितने बिगड़े हुए कुष्टि हैं उनको कम्पलसरीली इन अस्पतालों में भरती करने की योजना सरकार बनायेगी?

श्री बनारसी दास—इसका उत्तर तो दिया जा चुका है कि अभी यह प्रश्न सरकार क विचाराधीन नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में कुष्ट रोग से कितने लोग पीड़ित हैं?

श्री बनारसी दास—इसकी संख्या तो बतलाना कठिन है कि प्रान्त के अन्दर कितने कुष्ट के रोगी हैं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या यह बतलाना संभव हो सकेगा कि प्रदेश के किस भाग में अधिक लोग कोढ़ के रोगी हैं?

श्री बनारसी दास—यह तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि इस रोग के लोगों का इलाज ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। अभी गोरखपुर में ऐंटी लेप्रोशियेट यूनिट कायम किया गया है जिसका काम यह है कि वह गोरखपुर, देवरिया, बहराइच और गोंडा इन चारों जिलों में कुष्ट रोग से पीड़ित रोगियों का इलाज करें और इस प्रकार के और भी यूनिट अधिक से अधिक संख्या में कायम करने का सरकार का इरादा है जिससे पता चल सकेगा कि प्रान्त में कितने कुष्ट रोग के रोगी हैं और क्या व्यवस्था उनके इलाज की की जा सकती है।

*५—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—[८ अप्रैल, १९५३ के लिए स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले में नवीन औषधालयों की आवश्यकता

*६—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जौनपुर जिले के अन्तर्गत सन् १९५२ व १९५३ ई० में कितने औषधालय खुले ?

श्री बनारसी दास—जौनपुर जिले में १९५२ व १९५३ में कोई आयुर्वेदिक या यूनानी औषधालय नहीं खोला गया। केवल जलालपुर में मई १९५२ में एक ऐलोपैथिक चिकित्सालय स्थापित हुआ है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जलालपुर के अस्पताल की इमारत सरकारी है या किराये पर ली गई है ?

श्री बनारसी दास—अभी तक सरकारी नहीं है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर की किसी दूसरी तहसील में भी दवाखानों के खोलने पर कोई विचार किया गया है ?

श्री बनारसी दास—जौनपुर के अन्य ४ एलोपैथिक औषधालय हैं, १० आयुर्वेदिक औषधालय हैं। अगले वर्ष तमाम प्रान्त की आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद यह निश्चय किया जायगा कि आया जौनपुर में और अस्पतालों के खोलने की आवश्यकता है या नहीं।

*७—श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया)—[२२ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*८-९—श्री पुत्तू लाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ १०२-१०३ पर।]

*१०-११—श्री रामनरेश शुक्ल—[३१ मार्च, १९५३ के लिये संख्या १४-१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये]

जौनपुर जिले में सुजानगंज औषधालय के लिए डाक्टर की आवश्यकता

*१२—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के सुजानगंज अस्पताल में डाक्टर कब से नहीं है और वहां डाक्टर कब भेजा जायेगा ?

श्री बनारसी दास—२७-९-१९५२ से वहां डाक्टर नहीं है। जल्द से जल्द भेजने की कोशिश की जा रही है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां से डाक्टर किन कारणों से और किन परिस्थितियों में हटाये गये ?

श्री बनारसी दास---एक तो वहां सबसे बड़ा कारण यह है कि जो स्थान है वहां का जलवायु ठीक नहीं है और वहां पर डाक्टर के रहने के लिये भी कोई स्थान नहीं है। इसीलिये डाक्टर वहां जाने में आनाकानी करते हैं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उस किराये के मकान में ही डाक्टर के रहने के लिये अच्छी व्यवस्था कर दी गयी थी ?

श्री बनारसी दास---अभी मैंने उत्तर में कहा कि वहां पर डाक्टर के रहने के लिये कोई व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं है ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब से वहां पर डाक्टर नहीं है तब से वहां रोगियों की संख्या बढ़ी है ?

श्री बनारसी दास---यह तो उसमें बतलाया गया है कि २७-९-५२ तक है इसलिए वह जो आंकड़े हैं वह तो तमाम साल के हैं। यह तो जाहिर है कि सन् १९५२ में संख्या अवश्य बढ़ी है, सन् ५१ के मुकाबले में।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या सरकार यह बतलायेगी कि अगर स्थानीय लोग चन्दा एकत्रित करके आधी रक़म देने के लिये तैयार हो जायं तो क्या सरकार वहां पर अस्पताल भवन बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री बनारसी दास---सरकार अवश्य उस प्रस्ताव पर विचार करेगी।

*१३---**श्री नागेश्वर द्विवेदी**---क्या सरकार को पता है कि सुजानगंज का अस्पताल एक किराये के मकान में है ?

श्री बनारसी दास---जी हां।

*१४---**श्री नागेश्वर द्विवेदी**---क्या सरकार बतायेगी कि इस अस्पताल में रोगियों की वार्षिक संख्या पिछले तीन वर्षों में क्या थी ?

श्री बनारसी दास---१९५० में ९,३९४; १९५१ में ९८२१; और १९५२ में १०२०६

*१५---**श्री शुकदेव प्रसाद** (जिला गोरखपुर)---[१० अप्रैल, १९५३ के लिये संख्या ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अल्मोड़ा जिले में पिथौरागढ़ अस्पताल का प्रबन्ध

*१६---**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)---क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि पिथौरागढ़, जिला अल्मोड़ा में जनता के प्रयत्न से अस्पताल तथा ऐक्सरे मशीन का प्रबंध हो चुका है ? यदि हां, तो क्या वहां सरकार ने किसी डाक्टर की नियुक्ति कर दी है ?

श्री बनारसी दास---जी हां।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डाक्टर की नियुक्ति कब हुई थी और कब वहां पर भेजा गया ?

श्री बनारसी दास---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

"पटरी दूकानदार संघ" बलिया की म्युनिसिपल्टी के खिलाफ़ शिकायत

*१७---**श्री झारखण्डे राय** (ज़िला आज़मगढ़)---क्या स्वशासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि "पटरी दुकानदार संघ" बलिया की ओर से प्रस्ताव अपनी तकलीफ़ों की बाबत उनके पास भेजा गया है? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री मोहनलाल गौतम---ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

श्री झारखण्डे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पटरियों के दुकानदारों को वहां की म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ शिकायत है कि उनकी दूकान पटरियों से हटाई जा रही हैं?

श्री मोहनलाल गौतम---इस प्रकार की कोई शिकायत या सुझाव नहीं प्राप्त हुआ तो इस वक्त यह कहना कि उनकी क्या क्या शिकायतें हैं मुश्किल है।

१९४९ की यू० पी० आरफ़ेनेज ऐण्ड विडोज़ कमेटी की रिपोर्ट

*१८---**डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी** (ज़िला कानपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४९ ई० में U. P. Orphanages and Widows Home Committee स्थापित की गयी थी उसकी रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुई और उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या इसी कमेटी के सिपुर्द भिखारियों का मसला तय किया गया था?

श्री मोहनलाल गौतम---यह कमेटी सन् १९४८ में स्थापित की गयी थी और उसकी रिपोर्ट सन् १९४९ ई० के अन्त में प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट की कुछ सिफ़ारिशें सरकार ने स्वीकार की थीं, पर आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे कार्यान्वित नहीं हो पाईं। इस समय एक State Adhoc Board बनाने एवं उस संबंध में कुछ कर्मचारी नियुक्त करने के लिये १९५३-५४ के बजट में प्रबंध किया जा रहा है। इस संबंध में एक Bill भी बनाया जा रहा है।
जी हां, किन्तु इस पर रिपोर्ट सन् १९५१ ई० में प्राप्त हुई थी।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन सिफारिशों में ज्यादा रुपये का खर्चा नहीं था क्या उनमें से कुछ सिफारिशें मंजूर की गयी थीं और क्या वे कार्यान्वित की गई हैं?

श्री मोहनलाल गौतम---इस वक्त एक स्टेट एडहाक बोर्ड बनाने का प्रस्ताव सरकार के सामने है और १९५३-५४ के बजट में उसके लिये इन्तजाम किया गया है। स्टेट एडहाक बोर्ड, उन तमाम बातों पर किस तरह से अमल किया जाय जिन पर खर्चा नहीं है, विचार करेगा और उनको कार्यान्वित करने की कोशिश करेगा।

श्री नेकराम शर्मा (ज़िला अलीगढ़)---जो सिफारिशें मंजूर की गयी थीं वह क्या-क्या सिफारिशें थीं?

श्री मोहनलाल गौतम---उसमें एक सेन्ट्रल विडो होम बनाने की बात थी, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण वह काम नहीं हो सका। जहां तक सुपरवीज़न की बात है एड-हाक बोर्ड उसको करेगा।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---क्या मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि यह बिल कब तक यहां आ जायगा और अभी कितना समय इसमें लगेगा?

श्री मोहनलाल गौतम—इस समय मेरे लिये समय निश्चित करना मुश्किल है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि वह यहां के भिखारियों के लिये कोई इंडस्ट्रियल होम बनाने की योजना पर विचार कर रहे हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—जो हिस्सा भिखारियों से संबंधित इस रिपोर्ट का है उस पर विचार हो रहा है और अभी उसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस रिपोर्ट में कोई ऐसी भी जानकारी करायी गयी है कि इस प्रदेश में कितने भिखारी और विधवायें हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—यह तो रिपोर्ट पढ़ने से मालूम हो सकता है।

*१९—डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—क्या यह सत्य है कि इन्हीं मसलों पर विचार करने के लिये फिर किसी कमेटी का निर्माण किया जा रहा है? उस कमेटी के सदस्य तथा चेयरमैन कौन हैं और उनके points of reference क्या हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

टांडा म्युनिसिपल बोर्ड को सड़कों के लिए सरकारी सहायता

*२०—श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५०-५१ ई० में टांडा म्युनिसिपल बोर्ड को सड़क बनाने के लिये कितना रुपया दिया गया था? उस रुपये से कितनी लम्बी और कितनी चौड़ी सड़क बनवायी गयी?

श्री मोहनलाल गौतम—सन् १९५०-५१ ई० में कुछ नहीं दिया जा सका।

श्री रामदास रविदास—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इसके पहले भी कुछ रुपया म्युनिसिपिल बोर्ड टांडा को दिया गया था?

श्री मोहनलाल गौतम—१९४९-५० में २०,००० रुपया दिया गया था।

श्री रामदास रविदास—क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि उस रुपये से कितनी लम्बी चौड़ी सड़क बनायी गयी?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये सूचना चाहिये।

*२१—श्री लक्ष्मणराव कदम—[१ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

बलिया जिले की सिकन्दरपुर-खेती सड़क की मरम्मत की आवश्यकता

*२२—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बलिया जिले की सिकन्दरपुर-खेती सड़क को जिस पर पांच टाउन एरियायें स्थित हैं, सरकार पी० डब्ल्यू० डी० में लेने का विचार कर रही है?

श्री मोहनलाल गौतम—ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री बैजनाथप्रसाद सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि इस सड़क की दशा अत्यन्त शोचनीय है?

श्री मोहनलाल गौतम—हो सकता है।

श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह---क्या सरकार कृपा करके इस सड़क की मरम्मत के लिये कुछ स्पेशल ग्राण्ट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बलिया को देने पर विचार करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम---डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बलिया यदि इस प्रकार का कोई सुझाव सामने रखेगा तो उस पर विचार किया जायगा।

*२३---श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह---[१ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

सिकन्दरपुर--बलिया सड़क को पक्की बनाने की आवश्यकता

*२४---श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दरपुर-बलिया सड़क को, जो फर्स्ट फ़ेज़ की पक्की सड़कों में है पी० डब्ल्यू० डी० के सुपुर्द कब किया जावेगा और उस पर कब काम शुरू होगा ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह प्रश्न अभी सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग में विचाराधीन है।

म्युनिसिपल बोर्ड कोंच के नव-निर्वाचित चेयरमैन पर आरोप

*२५---श्री चित्तर सिंह निरञ्जन (ज़िला जालौन)---क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि म्युनिसिपल बोर्ड, कोंच के नव-निर्वाचित चेयरमैन पर वे आरोप जिनके कारण वे १९४७ में हस्ब दफ़ा ४० (३) म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट के अन्तर्गत सदस्यता से पृथक कर दिये गये थे अब भी कायम हैं ? यदि हां, तो सरकार उन पर क्या विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी नहीं।

*२६---श्री चित्तर सिंह निरञ्जन---क्या सरकार को यह विदित है कि उक्त चेयरमैन और म्युनिसिपल बोर्ड, कोंच के दरम्यान कई मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं ? यदि हां, तो ये मुक़दमात कितने और किस क़िस्म के हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---चेयरमैन और बोर्ड के दरम्यान दो मुक़दमे चल रहे हैं। पहला इस प्रकार है कि बोर्ड ने श्री महन्त चतुर्भुज दास को, जो अब चेयरमैन हैं, एक मकान बनाने की स्वीकृति दी थी। एक साल बाद बोर्ड ने उक्त स्वीकृति वापस ले ली और उनको मकान गिराने की नोटिस दी। इस पर मुक़दमा चल गया। दूसरा मुक़दमा बोर्ड ने महन्त जी के विरुद्ध चलाया। उसका फैसला कुछ तो उनके पक्ष में हुआ कुछ विपक्ष में। महन्त जी ने इसकी अपील कर रक्खी है।

*२७-२९---श्री देवमूर्ति राम (ज़िला बनारस)---[१ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*३०-३१---श्री देवकीनन्दन विभव---[८ अप्रैल, १९५३ क लिये स्थगित किये गये।]

*३२---श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ-१०४ पर।]

*३३---श्री हमीद ख़ां (जिला कानपुर)---[८ अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

* * * * *

आगरा इम्प्रूमेंट ट्रस्ट की स्थापना तथा उस पर व्यय

*८---श्री पुत्तूलाल (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई और उस पर प्रतिवर्ष क्या व्यय किया गया है ?

नोट---तारांकित प्रश्न ८ श्री हरदयाल सिंह पिपल ने पूछा।

श्री मोहनलाल गौतम—आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना २२ मार्च, १९४९ को हुई थी। उस पर प्रतिवर्ष निम्नांकित व्यय किया गया—

सन्		रु०
१९४९–५०	..	७४,०५७
१९५०–५१	..	१,७१,५४८
१९५१–५२	..	१,६०,१९०
१९५२–५३	..	१,७८,९०७
(२८–२–५३ तक)	कुल ...	५,८४,७०२

*९—**श्री पुत्तूलाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा किन-किन चीजों का निर्माण किया जा चुका है ?

श्री मोहनलाल गौतम—आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा अपने कार्य-काल में निम्नलिखित कार्य किये गये हैं—

(१) नगर को अव्यवस्थित विकास से बचाने तथा आधुनिक वैज्ञानिक ढंग पर विकसित करने के उद्देश्य से मास्टर प्लान के निर्माण के हेतु नगर का अंकद्योतक तथा सामाजिक व आर्थिक परिमांप (statistical and socio Economic survey) तथा जनता के आवास एवं कार्यक्षेत्र संबंधी अन्यान्य आंकड़ों का संकलन।

(२) उपरोक्त वर्णित संकलित तत्वीय ज्ञान के आधार पर सरकार के नगर तथा ग्राम नियोजक की सहायता से नगर के विकास के लिये मास्टर प्लान की रचना।

(३) जनता को सुन्दर, स्वच्छ और हवादार आवास स्थल प्रस्तुत करने के लिये निम्नलिखित १६ योजनायें नियमानुसार बनाई गईं। जिनमें से प्रथम ९ योजनायें सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी है —

(१) सिविल लाइन्स विस्थापित पुनर्संस्थापन योजना,
(२) खन्दारी सड़क विकास योजना (भवन निर्माण के लिये),
(३) पश्चिम ईदगाह विकास योजना (भवन निर्माण के लिये),
(४) रकाबगंज विकास योजना (भवन निर्माण के लिये),
(५) राजा की मंडी सड़क योजना (मुख्यतः पार्क बनाने के लिये),
(६) नाई की मंडी सड़क योजना (भवन निर्माण के लिये),
(७) फटी धरती सड़क योजना (निर्धन व्यक्तियों के भवन निर्माणर्थ),
(८) उत्तर विजय नगर विकास योजना (भवन निर्माणार्थ),
(९) छीपीटोला (सब्जीमंडी) विकास योजना (सब्जी तथा फलों की मंडी बनाने की योजना),

(१०) महात्मा गांधी मार्ग (भरतपुर भवन) हाउसिंग स्कीम (भवन निर्माण की योजना),

---

नोटः—तारांकित प्रश्न ९ श्री हरदयाल सिंह पिपल ने पूछा।

(११) जयपुर भवन विकास योजना (भवन निर्माणार्थ),

(१२) यमुना किनारा सड़क योजना (सड़क चौड़ी करना तथा नदी के दृश्य को सुन्दरतम् और क्रीड़ास्थल बनाने के हेतु),

(१३) नगला फकीर चन्द विकास योजना (सामान्य सुधार योजना),

(१४) हरिजन कालोनी विकास योजना (हरिजनों के लिये भवन निर्माणार्थ),

(१५) सराय रुस्तम खां विकास योजना,

(१६) बिल्लोचपुरा सड़क योजना (भवन निर्माणार्थ),

इन योजनाओं में से राजा की मंडी सड़क योजना मुख्यतः सघन क्षेत्र के निकट पार्क बनाये जाने के लिये थी। यह पार्क प्रायः तैयार हो चुका है। शेष योजनायें भवन निर्माण के लिये भूमिखंड प्रस्तुत करने के लिये बनाई गई हैं।

उपरोक्त योजनाओं में से पहिली चार योजनाओं के लिये भूमि अधिकृत की जा चुकी है और इन योजनाओं में वृक्षारोपण, सड़कें, जल कल इत्यादि प्रस्तुत करने का कार्य या तो हो चुका है अथवा हो रहा है। सिविल लाइन्स विस्थापित पुनःस्थापन योजना में ३ भूमिखंड, खन्दारी सड़क विकास योजना में २९ भूमिखंड, रकाबगंज विकास योजना में ७ भूमि खंड तथा पश्चिम ईदगाह विकास योजना में २२ भूमिखंड नीलाम द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को भवन निर्माणार्थ उठाये जा चुके हैं। उत्तर विजयनगर विकास योजना में सम्मिलित खाली, बन्जर और काश्त की भूमि का अभी-अभी अधिकरण किया गया है। शेष ४ स्वीकृत योजनाओं में भूमि अधिकरण की कार्यवाही हो रही है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (ज़िला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कितने मकान निर्धन व्यक्तियों के लिये बनाये गये हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—इसकी सूचना चाहिये।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इन योजनाओं में जिस पार्क के निर्माण का जिक्र है उसमें कितनी रकम लगायी गयी है?

श्री मोहनलाल गौतम—इसकी सूचना चाहिये।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार के पास ऐसे कोई रिप्रेजेंटेशन आये थे कि यमुना किनारे प्राइवेट लोगों ने जबर्दस्ती घाटों पर कब्जा कर लिया है?

श्री मोहनलाल गौतम—इसकी सूचना चाहिये।

* * * * *

विलीन रामपुर राज्य में स्टैण्डर्ड वेट्स लागू किये जाने का सुझाव

*३२—श्री कृष्णशरण आर्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विलीन रामपुर राज्य के विलीनीकरण से अभी तक स्टैण्डर्ड वेट्स (Standard Weights) वहां क्यों नहीं प्रचलित किये गये हैं?

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—उत्तर प्रदेश सरकार के वेट्स ऐंड मेजर्स ऐक्ट, १९४७ ई० के अनुसार अभी कहीं स्टैन्डर्ड वेट्स लागू नहीं किये गये हैं। अतः विलीन रामपुर राज्य में अभी तक स्टैण्डर्ड वेट्स लागू न किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गेंदा सिंह—कौन-कौन से स्टैण्डर्ड वेट्स इस प्रदेश में इस वक्त प्रचलित हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—८०-८० के वेट्स अपने प्रदेश में इस समय प्रचलित है।

अतारांकित प्रश्न

ग्राम पंचायतों का चुनाव

१—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पंचायतों का चुनाव सन् १९५३ में होने वाला है ?

श्री मोहनलाल गौतम—यदि पंचायत राज अधिनियम का संशोधक विधेयक सन् १९५३ में विधान मंडल से पास हो जावेगा तो उसके पश्चात् चुनाव हो सकेंगे।

संयुक्त प्रांतीय कृषि आय-कर नियम १९४९ के नियम २८ में प्रस्तावित संशोधन से सम्बद्ध विज्ञप्ति की प्रतिलिपि का मेज पर रखा जाना

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं १९४८ के संयुक्त प्रांतीय कृषि आय-कर ऐक्ट की धारा ४४ की उपधारा (३) के अनुसार संयुक्त प्रांतीय कृषि आय-कर नियम, १९४९, के नियम २८ में प्रस्तावित संशोधन से संबद्ध माल विभाग की विज्ञप्ति संख्या २८९३/१ (सी) ११०—सी—५२, दिनांक २९ जनवरी, १९५३ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (ऐप्रोप्रियेशन बिल) १९५३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—माननीय वित्त मंत्री इस पर कुछ भाषण करना चाहते हैं, यह जो आपने कल अपना विधेयक पेश किया था ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)—मैंने अर्ज किया कि कोई भाषण नहीं देना था। एक बात जरा सी कह दी थी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक माननीय वित्त मंत्री जी ने इस सदन के सामने पेश किया है उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, जो परम्परा इस सदन की आज तक चली आई है उसके हिसाब से बजट पर बहस करने के लिये करीब २० दिन इस सदन के माननीय सदस्यों को मिलते हैं। इस सदन के माननीय सदस्य अब २२८ से ४३० के करीब हो गये हैं और अनुदान संख्या भी काफी है और इस प्रांत का बजट भी अब सन् १९३९ से जो कि १३ करोड़ का था, अब ७८ करोड़ रुपये का हो गया है। इसमें इतना ज्यादा समय नहीं मिल सकता है कि जिससे इस सदन के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने विचार प्रकट कर सकें और साल में यही एक ऐसा अवसर आता है जबकि हम जनता की तकलीफों को या और चीजों को सरकार के सामने रख सकते हैं।

आज इस विधेयक को ऐसी जल्दी से यहां पर लाया गया है कि ३१ मार्च बहुत जल्दी आने वाला है और कौंसिल का इजलास भी बुला लिया गया है। मेरी प्रार्थना माननीय वित्त मंत्री जी से यह है कि अगले समय जब भी बजट इस सदन में पेश किया

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

जाय तो काफी पहले से बजट के अनुदानों पर बहस हो जाय, ताकि जो कुछ बाकी रह जाय या कुछ और विचार इस सदन में माननीय सदस्य इस बजट पर प्रकट करना चाहें तो जब यह बिल इस सदन के सामने आता है उस समय अपने विचारों को प्रकट कर सकें और हमें समय मिल सके कि हम कुछ पूर्ति उसमें कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के जरिये से आज हम से यह आज्ञा मांगी जा रही है कि इस प्रांत की सरकार को हम अपने कांसालिडेटेड फंड से रुपया खर्च करने के लिये मंजूरी दें। मैं चाहता तो अवश्य था और हम लोग चाहते थे कि इतना ही रुपया नहीं अगर कुछ और रुपये की जरूरत हमारी सरकार को होती तो हम इस प्रांत की उस गरीब जनता से जो कि टैक्स के रूप में या दूसरे करों के रूप में वसूल किया जाता उसे उसी जनता की भलाई के लिये खर्च करने के लिये इजाजत दे देते। पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन चीजों के लिये आज यह रुपया मांगा जा रहा है, जिन विभागों के लिये आज यह रुपया मांगा जा रहा है, उन सब में रुपये का दुरुपयोग हो रहा है। हमारी एक पब्लिक एकाउंट्स कमेटी है, जो उत्तर-प्रदेश के फाइनेंसेज पर देखरेख करने के लिये रहती है। इस कमेटी की पारसाल की जो रिपोर्ट है उस पर इस सदन में पहले हमें कुछ वादविवाद करने का मौका किसी कारण नहीं मिल सका, पर आज का दिन मैं समझता हूं कि इसके लिये उपयुक्त होगा कि बताया जाय कि किस तरह से जो रुपया हम इस प्रांत की सरकार को खर्च करने के लिये देते हैं, वह रुपया मनमाने तरीके पर इस प्रांत की सरकार खर्च कर रही है। अध्यक्ष महोदय। पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की जो रिपोर्ट पारसाल अलग-अलग अनुदानों पर निकली थी उसको यदि मैं पढ़ूं तो उसमें काफी समय इस सदन का नष्ट हो जायगा मैं नहीं चाहता कि मैं उसको पढ़ूं, पर एक बात मैं आपके जरिये इस सदन के माननीय सदस्यों को बतला देना चाहता हूं कि हर डिपार्टमेंट ने अपना बजट बनाते समय कभी इस बात का खयाल नहीं किया कि उनको असल में कितने रुपये की आवश्यकता उस डिपार्टमेंट के खर्च के लिये होती है। अध्यक्ष महोदय, बजट को एक सुन्दर रूप देने के लिये हरएक डिपार्टमेंट अपनी नयी-नयी स्कीमें ला करके बजट में रख देता है, और जब बजट पेश होता है उस वक्त यह मालूम होता है कि कितना अच्छा और कितना सुन्दर बजट इस प्रांत का है कि जहां हजारों ट्यूबवेल्स लगेंगे, जहां हजारों स्कूल खुलेंगे, जहां हजारों अस्पताल खुलेंगे और न जानें क्या क्या होगा। लेकिन जब साल के आखिर में, अध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि जितना रुपया अलग-अलग विभागों के लिये रखा जाता है वह खर्च नहीं किया जाता है, सब विभागों में बचत रहती है, और बड़े ताज्जुब की बात यह रहती है कि जो डैफिसिट बजट रहता है वह साल के अन्त में सरप्लस में टर्न हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि पारसाल पी० डब्लू डी० ने बजट में गढ़वाल अल्मोड़ा जिले के लिये ८ लाख रुपया सड़कों के लिये रखा था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस ८ लाख में एक पैसा भी नहीं खर्च किया गया। इस साल भी बजट में ८ लाख रुपया रखा गया है लेकिन मुझे आशा नहीं है कि इस साल भी सरकार इस रुपये को खर्च करेगी। यदि सरकार इसी तरह से हमारे प्रांत के लोगों को भुलावे में डालना चाहती है, तो वह ८ लाख के बजाय एक करोड़ रख सकती है, लेकिन देखना यह है कि जो रुपया रखा जाता है वह खर्च होता है या नहीं। सप्लीमेंटरी बजट के समय माननीय वित्त मंत्री जी से मैंने कहा था कि अक्तूबर का महीना आ गया है लेकिन जिन सड़कों के लिये आपने रुपया मंजूर किया था उन सड़कों पर अभी काम शुरू नहीं किया गया है। इस पर माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा था कि अक्तूबर के पहले कभी काम नहीं होता है। उसके बाद अक्तूबर गये नवम्बर गया, दिसम्बर गया, जनवरी गया, फरवरी गया, और मार्च भी खत्म हो गया।

है, लेकिन उन सड़कों के ऊपर अभी तक टेंडर भी नहीं 'काल' किये गये हैं। यह है हमारे प्रांत की हालत। आखिर वह रुपया पास कराया किस लिये जाता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वे सब विभागों को इस बात की हिदायत दें कि जितना रुपया हम मंजूर करते हैं, जितना रुपया हम अलग-अलग विभागों को देते हैं। वह साल के अन्त तक खर्च हो जाय और ठीक तरह से खर्च हो और जब बजट के एस्टीमेट्स शुरू में बनाये जायं, और उन्हीं के लिये रुपया मांगें जिनकी पूरी स्कीम गवर्नमेंट के सामने हो।

अध्यक्ष महोदय, रेशम के कपड़े के कारखाने के सिलसिले में गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई और पांच लाख रुपया एक ब्रिटिश फर्म को दे दिया गया, उससे कोई लिखत-पढ़त भी नहीं की गयी। कुछ एक्सपर्ट्स बुलाये गये और उन एक्सपर्ट्स से नकशे आदि बनवाने के बाद उनको पांच लाख रुपया दे दिया। फिर वह स्कीम खत्म हो गई और हमारा ५ लाख रुपया मिलना मुश्किल होगा। इसलिये जब तक स्कीम पक्की न हो जाय और सारा प्रोग्राम उसके चलाने का न बन जाय, तब तक किसी मद के लिये हमसे रुपया नहीं मांगना चाहिये। मुझे दुख होता है।

जब मैंने माननीय मुख्य मंत्री के मुंह से बजट के जनरल डिस्कशन के समय यह सुना था और बड़े-सुन्दर शब्दों में उन्होंने फरमाया था, कि क्या यह प्रांत वही प्रांत नहीं है जहां कि हम कल्याणकारी राज्य स्थापित कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत सुन्दर चित्र उस समय उन्होंने हमारे सामने रखा था। मैं उसके विपरीत आज एक चित्र यहां रखना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि क्या यह वही प्रांत नहीं है जहां हमने हजारों अस्पताल खोले हैं। मैं कहूंगा कि क्या यह वही प्रांत नहीं है जहां सैकड़ों अस्पताल, अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों ऐसे हैं जिनमें न दवा है, न डाक्टर है, न चारपाई है और अगर पंखे लगे हैं तो पंखे चलाने वाला कोई नहीं है और अगर बिजली के हैं तो वे चलने वाले नहीं हैं। क्या यह वही कल्याणकारी राज्य है जिसमें माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि हजारों स्कूल हमने बच्चों के पढ़ने के लिये खोल दिये हैं? क्या इस प्रांत में हजारों स्कूल ऐसे नहीं हैं जिनके मकानों पर छत नहीं हैं, जिनमें बच्चों के बैठने के लिये दरी या टाट का टुकड़ा नहीं और जहां के अध्यापक आज अपनी मांगों के लिये, अपनी छोटी सी तनख्वाह के लिये इस सरकार के पुराने जी० ओ० के मुताबिक अपनी तनख्वाह हासिल करने के लिये आज सत्याग्रह करके हमारे प्रांत की जेलों को भर रहे हैं और लखनऊ में आकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। क्या यह हमारे कल्याणकारी राज्य के लिये शोभा की बात है? क्या यह वही कल्याणकारी राज्य है जिसके लिये हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हमारे यहां बहुत सी नहरें बनाई गई हैं, लेकिन उनमें आज पानी नहीं चढ़ता है? ट्यूबवेल्स लगे हैं पर पानी ऊपर को नहीं खिंचते हैं। क्या यह वही प्रांत नहीं जिसमें आज लाखों आदमी ऐसे हैं जिन्हें अपने पीने के लिये पानी लाने के लिये मीलों जाकर पानी हासिल करना पड़ता है और सरकार ने उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की है? क्या यह वही प्रांत, वही कल्याणकारी राज्य नहीं है जहां के लोग आज भी भूखों मर सकते हैं, जहां कि पूर्वी जिलों में भुखमरी से लोग भूखों मर गये? हमारे यहां के ज्यादातर किसान गन्ना बोते हैं तो क्या यह वही कल्याणकारी राज्य नहीं है जहां के किसानों का गन्ना सरकार ने १ रुपया १० आने मन के हिसाब के बजाय ८ आने मन पर मिल वालों को दिलवा कर उनका गन्ना पिरवाया? इससे जो १० करोड़ रुपया हमारे प्रांत के किसानों का मिलवालों के पास है वह आज तक इस सरकार ने नहीं दिलवाया है। उस दस करोड़ का ब्याज कहां गया।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वे बिल के ऊपर आ जावें। यह केवल बजट का डिस्कशन नहीं है?

श्री मदन मोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये इन बातों को कह रहा था कि ये सारी मदें हैं जिनके लिये रुपया हमसे मांगा जा रहा है। इसलिये मैं उन चीजों को गिना रहा था कि उनके लिये रुपया दिया जाय या नहीं। मैं यह नहीं चाहता हूं कि ऐसी

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

नहर बनाई जाय जिसमें पानी ही न चढ़े। मैं इसके बारे में लम्बा चौड़ा नहीं जाऊंगा। समय बहुत कम है पर २ या ३ बातें जो हमारे इस कल्याणकारी राज्य में हो रही हैं उन्हें कहे बगैर मैं नहीं रह सकता। आज हमारी शिक्षा की पद्धति, आज हमारे अध्यापक वर्ग जो हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं, जो हमारे आगे के राष्ट्र का निर्माण करेंगे, वे आज प्रांत में अपनी तनख्वाहों के लिये सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारे प्रांत के जो गरीब मेहतर लोग थे उन्होंने अपनी तनख्वाह के लिये एक प्रांत व्यापी हड़ताल की उसको भी इस सरकार ने दबा कर खत्म कर दिया। हमारे प्रांत के पटवारियान थे। आज इतने पटवारियों को एक साथ इस्तीफा देने पर हमारी सरकार ने मजबूर किया। आज हमारे यहां लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है और हमारे यहां लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं हैं और यह सरकार जमीनें उनको दे रही है जिनके पास जमीन है और जिनके पास जमीन नहीं है उनको यह सरकार जमीन नहीं देती है। इसका उदाहरण आपको तराई भाबर में मिलेगा जहां बड़े-बड़े जमींदारों को जिनकी यहां जमींदारी खत्म की गयी है चार-चार हजार एकड़ जमीन दी गयी है।

अब अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे प्रांत में पुलिस का आतंक बहुत बढ़ रहा है और कम से कम बांदा जिले में सबसे ज्यादा है और उस पुलिस के लिये आज यह सरकार रुपया मांगती है। वहां की पुलिस का जो आतंक है, अध्यक्ष महोदय, वह इससे पता लगता है। एक अखबार है जिसमें लिखा है—"पुलिस के अत्याचारों का राज्य, बांदा में पुलिस के कारनामों की रोमांचकारी कथा"। हमारे इस सदन के बांदा के माननीय सदस्य इस बात की ताईद करेंगे कि वे बांदा में बिना बंदूक के नहीं जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब हमारे माननीय पहलवान सिंह भी अपने कंधों पर दो नली बंदूक लेकर बांदा स्टेशन पर निकलते हैं तो लोगों को ताज्जुब होता है कि उनको ऐसे जाने की क्या आवश्यकता पड़ गयी। वहां का कोई एम० एल० ए० आज सुरक्षित नहीं है। वहां पर आतंक इतना ज्यादा है कि आज एक काफ्रेंस में हुकूमत ने लखनऊ में वहां के डी० आई० जी० वगैरह को बुलवाया है। मैं वहां के एक पुलिस अधिकारी का जवाब सुनाता हूं। हाल ही में एक रिपोर्ट आयी है कि वहां के डी० एस० पी० साहब ने विन्ध्याचल यात्रा पर जाने के लिये यूनियन की मोटर मांगी थी वह ठीक टाइम पर नहीं पहुंची जिस पर उन्होंने जो कुछ कहा उसकी रिपोर्ट आयी है—

"मुझे देखते ही डिप्टी महोदय ने कहा कि तू यहां क्यों आया, क्या मैं तेरे ऊपर चढ़ूंगा"। उस पर मैंने नम्रतापूर्वक कहा कि सारी अभी तक वापस नहीं आ सकी है। इस पर डी० एस० पी० साहब ने यह कहा कि "तू खद्दर की कमीज और टोपी पहन कर मुझ पर रोब डालने आया है।" फिर यह भी कहा कि "उन्हें श्री पांडे जी स्टेशन आफिसर करवी के यहां चित्रकूट जाना है उनका नाम तुमने सुना है। वह तुम सब लोगों को ठीक कर देगा। वह तुम्हारा चचा हमारा इंतजार कर रहा होगा। तुम सब लोग दरोगा लोगों से ही ठीक होते हो।"

श्री अध्यक्ष—मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि बिल के ऊपर आप नहीं आ रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अब आया, अध्यक्ष महोदय, यह इसलिये कह रहा था कि एक साल के बाद मौका मिलेगा। मुझे कोई काम रोको प्रस्ताव न लाना पड़े इसलिये कह रहा था।

श्री अध्यक्ष—तो मैं क्या उम्मीद करूं कि साल भर तक कोई नहीं आयेगा?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—वहां के बहुत क़िस्से ही क़िस्से हैं। मैं कहां तक वर्णन करूं इस बारे में। वहां की लड़कियों के ऊपर जो बलात्कार पुलिस वालों ने किये हैं उससे

तो यह मालूम होता है कि हमारे प्रान्त में अराजकता के अलावा कोई चीज नहीं है। इसका इलाज इससे नहीं होगा कि एक पुलिस आफ़िसर दूसरी जगह बदल दिया जाय। मैं तो माननीय गृह मंत्री से यह कहूंगा कि वहां के सारे पुलिस आफ़िसरों को बनारस में ले जाकर रख दें, ताकि पुलिस का जो व्यवहार है उससे बनारस की जनता भी कुछ फ़ायदा उठा सके और हमारे विरोधी दल के नेता भी उससे कुछ फायदा उठा सकें क्योंकि आप भी बनारस के रहने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब बिल पर आ रहा हूं कि रुपया किस तरह से खर्च किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी सदन में यह बतलाया था कि हमारे यहां जो दो बड़े-बड़े उद्योग धंधे हैं, एक प्रिसेशन इन्स्ट्रूमेंट्स फ़ैक्टरी और दूसरे सीमेंट फ़ैक्टरी, उन पर रुपया किस तरह से खर्च किया जा रहा है उस पर भी हमें ध्यान रखना है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अवश्य प्रार्थना करूंगा कि वे इसकी जांच अवश्य करें, इस की देख-रेख अवश्य रखें। सिर्फ प्रेस्टिज के लिये ही वे बराबर इन बड़ी फैक्टरीज को आगे चालू करने की कोशिश न करें। उस दिन माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा था कि उड़ीसा की फैक्टरी में सीमेंट बन रही है और वहां जो सीमेंट बन रही है उससे तो हम बहुत बढ़िया सीमेंट बना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सीमेंट फैक्टरी जो उड़ीसा में है, उसकी सारी सीमेंट हीरा कुंड डाम में जो कि हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा डाम है उसी में लग रही है। उड़ीसा की सीमेंट फैक्टरी के खड़े होने में एक साल लगा, लेकिन हमारी मिर्जापुर की सीमेंट फैक्टरी को तैयार होने में ४ साल हो गये, लेकिन अभी तक वह तैयार नहीं हो पायी है और मुझे विश्वास है कि वैसे तो कोई भी फैक्टरी हो, अगर करोड़ों रुपये उस पर खर्च किये जायें और कई साल का टाइम लगाया जाय तो कोई न कोई फैक्टरी खड़ी हो ही जायगी। अध्यक्ष महोदय, क्या यह हमारे प्रान्त के लिये कोई गौरव की बात है?

इसके अलावा एक और चीज है जिस पर रुपया बिना पूछे हुए, बिना लोगों की राय लिये हुए बुरी तरह खर्च किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, यही लखनऊ में म्यूजियम पर विचार किया जाय तो वहां के क्यूरेटर साहब ने जहांगीर के घड़े के नाम से दो चांदी के घड़े यहीं पर खरीद लिये हैं। अगर जांच की जाय तो मालूम होगा कि इस फेंट पेंटिंग में कोई सत्यता नहीं है। वही घड़ा यहां पर बाजार में एक-एक हजार रुपये में मिल सकता है। लेकिन क्यूरेटर साहब ने मन-मानी करके जहांगीर के घड़े के नाम से दोनों घड़े १० हजार रुपये में खरीदे हैं। तो इस तरह से जो भी खर्चा हो वह ठीक तरह से हो, इसकी देख-रेख अवश्य होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आपने जो कल सवा बजे तक खत्म करने की बात कही थी, उसी हिसाब से बोलें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की रिपोर्ट और एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स की कुछ बातें मैं इस सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं पढ़ना चाहता हूं। सब से पहले तो अध्यक्ष महोदय, हमारे जंगलात विभाग में ठेके के सिलसिले में जो गड़बड़ी हुई है उसकी कुछ बातें आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं।

"पहली मद जिस पर समिति ने विचार किया, वन विभाग के संबंध में थी। सन् १९२२ ई० में सरकार ने एक फर्म के साथ खैर के पेड़ों की बिक्री के लिये २५ साल की अवधि के लिये एक इकरारनामा लिखा था। इकरारनामे कि शर्तों में यह निर्दिष्ट था कि सरकार उक्त फर्म के हाथ प्रति वर्ष निश्चित न्यूनतम मोटाई वाले १६,००० खैर के पेड़ ३ रु० प्रति पेड़ के हिसाब से बेचेगी और जब फर्म का शुद्ध मुनाफा १२ प्रतिशत से अधिक होगा तो सरकार को उसमें से हिस्सा मिलेगा। ठेके की अवधि में इन दरों और शर्तों के संशोधन के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी। दूसरे लोगों के हाथ खैर के पेड़ बेचने से औसत मूल्य सरकार को मिला वह ठेके की दर अर्थात् ३ रुपया प्रति पेड़ से कई गुना अधिक था और १९४३-४४ के अन्त तक सरकार को जो हानि हुई वह हिसाब लगाने पर २७ लाख रुपये से अधिक आती है।"

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—यह किस साल की रिपोर्ट है?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—यह लास्ट इयर की रिपोर्ट है। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की आखिरी रिपोर्ट जो सदन के सामने रखी गयी है उसी से मैं पढ़ रहा हूं। तो इस तरह से २७ लाख रुपया हमारे फारेस्ट डिपार्टमेंट का नुक्सान हुआ। इस पर कमेटी की यह राय थी "समिति ने यह विचार प्रकट किया कि जहां तक संभव हो सरकार की ओर से दिये गये या लिखे गये ठेके या इकरारनामे अल्प अवधि के लिये होने चाहिये और उनमें यह शर्त होनी चाहिये कि यदि सरकार आवश्यक समझे तो वह ठेके की दरों में संशोधन कर सकती है।"

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, लिखा गया है कि "भविष्य में पथ-प्रदर्शन के लिये समिति के विचार नोट कर लिये गये हैं"। ये विचार बराबर नोट कर लिये जाते हैं, लिख लिये जाते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अब भी इस क़िस्म के एग्रीमेंट्स कर लिये जाते हैं जो सालों के होते हैं जिससे हमारे सूबे को इस चक्कर में काफी रुपये का नुक्सान होता है। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, जो रुपया विविध अनुदानों के लिये मांग लिया जाता है वह पूरा खर्च नहीं किया जाता। जन-स्वास्थ्य विभाग को ही ले लीजिये। हम चाहते हैं कि इस विभाग में ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च हो, दवाइयों में ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च किया जाय लेकिन उसकी हालत यह है—

"जन-स्वास्थ्य बजट के उपशीर्षक 'घ' ग्रामोत्थान योजनाओं के अन्तर्गत १,६८,५०० रुपये की मूल नियत धनराशि में से केवल ६५,०७४ रु० की धनराशि उद्योग में लायी गयी और ८३,९२६ रुपया की जो बचत हुई वह समर्पित नहीं की जा सकी।"

जो भी रुपया किसी कार्य के लिये रखा जाता है वह पूरा उस कार्य के लिये खर्च नहीं किया जाता जिसके बारे में कमेटी का यह कहना है कि—

"समिति ने यह महसूस किया कि इस उपशीर्षक से किये जाने वाले व्यय पर नियंत्रण शिथिल रहा।"

इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य के लिये ऐसा होता है कि अलग-अलग विभागों में बिल्डिंग्स बनती हैं और अलग-अलग विभाग अपनी-अपनी बिल्डिंग्स अपने आप बनाते हैं। इसके बारे में कमेटी यह महसूस करती है कि अलग-अलग विभाग अपनी-अपनी बिल्डिंग्स पूरी नहीं कर पाते इसलिये वह रुपया बच जाता है। अतः उसका इंतजाम पी० डब्लू० डी० के जरिये से ही होना चाहिये, चाहे बिल्डिंग्स किसी भी डिपार्टमेंट की हों।

इस प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग में ही एक रक़म १३,२४,४०० रुपया की रखी गयी है जिसमें से केवल ६,६४,४१८ रुपया खर्च किया गया है और आधी रक़म बिना उपयोग में लायी हुई बच गयी।

इसी प्रकार से कृषि-विभाग के बारे में समिति लिखती है कि "समिति को यह सूचित किया गया कि १.७ लाख मूल्य की बेकार सामग्रियां पहले ही बेची जा चुकी थीं और ४.८ लाख रुपये की बेकार तथा फालतू सामग्रियां शेष रह गयी थीं"। इससे विभाग को नुक्सान हुआ इसलिये इसका भी आयन्दा ध्यान रखना चाहिये कि बची हुई वस्तुयें शीघ्र और ऊंचे से ऊंचे दामों पर बेची जायं।

श्री अध्यक्ष—इस बिल के संबंध में आप के बोलने का जो दौर रहा है उस के बारे में मुझे यह कहना है कि एप्रोप्रियेशन बिल्स के बारे में स्पीकर के अधिकार सुरक्षित हैं, यथा—

"The speaker may suspend the operation of any rule for the timely passing of such bills".

इसलिये आप इस पर अपनी नजर रक्खें कि औरों को भी बोलना है, यह न हो कि आप ही बोलते रहें और दूसरों को बोलने का मौक़ा न मिल सके।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं क़रीब-क़रीब खत्म ही कर रहा हूं। ये तो मैंने थोड़ी सी अनियमिततायें बताईं, जो रुपये को खर्च करने में विभागों की ओर से की जाती हैं और जिनको मैं माननीय सदन के सदस्यों के सामने रखना चाहता था। अगर उसके ऊपर पूरे-तौर पर टीका टिप्पणी की जाय तो एक बहुत लम्बी चौड़ी चीज़ हो जाय। माननीय वित्त मंत्री जी से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि हम उनका साथ देने को तैयार हैं और हम चाहेंगे कि उनके विभाग से यह आदेश सब विभागों को चले जायं कि जितना रुपया मंजूर किया जाता है वह सिर्फ खिलाने के लिये ही नहीं हैं उसको पूरी-पूरी तरह उन योजनाओं में खर्च किया जाय जो उनके लिये बनाई गई हैं। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि अगले वर्ष इस सदन को यह मौक़ा न होगा कि वह ऐसी शिकायत फिर कर सके और जो भी रुपया यह सदन मंजूर करे उसको इस प्रान्त के लोगों की भलाई के लिये खर्च किया जाय। अब बहुत अधिक न कह कर मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह आशा करूंगा कि वह यह न समझें कि हम जो क्रिटिसिज्म करते हैं वह केवल क्रिटिसिज्म के लिये ही करते हैं। यदि हम क्रिटिसिज्म न करें तो उनको हुकूमत ठीक तरह से नहीं चल सकती है। हम कभी भी ग़लत तरीक़े से क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहते हैं। हम वही कहते हैं जिससे हम समझते हैं कि प्रान्त का भला होगा। जहां तक ऐड-मिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक़ है हम उस पर उतने हावी नहीं हो सकते हैं जितने कि वित्त मंत्री जी। उनको तो पुराना २६ साल का तर्जुबा है। हम लोग तो नये-नये हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो आंकड़ों की ग़लती बजट में बतलाई, १० लाख रुपये वाली बात शिक्षा के संबंध में उसको मैं तो कुछ समझ नहीं पाया। इसलिये माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसे ग़लत आंकड़े हम लोगों को न बतलायें। हम तो इस सदन में बिल्कुल नये हैं। हम तो उन्हीं को अथारिटी समझते हैं। कल ही एक माननीय मंत्री ने कह दिया कि बजट ग़लत है क्योंकि उनके आंकड़े उससे नहीं मिलते हैं। लेकिन यह तो ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है। सबको सोच समझकर यहां आना चाहिये। माननीय मंत्री जी को पढ़कर यहां आना चाहिये। हमें भी उस में टीका टिप्पणी करनी होती है। हम भी पढ़कर आते हैं और खास कर हमारे माननीय नारायणदत्त जी तो उसकी छानबीन कर डालते हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझूंगा कि माननीय मंत्री जी हमारे बुजुर्ग हैं वह यह न समझें कि मैं कोई द्वेष, भाव से यह कह रहा हूं। हमारे प्रान्त का ऐडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो, हमारा प्रान्त सचमुच कल्याणकारी हो, ऐसी हमारी हार्दिक इच्छा है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी उस ओर इस प्रान्त की जनता को ले जायंगे।

श्री पहलवान सिंह चौधरी (ज़िला बांदा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र उपाध्याय जी ने मेरा नाम लिया है.....

श्री अध्यक्ष—आपका नाम मैंने नहीं लिया है। आप कृपा कर के बैठ जायं।

राजा वीरेन्द्रशाह (ज़िला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चन्द बातें भवन के सामने कहना चाहता हूं जब कि हम लोग.....

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि बहुत से लोग बोलना चाहते हैं इसलिये दस मिनट से अधिक समय कोई न ले।

राजा वीरेन्द्रशाह—श्रीमन्, मुझे यह अर्ज करना है कि सरकार को बजट पास करा कर यह समझ लेना चाहिये कि सरकार आज विरोधी दल की कोई बात न मानकर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर देश या प्रान्त के निर्माण के लिये वह इतना बड़ा बजट और इतना बड़ा खर्चा मंजूर करवा रही है, तो मैं सरकार को आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं कि उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर बहुत अधिक है। इसलिये और अधिक है कि आपने कोई भी विचार या कोई भी सुझाव जो विरोधी दल की तरफ से भवन में पेश किया गया उसको नहीं माना। सरकार को मालूम होना चाहिये कि इससे सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।

[राजा वीरेन्द्र शाह]

ऐसी हालत में जब कि हमारा प्रान्त और देश एक असाधारण स्थिति में से गुजर रहा है उस समय इतनी बड़ी रक़म का खर्च करना कोई असाधारण या मामूली चीज नहीं है। अगर हमारी जनता का एक भी पैसा फिजूल खर्च होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर होगी इसलिये होगी कि वह इतने बहुमत से आई है और बजट में वोट एक नुक्ता लगाए हुये उसे पास करवा लेती है। श्रीमन्, मैं आपके जरिये सरकार को याद दिला देना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में दो एक करों का जिक्र किया था। मैं अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि इतने बड़े बजट में इतनी बड़ी रक़म आप पास करवा रहे हैं और मंत्री ने आज एक सूचना दी है कि ३ करोड़ ३० लाख रुपया उसे नहर रेट को बढ़ा कर और किसानों पर कर लगा कर मिलेगा और उससे वह विकास कार्य की पूर्ति करेगी। तो मैं श्रीमन्, आपके द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि इतने बड़े बजट में ३ करोड़ ३० लाख रुपया तो आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके लिये उचित नहीं है कि आप उन पर टैक्स लगायें, उनको परेशान करें, जो खुद इस वक्त परेशान हैं। मैं मानता हूं कि इस वक्त गल्ले के रेट की वजह से सरकार यह कह सकती है कि नहर रेट कम है लिहाजा यह नहर का रेट बढ़ा दिया जाय। ३ करोड़ ३० लाख रुपये की रक़म जो कि हमारे मंत्री जी ने तजवीज की है आगे से नहर रेट बढ़ाकर किसानों पर लगायेंगे। मैं उसके लिये अदब से कहना चाहता हूं कि जिस तरह अपने भाषण में उन्होंने बतलाया कि सरकार ने पिछले साल यह टैक्स लगाना चाहा था, लेकिन वह न लगा सकी। सरकार को यह मालूम होना चाहिये कि जो रक़म किसानों से या गरीब जनता से वह इस टैक्स के द्वारा लेगी वह गरीब किसान इतने परेशान हैं कि वह इस टैक्स को किसी तरह से अदा नहीं कर सकते। मैं अदब से सरकार को बतलाना चाहता हूं कि इतने बड़े बजट में ऐसी कोई रक़म नहीं मालूम होती जिससे आपकी कोई स्कीम रुक जाये। मैं समझता हूं कि इतने सदस्य जो यहां बैठे हुये हैं वह इस बात को समझेंगे कि इस टैक्स के लगाने से गरीब किसानों को कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा। श्रीमन् मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम लोगों को भय इसलिये है कि सरकार स्कीमें रखती है और स्कीमों पर खर्च भी होता है। जैसा कि हमारे बुन्देलखंड में फोरो डैम बनाया गया। तो श्रीमन्, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि एक स्कीम शुरू कर दी जाती है और उस पर काफी खर्च होने के बाद कहा जाता है कि इससे अच्छी दूसरी स्कीम निकल आयी है और उस स्कीम को बन्द किया जाता है और दूसरी स्कीम पर खर्च किया जाता है। तो श्रीमन्, मैं आपके जरिये से सरकार को बताना चाहता हूं कि अब ऐसा समय नहीं है कि इस रुपये को इस तरह बरबाद किया जाये। हमारे पास इन प्रयोग (एक्सपैरीमेंट्स) के लिये रुपये नहीं हैं। हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो गयी है कि हमें किस तरीक़े से किस चीज को चलाना है। ऐसे समय में उन्हीं स्कीमों को लिया जाये जिससे देश का फायदा हो। ऐसा न हो कि एक स्कीम को छोड़कर दूसरी स्कीम को चलाकर हम देश का रुपया बरबाद करें।

तीसरी चीज मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सड़कों और अस्पतालों के लिये जो रक़म मंजूर हुई है और हम देखते हैं कि बहुत से रुपये मंजूर कर लिये जाते हैं, लेकिन वह ठीक तरह से खर्च नहीं होते या किसी और जगह पर खर्च कर लिये जाते हैं तो मैं सरकार से अदब से प्रार्थना करूंगा कि देहाती क्षेत्रों में जहां से सबसे ज्यादा टैक्स हमारे प्रान्त में आता है उसके ऊपर सरकार को अधिक से अधिक रुपया खर्च करना चाहिये। वहां के लिये जितने अस्पताल मंजूर हुये हैं उतने ही खोले जायं। वहां की सड़कों के बनाने के लिये सरकार को इजाजत देनी चाहिये कि वहां की सड़कें अच्छी तरह से बनायी जायं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से सरकार को बतलाना चाहता हूं कि बहुत सी सड़कें ऐसी रह गयी हैं कि जो जिले के अन्दर हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकार से ऊपर हैं। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि सरकार इस पर भी पुनर्विचार करेगी और तीन महीने के अन्दर या छः महीने के अन्दर यह देखेगी कि कहां पर खर्च होना चाहिये और कहां पर खर्च नहीं होना चाहिये। आप यह देखेंगे कि इस सप्लीमेंटरी बजट में कई रकमें ऐसी हैं, जो कि फिजूल ही खर्च को जा रही हैं। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि बजट पास होने के यह माने नहीं हैं कि वह सभी रक़में खर्च की जायं जो कि बजट

में रखी जाती हैं। बजट के यह माने हैं कि जो रक़में हम मंजूर करते हैं उनको अच्छी तरह से खर्च किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से थोड़ा सा समय लेकर एप्रोप्रिएशन के सिद्धान्तों के बारे में निवेदन करूंगा। पिछले सालों से एप्रोप्रिएशन के बारे में बिल हमारे सामने आते रहे हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में कि आलोचनायें आडीटर जनरल या एकाउण्टेंट जनरल को करनी हैं, उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। जो डिटेल्ड ग्रान्ट्स दी गयीं और जो डिस्बर्समेंट हुआ और उससे जो सेविंग हुई उनके ऊपर जब दृष्टिपात करते हैं तो उससे यह मालूम पड़ता है कि सेविंग के मामले में हमारे विभाग कितनी ग़लती करते हैं। पिछले चार साल से लगातार हमारे यहां सरकार एप्रोप्रियेशन में सेविंग करती चली आ रही है और उसकी संख्या पिछले सालों में इस तरह से रही कि —

वर्ष		रु०
१९४५–४६	..	९,८०१
१९४६–४७	..	१,६९,४९८
१९४७–४८	..	३,२२,७८५
१९४८–४९	..	१,०९,५०१
१९४९–५०	..	१,०३,२०८

इस प्रकार से यह बचत रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो डिपार्टमेंट डिस्बर्समेंट करते हैं तो उनके ऊपर ऐसा कंट्रोल होना चाहिये कि न तो उसमें कोई सेविंग हो और न उसमें एक्सेस ही आवे। एक मिसाल इसकी और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अनसरेण्डर्ड मनी के बारे में जब मैं देखता हूं तो जो विभाग बचत करते हैं वह सालों तक सरेण्डर नहीं करते हैं। जब ए० जी० के यहां से आब्जेक्शन होता है तो उसकी परवाह नहीं करते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि सरेण्डर एक्सेस भी हो जाता है। जितना बजट में रुपया नहीं दिया जाता है उससे ज्यादा वह सरेण्डर करते हैं। तो यह गम्भीर आरोप है कि बचत तो कम की जाय लेकिन समर्पण ज्यादा किया जाय। मिस्लेनियस चार्जेज में बचत तो ५६ लाख बताई गई है लेकिन सरेण्डर जो रक़म की गयी वह ६८ लाख है। इसी प्रकार से कैपिटल आउट ले आन एग्रीकल्चरल स्कीम के लिये १७ लाख बचत बताई गयी लेकिन ५६ लाख सरेण्डर किया गया। इसी तरह से आउट ले आन सिविल वर्क्स नाट मेट फ्राम रेवेन्यू में ५७ लाख रुपये की बचत बतायी गयी और जो सरेण्डर किया गया वह १ करोड़ १९ लाख रुपया है। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिये।

एक बात और मैं रिएप्रोप्रियेशन के बारे में कहना चाहता हूं कि बजटिंग के करते समय हमारे विभाग ज्यादा इस्टीमेट कर लेते हैं और उसमें भी किसी और मद के लिये वह एप्रोप्रियेशन कर लेते हैं या ऐसे एप्रोप्रियेशन को बनाते समय सही इस्टीमेट नहीं निकालते हैं और जिस अनुदान के लिये रुपया लिया गया है उसको दूसरे अनुदान में खर्च कर दिया जाता है। सप्लाई डिपार्टमेंट में १९ लाख रुपया रिएप्रोप्रियेशन किया गया लेकिन उस मांगे हुये अनुदान में उसी अनुदान को घटाकर दिखलाया गया कि ४ लाख रुपया किसी और अनुदान पर खर्च हुआ।

इसी प्रकार से मेडिकल परपज के लिये ग्रांट ली गयी और उसमें भी ऐसा ही किया गया। मुझे आशा है कि मंत्री जी भविष्य में इस प्रकार की गलतियों को न होने देने के लिये चेष्टा करेंगे।

एक और बात मैं बजटिंग के बारे में कहना चाहता हूं कि विनियोग में ३ करोड़ ३० लाख रेवेन्यू का एक स्पेशल फंड बनाकर उसको कैपिटल एक्सपेंडीचर मे डाल दिया गया। इसको कैपिटल रेवेन्यू की लायबिलटी बना दिया गया। इससे वास्तविक जांच नहीं हो सकती है। किसी रक़म को कैपिटल एक्सपेंडीचर की लायबिलटी और किसी को कैपिटल रेविन्यू लायबिलटी बना देना ग़लत है। तो हमको फाइनेन्स की दृष्टि से इस के ऊपर दृष्टि रखनी

[श्री मारायणदत्त तिवारी]

चाहिये। यह दोनों चीजें अलग-अलग हैं और अलग मदों के लिये ही वह धन स्वीकृत किया जाता है।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पब्लिक एकाउण्ट कमेटी की रिपोर्ट, जो हमारे सामने रखी जाय वह तब रखी जाय जब एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट की रिपोर्ट हमारे सामने आ जाय। अभी हमारे सामने पब्लिक एकाउण्ट कमेटी की रिपोर्ट रखी गयी थी लेकिन जिस रिपोर्ट को वह रिपोर्ट है वह हमारे सामने नहीं रखी गयी। अगर हमारे सामने एप्रोप्रिएशन एकाउण्ट नहीं रहता है तो हम उसको अच्छी तरह से देख नहीं सकते हैं। इसलिये आइन्दा से ऐसा प्रबंध किया जाय कि एप्रोप्रियशन एकाउन्ट की रिपोर्ट भी हमको मिल जाय तब एकाउण्ट कमेटी की रिपोर्ट दी जाय। मुझे आशा है कि भविष्य में जो फाइनेन्स के सिद्धान्त हैं उनको हमारी सरकार के सब विभाग अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब स्पीकर साहब, मैं यह सोचता था कि इस बिल की बाबत जो कुछ कहा जायगा उसके जवाब में गवर्नमेंट को उस तरह की बातों की तरफ कोई ध्यान देने की जरूरत न होगी जो वक्तनफवक्तन सुनने में आती रहती हैं मगर मुझे अफसोस है कि जो बातें कही गईं वह उसी तरह की थीं और शायद मैं यह मुनासिब न समझूं कि उनका जवाब देने में इस सदन का वक्त लूं। एक बात यह कि २० दिन तक इस बजट की बहस हो, जैसे कि अब के हुई या इससे ज्यादा हो इसलिये कि अब तादाद मेम्बरान की बढ़ गई, और खर्च की रकम भी बढ़ गई है, इसलिये वक्त ज्यादा होना चाहिये यह एक बात कही गई। यह मामला कि बजट पर कितने दिन बहस हो कुछ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। जो रूल्स हैं वह इसी हाउस के बनाये हुये हैं यह सदन अपनी कमेटी बनाता है, उसके जरिये से रूल्स बनते हैं, कमेटी की रिपोर्ट पेश होती है, यहां पास होती है, और उसमें कोई खास दखल गवर्नमेंट का नहीं होता और उन्हीं रूल्स के मुताबिक कार्यवाही होती है। तो जहां तक वक्त के काफी होने का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि जो इस वक्त का तजुर्बा है और जितनी तकरीरें पिछले साल और इस साल बजट के जनरल डिस्कशन में हो सकीं और जिन ग्रांट्स पर बहस हुई उनमें जितनी तकरीरें इस एवान में हो सकीं उनको देखने से मैं तो यह राय कायम करने से मजबूर हूं कि वक्त काफी नहीं है। इसके अलावा एवान के हाथ फिर भी खुले हुये हैं और इस मामले में खासतौर से गवर्नमेंट की तरफ से कोई रुकावट या मजबूरी नहीं है।

दूसरी बात यह है कि एक साहब ने जो शायद अलमोड़े के मेम्बर हैं अपनी तकरीर में एक बिलकुल दूर उफतादा बात जिसका कोई भी वास्ता आज नहीं था हालांकि उसका जवाब दिया जा चुका था, लेकिन चूंकि उसके कहने की मन्शा किसी गलतफहमी को पैदा करना हो सकता है इसलिये मैं मजबूरन उसकी तरफ दोबारा चन्द लफ्जों में इशारा किया चाहता हूं। अभी एक दस करोड़ रुपये की रकम की तजवीज थी और तकरीर में मुझे कुछ हिदायत थी कि मैं ऐसा न किया करूं, तो मैं इस किस्म की हिदायत के लिये शुक्रिया अदा करूं, अगर वह कहते हैं तो न किया करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसी गलत कोशिश करने से बचता रहूं। जब किसी के पास एतराज करने का मवाद न हो और वह चाहता हो कि कोई न कोई बात कह दूं तो जो कुछ वह कहता है अच्छे टेस्ट

म नहीं होता और उसका वह असर भी नहीं होता, जो तकरीर करने वाले चाह रहे थे कि हम उस आलोचना को औरों की आलोचनाओं की रोशनी में लें। दस लाख रुपये की बात यह थी कि मैंने बतलाया था कि यह जो कहा जा रहा है कि एजूकेशन में सिर्फ इतना ही रुपया दिया गया है, तो दस लाख रुपये की रकम और है, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये रखी हुई थी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये जो १२ लाख रुपये की रकम थी उसके अन्दर यह रकम थी। वह तो मेरे दोस्त बस्ती के इधर से, मेरे कांग्रेस के भाई हैं, तकरीर कर रहे थे। उनको मैंने बतलाया था। वह इस खयाल में थे कि जितना रुपया उस जगह था बस उतना ही रुपया दिया गया है। मैंने उनको बतलाया कि नहीं, यह इतना रुपया दूसरी जगह भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये मौजूद है। मुझे मालूम नहीं कि क्या मैंने धोखा दिया, क्या फरेब किया, क्या गलती की, किस तरह से बजट के खिलाफ बात हो गयी। बहरहाल जो कुछ भी हो, मैं एक बात को मानने के लिये तैयार हूं और मानने के लिये तैयार ही नहीं हूं बल्कि मैं यह यकीन दिलाता हूं कि मैं हमेशा उसको एक बहुत ही जरूरी बात समझता हूं और वह यह कि वह तो लफ्ज ही इस्तेमाल किये जाते हैं हमारे गाढ़े पसीने की कमाई का पैसा, मैं उसको उलट करके कहता हूं कि गाढ़े पसीने की कमाई तो दूर रही अगर आपके पास से मुफ्त आया हुआ पैसा भी गवर्नमेन्ट लेती है तो गवर्नमेंट का फर्ज है कि उसको जायज तरीके पर खर्च करे, गवर्नमेंट उसको जाया नहीं होने देगी, उसमें किसी किस्म का नुक्सान नहीं होने देगी। मैं इसको मानता हूं और जिसने भी जिस नीयत से मशविरा दिया, आदमी मुख्तलिफ नीयतों से देखता है। कभी किसी आदमी को नुक्सान पहुंचाने की गरज से नेक मशविरा दिया जाता है, कभी फायदा पहुंचाने की गरज से मशविरा दिया जाता है। मगर बहरहाल अगर कोई चीज नेक हो तो मैं उसको नेक समझूंगा और जिसके मुंह से निकलेगी मैं यह नहीं देखूंगा कि वह आदमी कौन है। उस आदमी के ऊपर मुझको कहां तक जाना चाहिये मैं यह देखूंगा कि वह बात क्या है जो कही गयी है। लिहाजा इस बात को सुन कर मैं इसके मानने को बिलकुल तैयार हूं कि गलती करना ओवरबजेटिंग करना, अंडरबजेटिंग करना, रुपया रख कर बचा लेना, रुपया गलत खर्च करना, यह सब बातें गलत हैं, यह नहीं होनी चाहिये, और इस बात की पूरी कोशिश गवर्नमेंट करे, करती है, और करती रहेगी कि ऐसा न हो। मगर हां, इस सिलसिले में मैं एक बात हाउस के कंसीडरेशन के लिये अर्ज कर दूं। यह ऐप्रोप्रिएशन रिपोर्ट, यह आडिट रिपोर्ट, यह पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की रिपोर्ट क्या यह दुनिया का सिलसिला खत्म हो जायगा ? क्या वह कोई दिन आयेगा जब कि पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की जरूरत नहीं रहेगी। अगर यह हो जायगा कि कहीं किसी जगह पर, किसी इंशान से, किसी हिसाब करने वाले से और किसी खर्चा करने वाले से किसी जगह के ऊपर कोई गलती हो ही नहीं और उस एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट के तैयार होने का मौका ही न हो, किसी पब्लिक एकाउण्ट्स रिपोर्ट या आडिटर की रिपोर्ट में ऐतराज का मौका ही न रहे तो इन आडिटर साहबान की क्या जरूरत होगी, उस मुहकमे की क्या जरूरत होगी। जब आदमी इतना फरिश्ता बन जायगा। यह तो सिलसिला बराबर जारी रहेगा और म आज कितनी ही कोशिश करूं कि अच्छा से अच्छा काम यहां पर कर दूं, लेकिन मेरे दोस्त के हाथ से न वह किताब जायगी और न उसके मिस इंटरप्रिटेशन से वह जायंगे। यह तो जारी रहेगा। आदमी हमेशा कोशिश करता है, और बराबर कोशिश की जायगी।

एक दोस्त ने फरमाया कि साहब पहले कहा था कि डेवलपमेंट लेवी लगायेंगे और फिर नहीं लगाया। अब के कहा है कि इरीगेशन रेट्स बढ़ायेंगे, अब वह मशविरा देते हैं कि उसके ऊपर अमल न किया जाय। वह तो मैंने उनके मशविरे से किया नहीं था कि उनके मशविरे से डेवलेपमेंट लेवी वापस ले ली हो। उसमें तो मैं यह देखूंगा कि जिस काम के लिये पैसे की जरूरत है अगर वह काम चल सकता है तो इस पैसे को क्यों लूंगा। अगर मुझ पर कोई तकाजा भी करते कि साहब इरीगेशन रेट्स जो बढ़े हैं उन्हें

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

तो जरूर बढ़ाना चाहिये और वसूल करना है और मैं तजुर्बे से यह मालूम करता कि मुझे इनके बढ़ाने की जरूरत नहीं है तो मैं तब भी यह करता और अब भी यही करूंगा और उसी जरूरत से गाइड होऊंगा कि जितना रुपया इस स्टेट को खर्च करने के लिये चाहिये है और उसको लेना जरूरी है तो जरूर लिया जायगा। अगर नहीं जरूरी है तो नहीं लिया जायगा। इसलिये उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो उस मशविरे की कोई खास जरूरत ऐसी नहीं है ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--मशविरा नेक है ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--वह मशविरा नेक देने वालों के लिये होगा, लेकिन अगर मैं यहां पर कोई लफ्ज इस्तमाल कर दूं तो मुमकिन है कि वह गलत हो और चेयरमैन साहब कह दें कि यह अनपार्लियामेंटरी लफ्ज इस्तेमाल कर दिया है। लिहाजा लफ्ज पर बहस करने के लिये इस वक्त मौका नहीं है। वरना वैसे तो, हर चे अज दोस्त भी रसद नेकोस्त, मेरे दोस्त मेरे सामने बैठे हैं। उनकी तरफ से जो मशविरा आयेगा वह नेक ही होगा और मैं उसे सर पर रखने के लिये हरदम तैयार हूं।

तो जो कुछ भी हो इस बजट में और जैसा भी यह है वह तो काफी बहस किया जा चुका । एक-एक ग्रांट क ऊपर उसकी रकमें जो मुख्तलिफ हैं वह सब इस विधेयक में लिखी हुई हैं और उनका टोटल दिया हुआ है और उस रकम के खर्च करने की इस हाउस से इजाजत मांगी गयी है। उस इजाजत के मांगने में एक छोटी सी चीज और अर्ज करूंगा कि आप इसमें गलतियां जरूर देखिये और कौन लफ्ज गलत है वह भी देखिये, लेकिन एक बात मत पकड़िये और अगर उसके पकड़ने की नौबत आये तो मुझसे जरूर पूंछ लीजियेगा । यानी कि अगर इस बजट में एक लाख रुपया हम रखें और ९० हजार उसमें से खर्च कर दें और १० हजार बच जाय, या उसमें से ८० हजार खर्च कराकर के उस काम को पूरा कर दें और २० हजार रुपया उसमें बच जाय । तो ऐसी सूरत में जब रकम हम बचायेंगे तो लैप्स तो फिर भी होगा। सिर्फ सामने यह आ जाय कि इतना रुपया लैप्स हो गया तो उसके तो काजेज होंगे, वजूह होंगे। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि कब्ल इसके कि इस किस्म के एतराज उठायें जायं मुझ से जरूर तहकीक कर ली जाय और अगर तकलीफ करके मुझसे लैप्स की वजूह मालूम करना चाहें तो इस मौके पर मेरे लिये यह मुमकिन नहीं कि इस थोड़े से वक्त में उस तमाम मैटिरियल को यहां पढ़ कर सुना दूं। इसलिये मेरी मजबूरी है उन बातों को कहने में मैं बाद में उसका जवाब देकर मुत्मैयन कर सकता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस दरख्वास्त पर अमल होगा और साथ ही मैं हाउस से भी इजाजत चाहूंगा कि इस बिल को पास करके गवर्नमेंट को उस रुपये को खर्च करने की इजाजत देंगे ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि १९५३ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (ऐप्रोप्रियेशन बिल) पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५३-५४ के लिये २,२०,२३,२१, ९०० रु० का दिया जाना ।

२--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं के संबंध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग २,२०,२३,२१,९०० रु० (दो अरब, बीस करोड़ तेईस लाख, इक्कीस हजार, नौ सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

श्री अध्यक्ष—अब मेरे पास कई संशोधन इस विधेयक के बारे में आये हैं। मैं खंड के हिसाब से लेता चला जा रहा हूं क्योंकि अभी-अभी मेरे सामने ये आये हैं।

श्री नारायण दत्त जी का पहला संशोधन इस प्रकार है—

धारा २ की दूसरी पंक्ति में शब्द "समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर" के बाद शब्द "उत्तर प्रदेशीय सरकार के विभिन्न संबंधित विभागों व अधिकारियों को" जोड़ दिये जायं।

यह मैं अवैध करार देता हूं, इस दृष्टि से कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक है इसलिये क्योंकि इन रकमों को विभाग "अधिकारी" और "सरकार" यह सभी मिलकर ही खर्च करेंगे और उन्हीं को खर्च करना पड़ेगा। ये शब्द जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है कि "फलां को खर्च करने के लिये" इसलिये इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

दूसरा जो है धारा २ की पंक्ति में शब्द व अंक में "दी गई सेवाओं" के स्थान पर निम्न लिखा जाय—

"व ३ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों"

इसको वे कृपा करके पेश करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि धारा २ की पंक्ति २ में शब्द व अंक में "दी गई सेवाओं" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"व ३ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों"

श्रीमन्, अगर इस धारा २ को पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि "ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ मे दी हुई सेवाओं के सम्बन्ध में करने पड़े। इसमें स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं का जिक्र दिया हुआ है। जब हम स्तम्भ २ देखते हैं तो कालम २ में "सेवायें और प्रयोजन" शब्द रखे गये हैं, यानी "सर्विसेज" ही नहीं है, "सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज" भी शामिल हैं। इस धारा में "पर्पजेज" शब्द शामिल नहीं किया गया है। इसलिये धारा २ में सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज आना बहुत जरूरी है।

दूसरी बात जरूरी यह है कि जब हम इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को देखते हैं, तो उसमें दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है—

"यह विधेयक इस बात की व्यवस्था करता है कि वित्तीय वर्ष" १९५३–५४ के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों के लिये जो धन अपेक्षित है, उसका विनियोग उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से हो सके।"

तो "राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों" यानी चार्जड जो ग्रांट्स हैं उनका कहीं जिक्र इस धारा २ में नहीं है। अगर हम शेड्यूल के कालम ३ को देखते हैं, तो उसमें दूसरा जो आइटम है वह "राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय" के संबंध में है। मेरे विचार में यदि इसको भी हम इस विधेयक में स्पष्ट कर दें तो ज्यादा मुनासिब होगा। इस तरह सब बातें स्पष्ट हो जायंगी और धारा इस प्रकार हो जायगी—

"ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तभ २ व ३ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों के संबंध में करने पड़ें।"

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इससे इस विनियोग विधेयक का सारा अर्थ स्पष्ट हो जाता है। मैं समझता हूं कि यह अत्यन्त आवश्यक है और इस बिना इस धारा का प्रयोजन ही अधूरा रह जाता है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—आप संशोधन पूरा पढ़ करके सुना दीजिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—"व ३ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों ।"

श्री अध्यक्ष—इतना ही जोड़ा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इसको जब मैं पूरा पढ़ूं, तब समझ में आयेगा ।

श्री अध्यक्ष—पढ़िये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—"ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ व ३ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों के संबंध में करने पड़ें।"

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, आपकी अनुमति से इस संशोधन में थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूं। मेरा अनुरोध है कि "नम्बर ३ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों" "प्रयोजनों", शब्द तो स्वीकार कर लिया जाय, उसके बाद "तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों" यह वाक्य अनावश्यक है। इसकी बार बार व्याख्या कर दी गयी है और इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि केवल "प्रयोजन" शब्द स्वीकार कर लिया जाय ।

मैं यह चाहता हूं कि नं० ३ में दी हुई सेवाओं तथा प्रयोजनों के संबंध में करने पड़ें, यह रहे "और तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों" यह निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—तो इसका मतलब यह है कि "३ में दी हुई सेवाओं" ये शब्द आने की जरूरत नहीं है? उसमें तो "२ में दी हुई सेवाओं" है और उनका कहना है "२ व ३ में दी हुई सेवाओं ।"

श्री परिपूर्णानन्द—मेरा निवेदन यह है कि २ में इन्होंने जो सेवाओं तथा प्रयोजनों रखा है, यहां तक तो स्वीकार कर लिया जाय, बाकी निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—इसका कारण तो बताइये ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मेरा, अनुरोध यह है कि यह ग्रांट्स यू० पी० सर्विसेज के लिये दी हुई हैं और इनका पूरा स्पष्टीकरण इस अनुसूची में दे दिया गया है। इसलिये कोई कारण नहीं है कि उसकी यहां पर पुनः व्याख्या की जाय। इसलिये यह वाक्य अप्रासांगिक और अनावश्यक है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मुझे आश्चर्य है कि माननीय परिपूर्णानन्द जी ऐसे बित्तवेत्ता ने मेरे इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया। आखिर, हम राज्य की संचित निधि पर भारित जो व्यय हैं उन्हें वोट से तो स्वीकार नहीं कर सकते पर विधान की धारा के अनुसार उन पर बहस हो सकती है और आम विवाद के समय ऐसी बहस हुई थी। एप्रोप्रियेशन बिल में अगर उसके वोट लेने की आवश्यकता न होती तो इसको शेड्यूल

३, कालम ३ में क्यों जोड़ा जाता ? ये भी सेवाओं और प्रयोजनों से संबंध रखते हैं। में उनसे पूछना चाहता हूं कि जैसे सामान्य प्रशासन के कारण व्यय में १० लाख ४२ हजार रुपया रखा गया है, जो काफी है और उनके कार्यों से संबंधित है, क्या यह प्रयोजन नहीं है ? फिर न्याय प्रशासन में जो २४ लाख रुपया रखा गया है, क्या यह प्रयोजन और सेवाओं से संबंधित नहीं है ? इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय के लिये २ लाख ८५ हजार रुपया, ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज ऋण को कम करना, और प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान बंध हैं जिसके लिये ८० करोड़ रुपया रखा है तो क्या यह सबसे बड़ा प्रयोजन, जो इस प्रांत की सरकार ने जमीदारी खत्म करने के सिलसिले में रखा है, क्या यह प्रयोजन नहीं है ? इसलिये इसे स्पष्ट न करना अन्ततः एक प्रकार से विधेयक को अधूरा करना है। इसलिये मैं माननीय परिपूर्णानन्द जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे इस संशोधन को पूर्णतया स्वीकार कर लें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं तो जो कुछ थोड़ा बहुत समझा उसकी बिना पर यह अर्ज करता हूं कि उस तरमीम के बाद इस तरमीम में जो उन्होंने बाकी रखा वह रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--मैं दोनों संशोधनों को अलग-अलग लेता हूं । पहले नारायणदत्त जी का लेता हूं। प्रश्न यह है कि धारा २ की पंक्ति ३ में शब्द व अंक में "दी गई सेवाओं" के स्थान पर निम्नलिखित लिखा जाय:--

"व ३ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब मैं परिपूर्णानन्द जी ने जो संशोधन किया है उसे पेश करता हूं।

प्रश्न यह है कि धारा २ की पंक्ति ३ में शब्द व अंक "२ में दी हुई सेवाओं" के पश्चात् "और प्रयोजनों" ये शब्द जोड़ दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, क्या यह मेरे संशोधन में संशोधन था या उनका अपना ओरिजिनल संशोधन ?

श्री अध्यक्ष--मैंने इस तरह से पेश किया जिसमें लोगों की समझ में आ जाय, कहीं गड़बड़ी न हो जाय वोट देते वक्त । इसलिये मैंने अलग-अलग ले लिये ।

अब इसके बाद तीसरा संशोधन माननीय नारायणदत्त जी का है, चौथा भी है और पांचवां भी है और मदनमोहन जी और राजनारायण जी का है। जो एक प्रकार के ही हैं । तीसरा संशोधन इस प्रकार है--

"पर प्रतिबन्ध यह है कि इतने रुपये को या उसके किसी भाग को निकालने और काम में लाने के संबंध में संबंधित विभाग और अधिकारी उन सभी निर्देशों का पूर्णतया पालन करेंगे जिन्हें समय-समय पर उत्तर प्रदेश लेखा परीक्षा रिपोर्टों और उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति ने निर्णय तथा इंगित किया है ।" यह इस विधेयक से मेल नहीं खाता। विधेयक केवल रुपये के लिये इजाजत देने वाला है। अब इसका किस तरह से खर्चा होगा यह रूल्स वगैरह इसमें ले आना ठीक नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं थोड़े में बतला दूं।

श्री अध्यक्ष—यह इतना स्पष्ट है कि उसके बारे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं एक के लिये कुछ समय दे दूंगा उस समय आप बतला दीजियेगा। इसके बाद का संशोधन इस प्रकार है—

"किन्तु प्रतिबंध यह है कि उपर्युक्त रकम की पूर्ति के लिये किसानों पर तथा अन्य गरीब जनता पर किसी भी प्रकार का नया कर भार नहीं बढ़ाया जायगा और सिंचाई की नहर रेट आधा कर दी जायगी।"

यह भी उसी प्रकार मेल नहीं खाता। अब उसके बाद का संशोधन इस प्रकार है—

"किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त रक़म की पूर्ति के लिये किसानों पर तथा अन्य गरीब जनता पर किसी भी प्रकार का नया कर भार नहीं बढ़ाया जायगा।"

यह भी उसी प्रकार मेल नहीं खाता है और इसमें स्पष्ट यह भी आपत्ति है कि कोई भी कर जब बढ़ाया जाता है तो बगैर सदन की मर्जी के नहीं बढ़ाया जाता है। तो किसी दूसरे विधेयक के द्वारा हमेशा के लिये सदन के लिये रुकावट पैदा करना कि वह कर नहीं लगा सकता कुछ अनुचित सा होगा। तो इस तरह मैंने तीनों को अवैधानिक करार दे दिया। लेकिन मैं थोड़ी सी इजाजत देता हूं माननीय नारायणदत्त तिवारी जी को कि संशोधन नंबर ३ जो आपने रखा यह किस प्रयोजन से रखा है यह आप बता दें। "अधिकारी इन सभी के निर्देश का पूर्णतया पालन करेंगे" इन बातों का संबंध आप विधेयक से कैसे जोड़ते हैं? दो, तीन मिनट में ही आपको जो कुछ कहना है वह कह दीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—पहले मैं संशोधन रख दूं?

श्री अध्यक्ष—संशोधन रखने की तो बात ही नहीं है, उसको तो मैं असंगत समझ रहा हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं श्रीमन् इसलिये इसको संगत समझता हूं क्योंकि पिछले वर्षों में भी इस प्रकार के विनियोग विधेयक आये थे और उनके अनुसार राज्य के विभागों को रुपया निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया था और तीसरी धारा में विनियोग विधेयक की हमेशा यह बतलाया गया था कि यह निकालने और काम में लाने का अधिकार उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं। तो इस संबंध में विभागों में एप्रोप्रिएशन और रिएप्रोप्रिएशन के संबंध में जो नियम बने हैं इस धारा की भावना के अनुसार उनका कोई भी लाभ नहीं। इस संबंध में मैं आडिट रिपोर्ट और पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी में जो एकाउण्टेण्ट जनरल साहब ने स्टेटमेंट दिया उसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—यह तो स्पष्ट बात है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन करने में कोई गलती भी हो तो इस लिए इस विधेयक में यह चीज आ जानी चाहिये इसका क्या तुक है यह स्पष्ट नहीं है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो विधेयक में लाने के लिये संगत इस प्रकार है कि इसके विधेयक में आने से यह हो जायगा कि आडिट रिपोर्ट में एकाउण्टेण्ट जनरल द्वारा जो बार-बार चेतावनी दी जाती है और पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी जो इस सदन की है वह बार-बार आलोचना करती है कि इस प्रकार खर्चे नहीं होने चाहिये उसको ध्यान में रक्खा जायगा, ताकि महालेखापाल को इस बात की शिकायत न हो कि यह कंट्रोल रखने के अधिकार का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं कि कहां व्यय हो रहा है। कोई उनकी चेतावनी का ध्यान नहीं रखता। बार-बार चेताइनी दी गई, बार-बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन सरकार ने उनकी राय पर कोई अमल नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---लेकिन यहां पर यह संगत नहीं बैठता। पहले जितनी त्रुटियां इन्तजाम में हुई हैं उनको दूर करना इसमें संभव नहीं है। इसके लिये तो दूसरा ही विधेयक लाना पड़ेगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता था और वह यह कि वित्त मंत्री जी ने अपने संभाषण में यह बताया था कि सिंचाई के रेट्स में डेढ़ गुनी वृद्धि कर दी गयी है लेकिन जब मैं नियमावली को पढ़ता हूं तो उसमें केवल य ह दिया हुआ है

"Have the effcet of varying the amount or altering the destination of any grant made.

[जिसका किसी अनुदान की धनराशि को बदलने या उसके उद्देश्य में परिवर्तन लाने का प्रभाव हो।]

ऐसा ही हम नहीं कर सकते लेकिन अगर हम कोई ऐसा संशोधन पेश करते हैं, जो अन्य विधेयकों में हो सकता है तो वह लिया जाना चाहिये क्योंकि वित्त मंत्री जी ने यह स्पष्ट घोषणा कर दी है कि नहर के रेट्स डेढ़ गुने होंगे। इसलिये कम से कम उतना अंश जो इससे संबंधित है वह रहने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---सदन को सब अधिकार हैं अगर कोई भी मंत्री या वित्त मंत्री कोई टैक्स का रेट तय करें तो उनको वह काट दे, और इसके लिये मंत्रियों को वाध्य होना पड़ेगा लेकिन इस विधेयक के सिलसिले में इसका कोई तुक नहीं मिलता। भवन के नियम के उक्त प्राविजनों में जो दिया गया है वह उन नियमों के अलावा है जो कि साधारण अवस्था में संशोधन पेश करने के नियम हैं। यानी एप्रोप्रियेशन बिल में ऐसे संशोधन भी नहीं होंगे। संशोधन के जो नियम हैं उनमें ३,४ बातें बताई गयीं हैं। नियम १७७ इस प्रकार है---

"177 (i) An amendment must be relevant to the subject matter of the motion to which it is proposed."

["१७७(१) प्रत्येक संशोधन उस प्रस्ताव के विषय से सुसंगत होना चाहिये जिस पर वह प्रस्थापित किया जाय।]

इसके बाद पांचवीं उपधारा इस प्रकार है---

"(5) The Speaker may at any stage disallow an amendment or refuse to put an amendment which is in his opinion frivolous.,,

[अध्यक्ष किसी प्रक्रम में किसी संशोधन को, जो उसकी राय में निरर्थक हो, अननुज्ञापित कर सकता है या उस पर मत लेना अस्वीकार कर सकता है।]

यानी व्यर्थ या अनावश्यक न होना चाहिये। वैसे तो ये प्रतिबन्ध ही लागू होने चाहिये लेकिन मैं इसको सब्जेक्ट मैटर की दृष्टि से भी रेलेवेंट नहीं समझता, इसलिये इसकी इजाजत नहीं दे सकता।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

विनियोग।

३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ की पहली पंक्ति में से एक शब्द 'जिन' और दूसरी पंक्ति में से एक शब्द 'उन' निकाल दिया जाय। यह एक शाब्दिक संशोधन है, जो धारा की सुन्दरता को बढ़ा देता है।

श्रीमन्, खंड ३ इस प्रकार है--

"३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।"

इसमें शब्द "जिन जिन" और "उन उन" रखे गये हैं जो इससे पहले किसी विधेयक में नहीं रखे गये। मैंने इससे पहले जो अनुपूरक विधेयक पास हो चुके हैं उनको पढ़ने की चेष्टा की लेकिन उनमें भी केवल शब्द 'जिन' और 'उन' का प्रयोग हुआ है। इसलिये मैं चाहता हूं कि ये निरर्थक शब्द निकाल दिये जायं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---मान्यवर, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने जो संशोधन पेश किया है, आपकी अनुमति से मैं उसका विरोध करता हूं। इसका कारण श्रीमन्, स्पष्ट है और वह यह है कि उन-उन धनराशियों का जो ऊपर के वाक्य में आया है, कहा गया है। जिन-जिन नहीं आया है। इसलिये वह माननीय नारायण दत्त जी को खटक तो रहा है लेकिन मुझे खेद है वह ठीक नहीं जंचता और इन शब्दों का अपनी जगह पर रहना आवश्यक है अन्यथा स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, माननीय परिपूर्णानन्द जी अगर अंग्रेजी का अनुवाद पढ़े होते तो शायद मेरी बात उनकी समझ में आ सकती।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---मैंने पढ़ा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---अगर वे अंग्रेजी में ह्विच ह्विच, और ह्वाट ह्वाट, इस प्रकार की शब्दावली के इस्तेमाल करने के आदी रहे हों तो मैं नहीं कह सकता अगर इंगलिश में ह्विच ह्विच और ह्वाट ह्वाट नहीं लिखा जाता तो जिन-जिन और उन-उन लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बात को तो वे भी समझते होंगे इसलिये मैं इस संबंध में विशेष नहीं कह सकता।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाबवाला, अगर ह्विच ह्विच और ह्वाट ह्वाट की बात होती तो मैं उस अमेंडमेंट को जरूर मान लेता, लेकिन ऐसा है नहीं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि धारा ३ की प्रथम पंक्ति में से शब्द "जिन" और दूसरी पंक्ति में से शब्द "उन" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धारा ३ में यह संशोधन करना चाहता हूं ।

"इस अधिनियम के द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में 'साधारणतया' उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं। इसके आगे इतना और जोड़ दिया जाय।"

"किन्तु प्रतिबंध यह है कि सर्व श्री पंडित गोविन्द वल्लभ पंत. . . . . .

श्री अध्यक्ष—यह तो आपने मेरे पास नहीं भेजा है ?

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मैंने दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। यह तो दूसरा है। यह आपका संशोधन नहीं था। वह अलग से संशोधन आया था। इसमें इतना है कि शब्द, साधारणतया' जोड़ दिया जाय और प्रतिबन्ध क बाद में स्वतंत्रत रूप में आयेगा ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—तो श्रीमन् यह शब्द 'साधारणतया' जोड़ दिया जाय। इस संबंध में मुझे बहुत अधिक नहीं कहना है। अगर इस 'साधारणतया' शब्द के जोड़ने में इस सदन को कोई शक हो तो श्री जयराम वर्मा और श्री श्रीचन्द से भी इस संबंध में राय ले ली जाय कि यह ठीक है कि नहीं।

श्री अध्यक्ष—उनकी जगह श्री परिपूर्णानन्द जी बतलायेंगे।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मान्यवर, कुछ स्पष्ट नहीं हुआ कि आपने अन्त में क्या कहा।

श्री अध्यक्ष—संबंध के बाद 'साधारणतया' शब्द जोड़ दिया जाय। यही प्रश्न है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—श्रीमन्, यहां पर शब्द 'साधारणतया' की कोई आवश्यकता ही नहीं है। समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं। साधारणतया का अर्थ आर्डिनरिली होता है। तो यहां पर एक्स्ट्रा आर्डिनरिली की कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—इनका मतलब यह है कि उन प्रयोजनों के अलावा गवर्नमेंट किसी विशेष अवस्था में खर्च कर सकती है, ऐसा अधिकार दे दिया जाय ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—श्रीमन्, यह भी ऐक्ट के नियम के विरुद्ध होगा ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत जगह देखा है कि बहुत विभाग वाले एक मद की रकम दूसरे में खर्च कर देते हैं जो कि वे कर नहीं सकते। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसका अधिकार दे दिया जाय कि जैसे अगर पुलिस का बजट हो तो वह दूसरे ऐडमिनिस्ट्रेशन पर भी खर्च हो सके। इसलिये साधारणतया जो जिसके लिये वह रकम है उस पर तो खर्च होगा ही लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो दूसरे मद पर भी वह खर्च किया जा सके यह कानूनी अधिकार उनको दे दिया जाय। हमारे ही यहां एक सड़क का रुपया दूसरी सड़क पर खर्च किया गया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर शब्द "साधारणतया" जोड़ दिया जाय ताकि पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी को कोई एतराज वगैरह करने का मौका न मिले।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा ३ की पंक्ति ४ में शब्द 'संबंध' के आगे शब्द 'साधारणतया' जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं—

धारा ३ के अंत में 'के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं' के स्थान पर निम्न शब्द लिखे जायं—

"तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों के लिये ही किया जायगा, जो अनुसूची के स्तम्भ २ व ३ में दिये हुये हैं।"

जैसा अन्त में "उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं" मैं इसको और स्पष्ट कर देना चाहता हूं यानी उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों के लिये ही किया जायगा जो अनुसूची के स्तम्भ दो व तीन में दिये हुये हैं। जैसा स्तम्भ दो और तीन का जिक्र धारा २ में किया गया है उसी प्रकार हम चाहते हैं कि स्तम्भ दो व तीन धारा तीन में भी लिख दिये जायं। वित्त मंत्री जी से पुनः मैं निवेदन करूंगा कि वह हमारे प्रयोजन को समझने की चेष्टा करें और धारा २ में दिये हुये स्तम्भ दो व तीन का इसमें भी जिक्र करना अत्यन्त आवश्यक है। जब तक इस शेड्यूल और कालम तीन का जिक्र इस धारा में नहीं आयेगा तब तक हम उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये खर्च नहीं कर पायेंगे जिनका जिक्र इस शेड्यूल में किया गया है क्योंकि शेड्यूल जो है वह इस विधेयक का एक अंग है और जब तक हम स्पष्टता नहीं बतलाते कि हमारी मंशा किस कालम से और किस अनुदान से है तब तक मैं समझता हूं कि धारा का रूप स्पष्ट नहीं हो पायेगा। इसलिये मैं आपकी आज्ञा से माननीय वित्त मंत्री जी से दोबारा प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मुझे खेद है कि ऐसे सब संशोधन जो इस सदन के सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं उनसे स्पष्टतया यह प्रतीत होता है कि माननीय सदस्यों को एप्रोप्रियेशन बिल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके संबंध में कुछ नियम होते हैं।

श्री अध्यक्ष—शब्द 'माननीय सदस्यों' का अर्थ सब सदस्यों से होता है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मेरा अर्थ माननीय सदस्य से है। उनको कुछ जानकारी नहीं है इसलिये उन्होंने ऐसे दो तीन संशोधन उपस्थित किये इसके लिये कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। संविधान की धारा २०२, २०३ के अनुसार ग्रांट पेश होती है और उनको स्वीकार किया जाता है और उनको खर्च किया जाता है और एप्रोप्रियेशन बिल में उनको दिखाया जाता है। संविधान की धारा २६६ के अनुसार तो स्पष्टतः यह आदेश मिलेगा कि कंसालिडेटेड फंड में जो रकम स्वीकार हो चुकी है उसको उसी प्रकार जिस प्रकार उसका नियोजन स्वीकार हो चुका है उसी प्रकार खर्च होगा। और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता है। अगर इसको एक ऐसा अनुच्छेद कर दें जिसका तात्पर्य यह होता है कि हम इस धारा में एक क्वालिफाइंग सेंटेंस लगा रहे हैं हमारे संविधान में इस संबंध में जो नियम हैं उनके विपरीत कार्य होगा। सदन जो ग्रांट्स जिस रूप से खर्च करने के लिये मंजूर कर चुका है वह किसी और रूप में खर्च हों यह असंभव है और आशा है कि माननीय सदस्य इन दोनों धाराओं को देखने के बाद इस संशोधन को अनावश्यक समझेंगे और उसे वापस ले लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो स्पष्टतया ग्रांट्स को अलग रखा गया और एक्सपेंडीचर को अलग रखा गया है। कहीं पर भी यह मिला नहीं दिये जाते हैं । विधान में अलग-अलग लिखे गये हैं। जो आप ने २६६ बताया तो वह कांसालीडेटिड फंड्स आफ स्टेट की परिभाषा है और वह विधेयक से रिलेवेंट नहीं हैं। तो फिर अगर इसको पढ़ने के बाद माननीय परिपूर्णानन्द जी इसको उपस्थित करने के लिये तैयार हैं तो मुझे प्रसन्नता होगी। अगर वह इसको गौर से पढ़ें तो मैं समझता हूं.....

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैंने तो बहुत गौर से इस बात को सुनने की कोशिश की और समझना चाहा कि आखिर तरमीम में क्या है और क्या परिवर्तन होने वाला है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि इस तरमीम को लाने से खराबी हो जायेगी। इस लिये मैं तो इस अमेंडमेंट को मंजूर करने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—कैसे खराबी हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा ३ के अन्त में "के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं" के स्थान पर निम्न शब्द लिखे जायें—

"तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों के लिये ही किया जायेगा जो अनुसूची के स्तम्भ २ व ३ में दिये हुये हैं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—धारा ३ में ३ संशोधन मेरे पास आये थे—अन्य दो निम्न प्रकार के हैं—

(अ) धारा ३ के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिये जायं—

"पर प्रतिबंध यह है कि उपर्युक्त धनराशियों का विनियोग करते समय संबंधित विभाग व अधिकारी उन सभी निर्देशों का पूर्णतया पालन करेंगे जो व्यय के नियन्त्रण, व्यय वृद्धियों व बचतों के शमन, बची हुई और समर्पित की जाने वाली धनराशियों के समानीकरण आदि के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक लेखों समिति के विनियोग लेखों के संबंध में विचार करते हुये, समय-समय पर इंगित व निर्णीत की हैं"।

(ब) धारा ३ के अन्त में निम्नांकित बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सदन के नेता व विरोधी दल के नेता, वित्त मंत्री श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, श्री सम्पूर्णानन्द जी गृह मंत्री, श्री मदन मोहन उपाध्याय, चेयरमैन पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी, श्री बालेन्दुशाह तथा एकाउण्टेण्ट जैनरल, की उपसमिति अनुसची में दिये हुये सेवाओं तथा प्रयोजनों में परिवर्तन भी कर सकती है और उन पर खर्च होने वाली रकम के खर्च प्रणाली को भी व्यवस्थित कर सकती है"

तो अनावश्यक तथा असंगत होने से मैं उनको अवैध करार देता हूं।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ३ उस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	क– राजस्व लेखा (रेवेन्यू एकाउंट)–			
	१–कृषि आय–कर (ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स) की उगाही (कलेक्शन) पर व्यय ..	२,३२,९००	..	२,३२,९००
	२–मालगुजारी	२,८९,७९,७००	..	२,८९,७९,७००
	३–राज्य आबकारी (स्टेट एक्साइज)	१,०७,९५,०००	..	१,०७,९५,०००
	४–स्टाम्प	५,०१,६००	..	५,०१,६००
	५–बन (फ़ारेस्ट) ..	१,२६,८४,७००	..	१,२६,८४,७००
	६–रजिस्टरी ..	१३,७२,६००	..	१३,७२,६००
	७–मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय	८८,००,०००	..	८८,००,०००
	८–अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय	२७,५०,७००	..	२७,५०,७००
	९–राजस्व (रेवेन्यू) से किये जाने वाले सिंचाई (इरिगेशन) के निर्माण कार्य	२,२८,१९,०००	..	२,२८,१९,०००
	१०–सिंचाई (इरिगेशन) स्थापना पर व्यय	२,२४,००,०००	..	२,२४,००,०००
	११–रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय	१५,३६,२००	..	१५,३६,२००
	१२–सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	३,१०,२२,८००	१०,४२,८००	३,२०,६५,६००
	१३–कमिश्नरों और जिला प्रकाशन (एडमिनिस्ट्रेशन) का व्यय	२,६६,०७,१००	..	२,६६,०७,१००
	१४–गांव सभाएं और पंचायतें ..	९२,५०,२००	..	९२,५०,२००
	१५–न्याय प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन आफ़ जस्टिस)	१,२२,६५,०००	२४,९०,८००	१,४७,५५,८००
	१६–जेल	१,१२,३४,०००	..	१,१२,३४,०००
	१७–पुलिस	७,१६,००,०००	..	७,१६,००,०००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१८–वैज्ञानिक विभाग (साइन्टिफ़िक डिपार्टमेंट्स)	..	..	..	..
१९–शिक्षा	.. ..	८,५४,७७,२००	..	८,५४,७७,२००
२०–चिकित्सा (मेडिकल)	..	२,४५,९२,५००	..	२,४५,९२,५००
२१–जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ)		१,४१,७६,०००	..	१,४१,७६,०००
२२–कृषि सम्बन्धी विकास और खोज (एग्रिकल्चरल डेवेलप्मेंट ऐन्ड रिसर्च)	..	१,७०,१०,२००	..	१,७०,१०,२००
२३–कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ऐंड कालोनाइजेशन)	..	१,५६,३३,३००	..	१,५६,३३,३००
२४–ग्राम सुधार (रूरल डेवेलप्मेंट)		..	..	..
२५–पशुचिकित्सा (वेटेरिनरी)	..	१,२६,१४,७००	..	१,२६,१४,७००
२६–विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं..		१,५७,६७,२००	..	१,५७,६७,२००
२७–विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय	.. ..	७३,०९,६००	..	७३,०९,६००
२८–सहकारिता के आधार पर ऋण..		६२,१४,६००	..	६२,१४,६००
२९–उद्योग	.. ..	१,०४,७२,६००	..	१,०४,७२,६००
३०–श्रम (लेबर) और संख्या	..	२५,०९,४००	..	२५,०९,४००
३१–वाहन (ट्रांस्पोर्ट) विभाग	..	३,६८,४५,०००	..	३,६८,४५,०००
३२–सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं..		३,४६,६०,१००	२,८५,२००	३,४९,४५,३००
३३–यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्तपोषित)	..	२६,००,१००	..	२६,००,१००
३४–सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय	..	३८,०७,४००	..	३८,०७,४००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
३५—नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (ग्राण्ट्स-इन-एड आफ़ सिविल वर्क्स)		३५,०८,१००	..	३५,०८,१००
३६—दुर्भिक्ष सहायता (फ़ेमीन रिलीफ़)		१३,७८,५००	१६,००,०००	२९,७८,५००
३७—प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें और भारतीय शासकों को निजी खर्चे		८,१५,८००	..	८,१५,८००
३८—बढ़ौती (सुपरऐनुएशन) भत्ते और पेंशनें		१,८५,४४,३००	१,३२,०००	१,८६,७६,३००
३९—लेखन-सामग्री (स्टेशनरी) और छपाई		८३,३७,२००	..	८३,३७,२००
४०—विविध व्यय (मिस्लेनियस चार्जेज)		९,७०,२८,४००	१,०००	९,७०,२९,४००
४१—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान		५४,५५,२००	..	५४,५५,२००
४२—असाधारण व्यय (एक्स्ट्रा आर्डिनरी चार्जेज) ..		३,१५,७१,८००	..	३,१५,७१,८००
४३—योजना और एकीकरण ..		१,९५,६६,२००	..	१,९५,६६,२००
ऋण (डेट) और अन्य दायित्वों (आब्लिगेशन्स) पर ब्याज	..		५,४१,८०,४००	५,४१,८०,४००
ऋण को कम करना (रिडक्शन) या उससे बचना (अवायडेंस)	..		२३,५६,८४,१००	२३,५६,८४,१००
प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान बन्ध	..		८०,२५,००,०००	८०,२५,००,०००
योग 'क'	..	७५,०७,४६,९००	१,०९,७९,१६,३००	१,८४,८६,६३,२००

ख—राजस्व लेखे के बाहर पूंजी व्यय—

४४—राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट्स) के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन	..	३,४१,३०,०००	..	३,४१,३०,०००

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
४५—कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (कैपिटल आउटले) ..		१,५९,८०,०००	..	१,५९,८०,०००
४६—औद्योगिक विकास (इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट) ..		१,१५,१६,५००	..	१,१५,१६,५००
४७—राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउटले) ..		१,४९,८८,३००	..	१,४९,८८,३००
४८—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत ..		३,६२,१४,७००	..	३,६२,१४,७००
४९—कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों (गवर्नमेंट बस सर्विसेज), सहायता और पुनर्वासन (रिलीफ़ ऐन्ड रिहैबिलिटेशन) की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत ..		८३,७४,६००	..	८३,७४,६००
५०—पेन्शनों की संराशि (कम्युटेड वेल्यू आफ़ पेंशन्स) ..		१९,८५,०००	२५,०००	२०,१०,०००
५१—राज्य व्यापार (स्टेट ट्रेडिंग) की योजनायें ..	..	१९,९२,१०,०००	..	१९,९२,१०,०००
योग 'ख' ..		३२,२३,९९,१००	२५,०००	३२,२४,२४,१००
ग—ऋणों और अग्र-ऋणों (लोन्स ऐन्ड एडवान्सेज) का भुगतावा (डिस्बर्समेंट)				
५२—ब्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण (एडवांसेज) ..	..	३,१२,३४,६००	..	३,१२,३४,६००
योग 'ग' ..		३,१२,३४,६००	..	३,१२,३४,६००
कुल योग ..		१,१०,४३,८०,६००	१,०९,७९,४१,३००	२,२०,२३,२१,९००

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १

संक्षिप्त शीर्षनाम १—यह अधिनियम १९५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

१९५३ ई०का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)

३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रिएशन) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

श्री अध्यक्ष—प्रस्तावना में श्री नारायणदत्त तिवारी का संशोधन है। इसमें यह है कि प्राक्कथन की द्वितीय पंक्ति में शब्दों "व्यय के लिये" व कतिपय धनराशियों के बीच में शब्द "उत्तर प्रदेशीय सरकार के विभिन्न संबंधित विभागों व अधिकारियों को" जोड़ दिये जायँ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर इस प्राक्कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाय तो इसमें इस प्रकार से है कि "३१ मार्च, सन् १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय।" मैं चाहता हूं कि "व्यय के लिये" और कतिपय धनराशियों के बीच में "उत्तर प्रदेशीय सरकार के विभिन्न संबंधित विभागों व अधिकारियों को" जोड़ दिये जायं। अगर उत्तर प्रदेशीय सरकार हम नहीं रखते हैं तो हमको यह मालूम नहीं होता कि अधिकार किसको दिया गया है। २ अरब २० करोड़ रुपये का भुगतान का अधिकार किसको है, किस विभाग के हाथ में या राज्य सरकार को है, इस बात का पता नहीं चलता है। जब तक ये शब्द जो मैंने अभी जोड़ कर बतलाये हैं इसके अन्दर नहीं जोड़े जाते हैं तो यह बिलकुल स्पष्ट नहीं होता कि अधिकार किसको है। कानून स्पष्ट होना चाहिये जिससे सब लोग उसको आसानी और सुविधा से समझ सकें। अगर यह शब्द जोड़ दिये जाते हैं तो यह बिलकुल साफ़ हो जायगा और यह शब्द उचित और आवश्यक है। इसी प्रकार से ३१ मार्च, सन् १९५४ ई० को समाप्त होने वाले साल के व्यय के लिये उत्तर प्रदेशीय सरकार उसके विभिन्न संबंधित विभागों को भी इसका अधिकार रहता है कि वह व्यय कर सकें। इसलिये इन शब्दों का यहां पर आना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम संबंधित अधिकारियों और विभागों को इसमें नहीं रखते हैं तो हमारी इतनी बड़ी डिटेल इस बजट में है और ५२ अलग २ अनुदान हैं तो उसमें कठिनाई पैदा हो सकती है। इसलिये मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जब तक इन शब्दों को, जो मैंने अभी अपने संशोधन में बतलाये हैं अगर इनको नहीं जोड़ा जाता है तो यह मालूम नहीं हो सकेगा कि किसको अधिकार है? इसलिये इन शब्दों का यहां पर जोड़ा जाना परम आवश्यक है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि मालूम होता है कि नारायणदत्त जी को एप्रोप्रियेशन बिल का अर्थ ही नहीं मालूम है अन्यथा वह इस संशोधन को यहां पर न लाते। यदि वह धारा ३६६,३७२ और १६६ को देखेंगे तो मालूम होगा कि एप्रोप्रियेशन किसको कहते हैं और उसके क्या रूल्स हैं। इसलिये वे ३६६,३७२,१६६ और २८३ को भी मिला कर पढ़ लें तो मालूम हो जायगा कि इस प्रकार के जो बिल होते हैं वे किसी न किसी प्रकार के नियमों से संबंधित होते हैं। उनमें बहुत से स्पष्टीकरण की और इधर-उधर के शब्दों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। अगर वे गौर से देखेंगे तो मालूम होगा कि इन वाक्यों के जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा और ये अनावाश्यक और अनर्गल हैं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---इससे ज्यादा मैं और अर्ज करना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष---मैं संशोधन के पेश करने की आवश्यकता नहीं समझता। नारायणदत्त जी ने जो इतना कहा है उस में उन्हें सिर्फ यह शंका लगती है कि वह रुपया जो मंजूर किया जाता है उसे कौन खर्च करेगा क्योंकि प्रस्तावना में यह नहीं कहा गया है कि उत्तर प्रदेशीय सरकार के विभिन्न विभाग खर्च करें या अधिकारी खर्च करें। अब उनके दिल में मालूम नहीं क्या शक है कि सरकार और संबंधित अधिकारियों को छोड़कर कोई तीसरा भी खर्च कर सकता है। लेकिन ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। अगर ये शब्द न डाले जायं तो भी इसमें आगे चल कर दिया हुआ है जिससे स्पष्ट होता है कि यह विधेयक किस लिये हैं और यह धन किस-किस प्रयोजनों के लिये खर्च होगा? और यह माना ही जाता है कि सरकार तथा जो विभागीय अधिकारी इसमें रहते हैं उन्हीं के ज़रिये खर्च होगा। अलावा इसके माननीय नारायणदत्त जी ने वह अधिकार सरकार से छीन कर सिर्फ विभागों को ही देने का प्रयास किया है। इसलिये विधान के हिसाब से भी यह अवैधानिक है, इन सब कारणों से मैं इसको इजाज़त नहीं देता हूं।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५३ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) को पारित किया जाय।

श्री राजनारायण---श्रीमन्.....

श्री अध्यक्ष---जो अमेंडमेंट हुआ है उसी पर आप बोल सकते हैं।

श्री राजनारायण---श्री नारायणदत्त जी का जो एक संशोधन माननीय परिपूर्णानन्द जी की विशेष दूरदर्शिता के फलस्वरूप स्वीकार हो पाया है, उसी के महत्व को सामने रखते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब सेवाओं और प्रयोजनों पर इस बजट की रक़मों को हम खर्च करने लगें तो पिछली बार जो ग़लतियां और खामियां हुई हैं उनको दुहराया न जाय। श्रीमन्, मुझे इस समय कुछ कहने की आवश्यकता इसलिये हुई कि मैं देखता हूं कि हमारे राज्य सरकार के मुख्य मंत्री जी भी यहां पर उपस्थित हैं। पारसाल भी जब विनियोग विधेयक पर चर्चा चल रही थी मैंने खिदमत में इन्हीं बातों को निवेदन किया था कि ४९-५० की जो रिपोर्ट पास हुई थी उसमें १९,६४३ आपत्तियां देखी गयी थी और भिन्न-भिन्न मदों और सेवाओं और प्रयोजनों पर जो खर्चा हुआ था उसमें १४ करोड़ की रक़म (आपत्ति के अन्दर थी) इन्वाल्व्ड थी और बाद में अपने भाषण के दौरान में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर यह बताया था कि जांच की गई और वह १४ करोड़ की रक़म अब कम होकर ६ करोड़ के रूप में आ गयी है और आगे चल कर शायद इसका हिसाब-किताब ठीक से देखा जाय तो वह रुपया भी बिलकुल खत्म हो जायेगा और सारा मामला ठीक हो जायगा। तो जैसा आप ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में सवा बजे के पहले ही इसको समाप्त कर देना है तो तीन मिनट का समय जो रह गया है उसी में यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर इस तरह का कोई अंकुश लगावें जिससे जो समय-समय पर रक़में नहीं लिखी जाती हैं वहीं ठीक समय पर लिखा जाय, और सेवाओं और प्रयोजनों के कामों में यह जो आमदनी आती

[श्री राजनारायण]

है वह सरकार देखे कि नियमित रूप से राज्य व्यापार में और और दूसरी मदों से कितनी रक़म आई। यह ठीक से ब्योरा नहीं दिया जाता है। सरकारी और ग़ैर सरकारी मदें अलग-अलग हैं मगर निजी पूंजी को भी उसी में मिला दिया जाता है। इस तरह से यह बड़ा दोष माना गया है। जो भारत का सब से बड़ा प्रदेश है और जो कुल देश का १/५ है, जो सब से बड़े राज्य का सबसे बड़ा बजट है, उसमें तो और ज्यादा मुस्तैदी और देखभाल से चीजें साफ़-साफ़ रखना चाहिये। इतना ही कहने के बाद मैं इस आशा को ले कर बैठता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी आगे इस पर ध्यान रखेंगे।

एक बात और कह देना चाहता हूं और वह यह है कि जब बजट अधिवेशन शुरू हुआ था तो उससे एक महीना पहले ही मैंने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री के पास भेजा था कि हम लोगों को, जो-जो राज्य सरकार के व्यापार हुये हैं, उन सब का ख़र्च, मुनाफ़ा वग़ैरा का हिसाब और उस का पूरा ब्योरा हमें दिया जाय, वह पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी को भेज दिया गया था। परन्तु खेद है कि बजट अधिवेशन के ६ दिन के बाद उस पत्र क उत्तर माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से आया कि यह तो २ साल पहले के एकाउन्ट बजट में आते हैं और इस समय उन की चर्चा करना जरूरी नहीं है, इसलिये हम समझते हैं कि उनके लिये इतनी मेहनत करना इस वक्त आवश्यक नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब अगला बजट आये तो हमारे सामने इस तरह का पूरा चित्र आना चाहिये चाहे उस रूपमें रखने में उन्हें कुछ दिक्क़त हो। जैसे इस बजट के कुछ आंकड़े माननीय मदनमोहन जी ने रखे थे और बाद में माननीय वाहन मंत्री जी ने फिर दूसरा बजट ला कर रखा और उन्होंने कहा कि बजट के आंकड़े ग़लत हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह की बात दोहरायी न जाय। आइन्दा ऐसी चीज़ हमारे सामने न आनी चाहिये कि मंत्री जी कहें कि बजट ग़लत है। और बहुत विचार के बाद बजट हमारे सामने आना चाहिये और हर मद के पूरे आंकड़े हमारे सामने आने चाहिये।

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कभी नहीं कहा कि बजट के आंकड़े ग़लत हैं। मैंने तो केवल यह अर्ज किया था कि उनके समझने में कुछ दिक्कत मालूम होती है और सही चित्र का पता नहीं चलता है और इसलिये मैंने दूसरे आंकड़े दिये थे।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जनाब स्पीकर साहब, मैं तो अभी गवर्नमेंट की तरफ़ से पूरी बात जिम्मेदारी की बाबत हिसाब और रुपये के ख़र्च की अर्ज कर चुका हूं और उस को दोहराना नहीं चाहता। एक बात फिर दोहराई गयी इसके मुताल्लिक़ कि जो आडिट एतराज थे उस पर भी मुख्य मंत्री जी ने इसी हाउस में सब का जवाब बतला दिया था, रिपोर्ट सुना दी थी। अब उसको मैं फिर दोहराऊं तो वक्त सर्फ करना बेकार है, उसकी जरूरत नहीं है और जवाब देने की कोई बात नहीं है। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि इसको पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, (एप्रोप्रियेशन बिल) जैसा कि वह इस सदन से संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ के नियम ३९ में प्रस्तावित संशोधन पर विचार

श्री उपाध्यक्ष—यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ की धारा २१ के अनुसार यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ के नियम ३९ में प्रस्तावित संशोधन पर, जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर १९ फरवरी, १९५३ को रखी गयी थी, सदन द्वारा मत प्रकाशन।

जो माननीय सदस्य मत प्रकाशन करना चाहें तो वह कर सकते हैं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हू कि अभी शुक्रवार के दिन माननीय राजस्व मंत्री ने जब एग्रीकल्चरल टैक्स से संबंधित विधेयक विचारार्थ रखने को कहा था तो उस दिन हमने माननीय अध्यक्ष महोदय से उसे विचारार्थ न रखने का निवेदन किया था और माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि इस पर २४ तारीख को निश्चय करेंगे । तो २४ तारीख को कोई बात आयी नहीं और आज के कार्यक्रम में यू० पी० मोटर वैहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट को देखा। जो रिपोर्ट उस वक्त रखी गयी थी उसको हम लोगों ने बहुत तलाश भी किया था कि पढ़ें, मगर वह मिली नहीं। मैं आपके जरिये निवेदन करूंगा कि इसको किसी दूसरे दिन ले लें ताकि वह रिपोर्ट जो १९ फरवरी को रखी गयी थी, इसको प्राप्त कर के अध्ययन कर सकें। तब अपने मत का प्रकाशन करें। इस लिये आप की आज्ञा से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर वह सही माने में सदन के मत का प्रकाशन होने देना चाहते हैं तो हमारी प्रार्थना पर ध्यान दें और हमको इतना समय दें कि हम उस का अध्ययन कर सकें और तब अपने मत का प्रकाशन करें।

परिवहन मंत्री श्री विचित्रनारायण शर्मा)—उपाध्यक्ष महोदय, यह इतनी छोटी सी चीज है कि वास्तव में पहले ही दिन मैं चाहता था कि यह प्रश्न न उठता। यह तो बहुत छोटा सा टैकनिकल सवाल था और वह यह था कि जिस समय रूल्स बने थे तो यह ख्याल था कि "पब्लिक सर्विस मोटर वेहिकिल्स" में गुड्स कैरियर्स भी आते हैं। लेकिन बाद में इंटरप्रिटेशन में शक होने लगा कि इसमें सिर्फ पब्लिक वेहिकिल्स आती हैं, गुड्स कैरियर्स नहीं आते हैं। उस ग़लत-फ़हमी को दूर करने के लिये इस बात की जरूरत हुई कि रूल्स में गुड्स कैरियर्स और वेहिकिल्स बढ़ा दिया जाय। इसमें किसी सिद्धांत का परिवर्तन नहीं है। जो प्रैक्टिस पहले थी जिसमें कुछ डाउट था, उस डाउट को सिर्फ साफ किया गया है। इस में कोई नयी चीज नहीं की जा रही है। मैं समझता हूं कि इसके लिये समय की आवश्यकता नहीं। मैंने निवेदन किया था कि जिन माननीय सदस्यों को आपत्ति हो उन से पूछ लिया जाय और अगर जरूरत हो तो विचार किया जाय।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट रखी गयी थी वह रिपोर्ट है ही नहीं। यह हो सकता है जैसा कि माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि बिलकुल टेकनिकल संशोधन है। लेकिन अगर वह समझते हैं कि टेकनिकल है तो फिर सदन के द्वारा मत प्रकाशन की बात ही क्यों करते हैं। उसको अपने ही से समझ लें। लेकिन अगर वह चाहते हैं कि सदन अपने मत का प्रकाशन करे तो हमें उसको पढ़ना ही पड़ेगा और समझना ही पड़ेगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कोई रिपोर्ट नहीं रखी गयी थी। सिर्फ जरा सा रूल रखा गया था।

श्री उपाध्यक्ष—अगर माननीय सदस्य चाहें तो उनकी जानकारी के लिये मैं उसको पढ़ दूं।

After the words "public service motor vehicles" in line 1 of clauses (d) and (e) of Rule 39 of the said rules insert the words "and goods vehicles."

"गुड्स वेहिकिल्स" भी इसमें शामिल किया गया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—मन्त्री जी जरा समझा दें तो पता चलेगा कि उसका मतलब क्या है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह विषय तो उपाध्यक्ष महोदय, इतना छोटा सा है कि पहले जो रूल्स थे उन में सिर्फ "पब्लिक सर्विस मोटर वेहिकिल्स" यह शब्द आते थे और उन से यह मतलब निकलता था कि उस में "गुड्स कैरियर्स" यानी ट्रक्स वगैरा भी शामिल हो जाते थे, और जो "स्टेज कैरेजेज" जिस में पैसेंजर्स बैठते हैं वह भी शामिल हो जाते थे। बाद में एक दूसरा ऐक्ट आ जाने की वजह से एक दूसरी गलतफहमी पैदा हो गयी और खास तौर से हमारे प्रान्त में नहीं, दिल्ली में यह गलतफहमी हुई, जिसकी वजह से जो मोटर गुड्स ट्रक्स थे उनको इसके परव्यु से एक्सक्लूड कर दिया गया। इसलिये हमने अपने रूल्स में यह संशोधन कर दिया ताकि यह गलतफहमी न रहे। इसलिये यह रखा गया कि "गुड्स कैरियर्स" भी इसमें शामिल कर दिये जायं। इतना ही क्लाज इसमें बढ़ा दिया गया और कोई नयी चीज नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय परिवहन मन्त्री जी ने इस को समझाने के लिये जो बात कही वह तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई। मेरा मतलब यह है उप ध्यक्ष महोदय, कि जब सफाई करनी ही है तो सब चीज की सफाई कर ली जाय वरना फिर कनफ्यूजन आ जायगा इस में। इसलिये मेरा संशोधन इसमें यह है कि कन्फ्यूजन को दूर करने के लिये जब रूल्स में संशोधन कर ही रहे हैं तो "पब्लिक सर्विस मोटर वेहिकिल्स" जहां लिखा है उसके आगे "स्टेज कैरेजेज ऐन्ड गुड्स वेहिकिल्स" रख दिये जायं। इसके बाद तो मैं समझता हूं कि कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें गुड्स कैरेजेज भी आ जायंगे और स्टेज कैरेजेज भी आ जायंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सूरत यह है कि यह अमेंडमेंट माननीय सदस्यों की दिक्कत को हल करने के लिये नहीं किया गया था बल्कि जो वाकई डिफिकल्टीज रेज की गयी हैं उनको हल करने के लिये किया गया था और जिस क्वार्टर से यह रेज की गयी थीं वह डिफिकल्टीज इससे बिलकुल सैटिस्फाइड हो जाती हैं क्योंकि यह दिक्कत और सिफारिश उन्होंने ही पेश की थी। इसके अलावा पब्लिक सर्विस मोटर वेहिकिल्स में सिर्फ स्टेज कैरेजेज और ट्रक्स ही नहीं आते हैं बल्कि ट्रैक्टर्स और दूसरी चीजें भी आती हैं जिनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं इसलिये जो जरूरी शब्द है वह हमको रखना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि सदन नें अपना मत प्रकट कर दिया है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं इतना ही मत प्रकट कर दूं कि हमने तो अपना मत प्रकट नहीं किया। हम को जो आवश्यक सामग्री उपलब्ध होनी चाहिये वह माननीय मन्त्री जी ने नहीं रखी। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह कोई सदन का मत प्रकाशन न माना जाय। माननीय मन्त्री जी जो कुछ चाहें कर लें। हम अपना मत प्रकट नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष—आप चाहें तो अपना मत प्रकट कर सकते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम को जो वाहन विभाग से एक बित्ते का कागज मिला वह यह है कि "यूनाइटेड प्राविन्सेज मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ (१९३५ की ऐक्ट संख्या ५) की धारा (३) के प्रदत्त अधिकारों. . . ." तो जब तक हम १९३५ के ऐक्ट को न देखें और १९३५ के ऐक्ट संख्या ५ की तीसरी धारा को न देखें, उसके द्वारा जो प्रदत्त अधिकार हैं उनको न देखें तब तक उपाध्यक्ष महोदय, हम कैसे अपने मत को प्रकाशित कर सकते हैं। इसी लिये मैंने कहा है कि अगर सही, जैनुइन, डिस्कशन कराना और सदन के मत को प्रकाश में आना आवश्यक है तब तो उसके सम्बन्ध में जितनी सामग्री है वह सब उपलब्ध होनी चाहिये, वरना इस तरह से मत का प्रकाशन करना अपरिपक्व अवस्था में होगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस परिस्थिति में नहीं हैं कि हम अपने मत को प्रकाशित कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रश्न पहले ११ फरवरी, १९५३ को रखा गया था और उसके बाद आज फिर यह रखा गया है और इसमें केवल एक छोटा सा संशोधन है। उसकी सूचना

भवन को दी गयी है। इस पर जिन माननीय सदस्यों ने चाहा अपना मत प्रकट किया। इसके अलावा कुछ काम इस में होना भी नहीं है।

कार्य-सूची के क्रम में परिवर्तन

श्री उपाध्यक्ष—नम्बर ६, माननीय मुख्य मन्त्री

मालमन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसको स्थगित करके यह जो नम्बर ८ पर है कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, इसको ले लिया जाय तो ज्यादा सुविधा होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, पहले वही लिया जाय जो अजेंडा में है।

श्री उपाध्यक्ष—भवन को यह देखना चाहिये कि जब यहां किसी विषय के लिये तैयारी नहीं है, तो दूसरे को ले लेने में क्या नुकसान है। सिर्फ आर्डर चेंज किया जाता है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था और आज फिर निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैंने शुक्रवार के दिन आपत्ति उठाई थी कि यह २५ को नहीं आ सकता, तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस दिन कहा था कि २४ तारीख को इस पर विचार किया जायगा अगर प्रोसीडिंग देखी जाय तो उसमें मिलेगा और मैं समझता हूं कि विधान सभा के जो सचिव हैं उनको स्मरण होगा कि २४ तारीख को हम बतलायेंगे कि २५ तारीख को इसपर विचार होगा या नहीं होगा। २४ तारीख को कोई बात ऐसी नहीं कही गयी कि २५ तारीख को यह लिया जायगा या नहीं। हमने उसी दिन आपत्ति की थी कि नियमित रूप से जितने दिन हमें अध्ययन करने के लिये दिये जाने चाहिये उतने दिन दिये जायं। यह विधेयक ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स से सम्बन्धित है, यदि इसमें छोटी भी गलती हो गई तो इससे बहुत से किसान मारे जायंगे। २४ तारीख को यह व्यवस्था नहीं हुई कि २५ तारीख को इस पर विचार होगा, इसलिये हमने इस पर अपने संशोधन भी नहीं दिये हैं। हमको अपने संशोधन देने का मौका न मिले और इस पर सदन में इस प्रकार विचार विनिमय हो जाय, यह बड़े दुख की बात होगी। इस लिये आपके द्वारा माननीय राजस्व मन्त्री जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें मौका दिया जाय और इसे दूसरे दिन ले लिया जाय।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को मेज पर रखे हुये कई दिन हो गये हैं। जब अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि २५ तारीख को यह विधेयक इस भवन के सामने प्रस्तुत किया जायगा, तो माननीय राजनारायण जी ने यह एतराज किया था कि अभी हमने देखा नहीं है। नहीं, वह तो पहले ही जब रखने की बात थी, तब माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनकी आपत्ति पर यह कहा था कि २५ तारीख को रखा जायगा।

श्री राजनारायण—यह नहीं कहा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—अच्छा उन्होंने कहा कि २४ तारीख को हम देख लेंगे। २४ तारीख को माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस पर विचार किया होगा और उन्होंने आज की तारीख में एजेंडा पर रख दिया है। कोई कारण नहीं है कि जब इतने दिनों से माननीय सदस्यों की मेज पर रखा जा चुका है, काफी मौका मिल चुका है, कोई लम्बा विधेयक नहीं है, छोटे-छोटे संशोधन हैं, फिर भी इसको स्थगित किया जाय और अनावश्यक रूप में भवन का समय बर्बाद किया जाय! यह मुनासिब नहीं मालूम होता है कि कोई कार्य न हो। जब अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि २४ तारीख को इस पर विचार कर लेंगे, तो उन्होंने इस पर विचार करके ही यह आज्ञा दी होगी कि इसको २५ तारीख के लिये एजेंडा पर रखा जाय। इसलिये यह एतराज उचित नहीं मालूम होता है और सदन से मेरा यह निवेदन है कि इस पर विचार होना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं जरा कारण बतलाना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी यह चाहते हैं कि इसका कोई कारण नहीं है कि इस पर आज क्यों न विचार किया जाय? अगर माननीय मन्त्री जी इधर रहे होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि अभी सवा बजे हमने ऐप्रोप्रिएशन बिल पास किया है। कल तक एक साथ कई-कई अनुदानों पर विचार चल रहा था। यह भी माननीय मन्त्री जी से छिपा नहीं है कि एक-एक दिन में चार-चार अनुदान लिये जा रहे थे और सदस्यों को उन अनुदानों के लिये तैयार होना पड़ता था। ऐप्रोप्रिएशन बिल के लिये भी माननीय सदस्यों को बहुत तैयारी करनी पड़ी ताकि आर्थिक साधनों की दृष्टि से उचित रूप से रुपया व्यय हो सके। इसके बाद जहां तक माननीय अध्यक्ष ने उस दिन आज्ञा दी, उसके अनुसार उनकी यह इच्छा नहीं थी कि आज २५ तारीख के दिन इस पर विचार हो। उनके कहने का अभिप्राय, जैसा मैं समझा यही था कि २४ तारीख को वे बतला देंगे कि २५ तारीख के दिन यह न लिया जा कर किसी दूसरे दिन लिया जायगा। तो इसलिये मेरा आपसे निवेदन यह है कि बजाय कृषि आयकर विधेयक के, एजेंडा पर जो बिल इससे पहले इवैकुई इंटेरैस्ट का है वह ले लिया जाय। इससे समय का कोई दुरुपयोग नहीं होगा और सदन को समय भी मिल जायगा कि वह इस बिल पर ठीक से विचार कर सके।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक, २१ तारीख को सरक्यूलेट हुआ था और जबसे अब तक इतना काफी समय मिला है कि जो माननीय सदस्य इस पर बहस करना चाहें वह कर सकते हैं। इसे टालना मुझे तो मुनासिब नहीं मालूम होता है। मैं समझता हूं कि यह छोटा सा विधेयक है और ४ दिन सरक्यूलेट हुये हो गये हैं जो कि काफी समय था।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मेहरोत्रा जी ने बताया है, २१ तारीख को यह सरक्यूलेट हुआ और अब तक काफ़ी समय हो गया है। लेकिन हमारे विरोधी दल के मित्र न जाने क्यों इसे टालना चाहते हैं। यह कोई पेचीदा बिल नहीं है और न इसमें अहम बात है। मैं तो यह उचित समझता हूं कि इसे टालना उचित नहीं है और इस पर विचार होना चाहिये।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—इसके पोस्टपोन करने में जो सरकारी पक्ष से आपत्ति हो रही है मेरी समझ में उसका कोई कारण नहीं है। अगर आज न सही तो कल यह ले लिया जाय तो इसमें समय का कोई नष्ट किया जाना नहीं है। इतना तो अवकाश देना ही चाहिये कि अपोजीशन को कोई शिकायत या दिक्कत न हो।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि कार्य के क्रम को निश्चित करने का अधिकार गवर्नमेंट को होता है और उन्होंने अपनी सुविधा के मुताबिक यह कार्यक्रम निश्चित किया है। इतना ही नहीं, यह विधेयक बहुत अर्से से सदन के सामने है और बहुत छोटा सा विधेयक है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि आज ही इस पर विचार हो जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इवैकुई इन्टैरेस्ट बिल इससे पहले मेज पर रखा जा चुका है।

श्री उपाध्यक्ष—तो फिर सहूलियत के लिये ही तो आगे पीछे किया जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। मेरी राय है कि इस पर विचार हो।

*उत्तर प्रदेश कृषि-आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि-आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३, पर विचार किया जाय।

---

*२१ मार्च, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मुझे आपत्ति है कि नियम ९५ के प्रतिबन्ध के अनुसार हमको ३ दिन इस पर बिचार करने का पूरा मौका नहीं मिला है। जिन दिनों बजट ग्रांट्स होती हैं उन दिनों और किसी चीज पर बिचार करने का अवसर या समय इस सदन को नहीं मिलता है। हमको ३ स्पष्ट दिन मिलने चाहिये। इस पर मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसके मानी तो यह नहीं हैं कि भवन में नहीं लिया जा सकता है। विचार तो घर में बैठकर भी करते हैं। जब वह सरक्यूलेट हो चुका है इतने दिन पहले, तब तो यह कोई वैधानिक आपत्ति नहीं है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधित विधेयक कृषि आय कर का जो इस भवन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है उसका एक कारण यह है कि गवर्नमेंट को जो थोड़ी बहुत डिस्क्रेपैंसीज या दिक्कतें कार्य रूप में परिणत करने में सामने आयीं उनका लिहाज करके इसका उपस्थित किया जाना जरूरी हो गया। इसके सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा यह बतला देना चाहता हूं कि कृषि आय कर ३ हजार रुपये वार्षिक आमदनी पर लगाने का नियम है। उस ३ हजार रुपये की आमदनी के सम्बन्ध में अभी तक ऐसा था कि ५० एकड़ से कम की आराजी अगर हो और ५० रुपये से कम वार्षिक आमदनी हो तो उस पर कृषि आय-कर नहीं लगता था। लेकिन एक महत्वपूर्ण संशोधन इसमें यह जरूर है कि अब बजाय ५० एकड़ के ३० एकड़ का सुझाव इसमें रखा गया है। यानी ३० एकड़ से नीचे की आराजी पर कृषि आय-कर नहीं लगेगा। तो ३० एकड़ से ऊपर भूमि पर अगर तीन हजार से अधिक आमदनी हो तो कृषि आय-कर लगेगा। उस कृषि आय-कर के लगाने के दो तरीके होते हैं। एक तो आमदनी ३ हजार की हुई या कितनी हुई, इसे देख लेना और दूसरे यह कि जो उसकी रेंटल वैल्यू है उसको देख लेना। अभी तक कानून में यह है कि उसका साढ़े साथ गुणा लगा कर देखा जाय कि उसकी आमदनी कृषि आय कर लगाने के योग्य है या नहीं। यानी एसेसी को इस बात का आप्शन दिया गया कि आया उसकी जो रेंटल वैल्यू है उसका साढ़े सात गुणा क़बूल कर ले या जो उसकी वास्तविक आमदनी है तीन हजार की या उससे ऊपर की उसका हिसाब दे दे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---इसको जरा और साफ़ कर दीजियेगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---जो रेंटल वैल्यू है उसका साढ़े सात गुणा आय-कर की इन्कम मान करके चाहे वह दे दे कृषि आय-कर या जो तीन हजार की आमदनी होती है उस पर दे। तो उस साढ़े सात गुणा को बढ़ा कर अब साढ़े बारह गुणा कर दिया गया है।

श्री राजनारायण---यह स्पष्ट नहीं हुआ जरा फिर साफ़ कर दीजिये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---जो रेवेन्यू का साढ़े सात गुणा कृषि आय-कर लगाने की एक सीमा निर्धारित की गयी उसके बजाय इस संशोधन विधेयक में यह रखा गया है कि साढ़े सात गुणा की जगह पर साढ़े बारह गुणा कर दिया जाय।

श्री राजनारायण---किसका साढ़े बारह गुणा?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---जो रेंट या रेवेन्यू या लोकल सेस का हिसाब लगाया गया है उसका साढ़े सात गुणा की जगह साढ़े बारह गुणा कर दिया जाय।

श्री राजनारायण---मल्टीपुल का अर्थ क्या दूना होता है या हिस्सा होता है? मैं समझता हूं माननीय मन्त्री मल्टीपुल को "इन्टू (×)" समझ गये हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---मल्टीपुल या गुणा। मैं तो समझता हूं कि मल्टीपुल गुणा है। तो साढ़े सात गुणा के बजाय साढ़े बारह गुणा इसमें रख दिया गया है।

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

अब २० एकड़ से ऊपर की जो भूमि हैं उसकी आमदनी अगर ३ हजार से ऊपर की है तो उस पर कृषि आयकर लगेगा। उसको मल्टीपिल का भी आप्शन दिया गया है यानी रेवेन्यू रेंट पर जहां पहिले साढे सात गुना लगाया जाता था वहां अब साढ़े बारह गुना लगाया जायगा और यह सहूलियत असेसी को दी गयी है।

किसी-किसी की तरफ से फ्राड्यूलैन्ट ट्रांसफर्स कर दिये गये हैं और ये ट्रांसफर्स कृषि-आयकर से बचने के लिये किये गये हैं वे ट्रान्सफर न माने जाकर सम्मिलित परिवार की प्रापर्टी समझी जायगी और उस पर कृषिआयकर टैक्स लगेगा।

इसके अतिरिक्त एक बात और की गयी है कि अब तक ४ किस्तों में वसूल करने की बात थी उसके बजाय खरीफ और रबी के अनुसार दो ही किस्तें कर दी गयीं हैं।

इसके अलावा पहले यह रखा गया था कि जो म्युनिसिपल टैक्स होगा उसको आमदनी में से निकाल दिया जायगा लेकिन कहीं कहीं असेसीज को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स अथवा और कोई स्थानिक कर देना होता है, इसलिये अब म्युनिसिपल टैक्स के बजाय स्थानिक कर उस रकम में से निकाल देने की बात रखी जा रही है।

इसमें एक भ्रम यह भी था कि अगर किसी के पास सन् ५२ में इतनी भूमि थी जिस पर टैक्स लगाया जा सकता था लेकिन सन् ५३ में उसके पास उतनी भूमि नहीं रही जिस पर कृषि आयकर न लग सकता हो, या बिलकुल ही भूमि नहीं रही तो वह कह सकता है कि मेरे पास भूमि नहीं है। लेकिन इसमें एक भ्रम यह रहता था कि लोग सन् ५३ में भूमि न होने से ५२ के कर से भी बचने की कोशिश करने लगे। अतः यदि सन् ५३ में भूमि नहीं भी हो लेकिन अगर सन् ५२ में उसके पास भूमि थी तो उसको सन् ५२ का टैक्स देना होगा। इसी को इस "व्यक्ति" की डिफीनीशन में साफ कर दिया गया है।

यही खास-खास संशोधन इस विधेयक के जरिये से रखे गये हैं जिनके विषय में कोई एतराज भी किसी साहबान को नहीं होंगे। एतराज की बात केवल ३० एकड़ और साढ़े बारह गुना के बारे में कुछ किये गये हैं। बाकी और किसी किस्म का एतराज नहीं हुआ है। ३० एकड़ और साढ़े बारह गुना के बारे में ही संशोधन रखे गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न। क्या माननीय मंत्री जी उन संशोधनों का जिक्र कर सकते हैं जो अभी पेश ही नहीं हुए ?

श्री उपाध्यक्ष---मैंने कह दिया कि नहीं करना चाहिये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल यह कहना चाहता था कि ३० एकड़ और साढ़े बारह गुना पर ही एतराज करने की गुंजाइश हो सकती है बाकी तो टैक्नीकल दिक्कतें उन्हीं को साफ करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। मैं आशा करता हूं कि भवन इसको स्वीकार करेगा।

श्री राजनारायण---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो विधेयक उपस्थित किया है उसके उद्देश्य और कारणों को देखते हुए मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैंने इससे पूर्व भी श्रीमन्, आपसे और आपके द्वारा माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य से यह निवेदन किया था कि इस विधेयक का गहरा अध्ययन होना चाहिये, लेकिन उसके जवाब में कह दिया गया कि यह तो छोटा सा बिल है, मामूली बातें इसमें हैं, इतना अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है ? और इस सदन के एक सदस्य जो मिर्जापुर से आते हैं उन्होंने भी कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किये थे। मगर माननीय मौर्य जी ने जिस तरह से उद्देश्य और कारणों का स्पष्टीकरण किया, उनके स्पष्टीकरण के बाद भी मुझे उनके उद्देश्य और कारणों को समझने में काफी दिक्कत हो रही है और मैं समझता हूं कि सदन के सम्मानित सदस्यों को भी सहोनी चाहिय। अब एक बात मैं यह जानना चाहता हूं, चाहता तो मैं यह था कि पहले ही

माननीय मौर्य जी इसको साफ कर देते लेकिन मैं उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि यह जो एग्रीकल्चरल इनकमटैक्स लगाने का विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है इसके दो स्वरूप होते हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि जहां पहले ५० एकड़ एरिया का सवाल था कि वह अपनी खेती के अन्दर रखता है या नहीं रखता है, अब उसको घटा कर ३० एकड़ कर दिया जाय। श्रीमन्, मैं माननीय मौर्य जी और माननीय राजस्व मंत्री जी को यह पहले ही बतला देना चाहता हूं कि जहां तक ३० एकड़ एरिया करने की मंशा है इस पर हमसे बढ़ कर प्रसन्नता शायद उनको न हो। तो इस पर मैं बाद को आऊंगा। फिर दूसरी बात माननीय मौर्य जी ने यह कही कि ३० एकड़ तो होगा ही मगर ३ हजार रुपये से कम जो प्रोड्यूस वल्यू (उत्पादन मूल्य) होता है अगर ३ हजार के ऊपर होगा तब तो उसके ऊपर एग्रीकल्चरल इनकम-टैक्स लगेगा नहीं तो नहीं लगेगा। श्रीमान्, मैं समझता हूं कि यह जो दिमाग का घपला उसी घपले के फलस्वरूप ऐसे विधेयक प्रस्तुत हो जाया करते हैं। अगर सही माने में इस घपले को सरकार को दूर करना है तो उनको कुछ प्रोड्यूस वैल्यू के मापने का तरीका ठीक कर लेना चाहिये। अगर ३० एकड़ है तो ३० एकड़ के ऊपर जो जमीन रखने वाले हैं अगर उनकी प्रोड्यूस वैल्यू ३ हजार के ऊपर नहीं होगी तो जैसा कि माननीय मौर्य जी ने हमें अभी बतलाया, मैं समझता हूं कि सरकार उन पर कोई कृषि कर नहीं लगायेगी। एक तो इसकी कोई सफाई होनी चाहिये थी जो मौर्य जी ने नहीं किया। और अगर ३० एकड़ से कम भी जमीन रखने वाले हैं और वह जमीन अच्छी है या शहर की ऐसी जमीन है या ऐसे स्थान की जमीन है जिसका प्रोड्यूस वैल्यू ३ हजार से ऊपर हो जायगा तो क्या उनको छोड़ दिया जायगा? इसकी सफाई माननीय मौर्य जी ने नहीं दी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और अब माननीय राजस्व मंत्री जी भी आ गये हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि वे जनरल डिस्कशन में जाने के पहले ही उद्देश्य और कारणों की जानकारी करा दें और जो हमारे सवालात हैं उनका स्पष्टीकरण कर दें। तब हम ऐसी परिस्थिति में आ जायेंगे कि उद्देश्य और कारणों के जनरल डिस्कशन में अच्छी तरह से भाग ले सकें। इसलिये उद्देश्य और कारणों के जनरल डिस्कशन में भाग लेने के पहले मैं आपके जरिये माननीय राजस्व मंत्री श्री चरणसिंह जी से निवेदन करूंगा कि जो हमारे सवालात उनकी खिदमत में पेश किये गये हैं उनको जरा साफ कर दें। उसकी सफाई हो जाने के बाद फिर जनरल डिस्कशन में मैं अपने विचार आपके द्वारा सदन की खिदमत में पेश करूंगा।

(कुछ देर ठहर कर)

श्रीमन्, मैंने पहले निवेदन किया था और आपके द्वारा मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इस बीच में मैंने मौर्य जी से दो सवाल किये थे लेकिन माननीय मौर्य जी ने उसका स्पष्टीकरण नहीं किया। अब माननीय राजस्व मंत्री जी भी सदन में प्रस्तुत हैं और मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो दो शंकायें हैं उनका समाधान कर दें। एक तो यह है कि ३० एकड़ जो जमीन रख रहा है तो ५० एकड़ की जो पहले एरिया थी उसको सरकार अब ३० एकड़ कर रही है तो ३० एकड़ जमीन जोतने वाले की प्रोड्यूस वैल्यू अगर ३ हजार से कम रहेगी तो क्या वह कृषि कर से वंचित रह जायगा? या जो ३० एकड़ से कम जमीन जोतने वाला है और उसकी प्रोड्यूस वैल्यू अगर ३ हजार से ऊपर हो जायगी तो क्या उस पर भी टैक्स लगेगा? ये मेरे दो सवाल थे और मैं माननीय मंत्री जी की खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि इसको वे जरा साफ कर दें तो जेनरल डिस्कशन में अपने विचार प्रकट करने में अच्छा रहेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको साफ कर दें, उसके बाद ही मैं जेनरल डिस्कशन में आपके आदेशानुसार फिर आगे चलूंगा।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहला ऐक्ट था या ऐक्ट की धारा इस सिलसिले में थी वैसा ही है बिल्कुल, सिर्फ ५० एकड़ का ३० एकड़ हो गया है। यानी ३० एकड़ से कम वाला कोई किसान है और उसकी ५० रुपये लगान की आमदनी है और उसकी खेती से आमदनी मिल कर ३ हजार हो जाती है तो टैक्स लगेगा और अगर नहीं होती है तो नहीं लगेगा।

श्री राजनारायण—श्रीमान्, जैसा कि राजस्व मंत्री जी ने स्पष्ट किया और जैसा कि इससे पहले माननीय मौर्य जी ने इस सदन में अपने मत को प्रकाशित किया उसके देखते हुए अब मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि सरकार को यह सुझाव दे सकूं कि सरकार जरा निश्चयात्मक कदम उठाये। इस कृषि-कर के संबंध में मैं यह साफ़ कह देना चाहता हूं कि ३० एकड़ जमीन जोतने वाले जो हैं ३० एकड़ के ऊपर जितनी भी रकम उनको पैदा होती है, कर का विधेयक लाकर सरकार उनकी सारी आमदनी ले ले तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। माननीय वित्त मंत्री को खुशी होना चाहिये क्योंकि उनको अपनी विकास योजनायें कार्यान्वित करने के लिए सदन में बार-बार भिन्न-भिन्न तरह के करों को लाने की जरूरत न पड़े और गरीबों, अकिंचन और जो दरिद्र हैं उनके ऊपर कर का भार डालने की जरूरत न पड़े। मैं निवेदन करता हूं कि जब यह कृषि-कर का विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है और संशोधन के लिये लाया गया है तो इससे जितनी भी आमदनी इस सरकार को निकालने की गुंजाइश हो सकती है उतनी आमदनी इसको निकालनी चाहिये। श्रीमान्, मैं इस सरकार को बतला देना चाहता हूं कि कृषि कर हमारे प्रदेश में बहुत बाद में लगाया गया है। इसकी ओर सरकार ने बहुत देर से ध्यान दिया। यहां के संयुक्त दल के सदस्य या और कोई सम्मानित सदस्य जिनका उसमें व्यक्तिगत या निजी मामला पड़ता हो वह कोई एतराज करें तो दूसरी बात है नहीं तो इस बिल को बहुत पहले आ जाना चाहिये था। यू० पी० में यह कृषि कर विधेयक १९४८ में आया जब कि आसाम में १९३९ में, बंगाल और उड़ीसा में १९४७ में आया। हमारे अन्य प्रान्तों की सरकारें कृषि कर के जरिये आमदनी करने की ओर प्रयत्न-शील थीं और दत्तचित्त थीं। उन्होंने इस तरीके को अपना कर राजस्व को बढ़ाया और अब इस सरकार को इसमें क्या आपत्ति है? इसलिये अब यह सरकार एक निश्चित कदम उठाये। अगर सरकार के दिमाग में ३ हजार की बात है तो वह ३ हजार की रकम चाहे ३० एकड़ का एरिया कल्टीवेट करने से हो या कम एरिया कल्टीवेट करने से हो, उसके ऊपर जो आमदनी हो तो उसके ऊपर टैक्स लगाये। अगर दोनों बात होती हैं तो भिन्न-भिन्न स्तर के अधिकारियों को रखने की आवश्यकता होती है, भिन्न-भिन्न तरीके से जांच पड़ताल करने की जरूरत पड़ती है। अन्ततोगत्वा कृषि कर के संबंध में मेरी निजी राय यह है और पहले भी इस सदन में अपने जजबात का इजहार किया है, और मैं समझता हूं कि माननीय रणंजय सिंह को भी इसकी जानकारी होगी जो कि इस सदन के माननीय सदस्य हैं कि १७ हजार या १० हजार से हट कर अपील में १ हजार या डेढ़ हजार रकमें हो गई हैं। मैं यहां पर कहना तो नहीं चाहता था लेकिन अब माननीय राजस्व मंत्री जी की खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं कि किन्हीं विशेष कारणों से ऐसे लोगों के कृषि कर को खत्म कर दिया गया जिनके पास काफी प्रोड्यूस वैल्यू (आमदनी) हुई थी। तीस-तीस, चालीस-चालीस हजार उनकी आमदनी होते हुए भी उनके ऊपर कृषि कर नहीं लगा।

यह तो उन्हों ने अपने खानदान को कई भागों में विभक्त करके उसे ३० या ५० एकड़ जो पहले था पैदावार को कागज में कम लिख दिया था या कोई और कारण हुआ होगा। मगर श्रीमान् मैं पुनर्निवेदन करना चाहता हूं राजस्व मंत्री जी से कि वह एक डेफीनेट पालिसी अख्तियार करें। अगर सरकार ३ हजार की आमदनी प्रोड्यूस वैल्यू को मानती है और चाहती है कि उस पर एग्रीकल्चरल टैक्स होना चाहिये तो उस तीन हजार की वैल्यू रखने से सरकार को क्या दिक्कत है? आखिर यह डबल डीलिंग क्यों है?

श्री चरण सिंह——डबल डीलिंग के माने तो धोखा देना है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जिसकी रही भावना जैसी,प्र भु मूरति देखी तिन तैसी।
नीकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात,
जैसे बनत न युद्ध में रस शृंगार सुहात।

मैं डबल डीलिंग के माने धोखा देना नहीं समझता। तो मैं अर्ज कर रहा था, श्रीमान्, कि सारे सूबे को कई भागों में विभक्त कर लिया जाये और देखा जाय कि कौन सी जमीन की उत्पादक शक्ति कैसी है। एवरेज फरटिलेटी, औसत उत्पादकता के सिद्धांत को आधार बनाया जाये और यह देखा जाय कि किस-किस जमीन में कितनी पैदावार होती है। मुझे एक बात की खुशी हो रही है कि सदन में जो बार-बार हम ने चर्चा की कि सरकार का विधेयक किसी भी रूप में आये तो उस में कैपेसेटी टू पे देखनी चाहिये। कैपेसिटी टू पे देने की क्षमता शायद माननीय राजस्व मंत्री के दिमाग में आई कि कैपेसिटी टू पे ५० एकड़ से ३० एकड़ भी हो सकती है। हमने सदन में कहा था कि ३० एकड़ मैक्सीमम होल्डिंग की सीमा बांध देनी चाहिये। ऐसे लोगों के पास जिनके पास जमीन नहीं है बेसिक होल्डिंग ५ एकड़ से ६ एकड़ हो जाना चाहिये। श्रीमान् हम जो व्यवस्था बता रहे हैं अगर उसके अनुसार सरकार इस विधेयक को रखेगी तो निश्चित रूप से हमारे प्रान्त में एक विद्रोहात्मक शक्ति पैदा हो जायेगा। मोटी तरह से वही आदमी विद्रोही होता है—

१—जिसका आर्थिक शोषण हो,
२—राजनैतिक उत्पीड़न हो,
३—दरिद्रवस्था हो,
४—उत्पादक वर्ग हो,
५—निजी सम्पत्ति के बंधन से मुक्त हो कर संगठित हो और अपने संगठन द्वारा विरोधी तत्वों को झुका सकता हो।

यही पांच शरतें हैं जिनसे पीड़ित होकर कोई तबका विद्रोह करने की क्षमता रखता है। अगर देखा जाये तो आज हमारे देश में वह तबका हरिजन है। पिछड़ी जातियां हैं जिनके पास कोई साधन जीविकोपार्जन का नहीं रह गया है। उनके अन्दर विद्रोह की क्षमता हो सकती है। लेकिन जो आदमी ३० एकड़ से ऊपर जमीन रखता हो या ५० एकड़ से ऊपर जमीन रखता हो, और माननीय मंत्री जी समझें कि उसके अन्दर विद्रोह करने की क्षमता है तो यह असंभव है। अगर वह करेगा तो माननीय मंत्री जी के डर से ही करेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने जब सब बातों को ठीक तरीके से समझ कर यह जो प्रगतिशील प्रणालियां हैं उनको अख्तियार करें। हर दृष्टिकोण से हमारी इस बात को देखें। मैं समझता हूं श्रीमन् कि वह इन विषयों पर गहराई के साथ विचार करेंगे और समझ कर इसमें जो इंटरनल कंट्रेडिक्शन रह गये हैं उनकी तरफ भी ध्यान देंगे और वे इंटरनल कंट्रेडिक्शन्स यही है कि पहली शर्त तो पूरी होनी चाहिये। मैं अपने मित्र मौर्य जी की तवज्जह दिलाऊंगा कि पहले तीस एकड़ की शर्त पूरी करनी चाहिये और उसको पूरा करने के बाद फिर तीन हजार की प्रोड्यूस वैल्यू की शर्त को पूरा करना चाहिये। माननीय मौर्य जी अपने प्रथम भाषण में तीस एकड़ वाली शर्त को साफ नहीं कर पाये हैं और माननीय राजस्व मंत्री जी अगर मेरे समझने में कोई गल्ती है तो उसको दूर कर लेंगे। इसमें लिखा हुआ है :—

"अधिनियम की धारा ६ कि उपधारा (२) खंड (क) के अनुसार व्यक्तिगत काश्त के क्षेत्र का मूल्य मौरूसी दरों के अनुसार लगाये जाने की व्यवस्था की गयी है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग में मौरूसी दरें मंदी के दिनों में नियत की गयी थीं और उनसे सामान्यतः भूमि के उत्पादन मूल्य का पांचवां भाग ही व्यक्त होता है। इस प्रकार आरम्भ में साढ़े सात का जो गुणा (multiple) निश्चित किया गया था वह बहुत ही कम था। इसलिये यह प्रस्ताव है कि उस गुणा को बढ़ा कर साढ़े बारह कर दिया जाय।"

यानी कहने का मतलब यह है कि जो मौरूसी दर तै किया गया कि प्रोड्यूस वैल्यू का वह पांचवां हिस्सा होता था अब आगे चल कर वह साढ़े सातवां हिस्सा हुआ और इसमें अब साढ़े बारहवां हिस्सा रह जायगा। यह तो ठीक है लेकिन इसका मतलब यह होगा कि पहले की बनिस्बत इस समय जो कम भी लगान देने वाले होंगे उसका साढ़े बारह गुना करके तीन हजार तक भी पहुंच सकते हैं। तो थोड़ी सी इसमें गुंजाइश आती है। माननीय मौर्य

[श्री राजनारायण]

जी की आकृति और विकृति को और उनकी भ्रकुटिविलासिता को देखकर मैं यह समझ रहा हूं कि वे गहराई के साथ समझने लगे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस साढ़े बारहवें हिस्से को तीस एकड़ के साथ कैसे मेल खिलायेंगे तीस एकड़ वाली बात तक गवर्नमेंट आ गई इसके लिये मुझे खुशी है। हमारे बारबार हैंकिल करने से यह सिद्धांत तो गवर्नमेंट ने मान ही लिया यानी "रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान," अगर पत्थर पर भी बारबार रस्सी आवे जावे तो निशान बनकर रहता है। तो आपने तीस एकड़ के सिद्धांत को तो मान ही लिया इसकी तो मुझे खुशी है लेकिन मैं चाहता हूं कि तीस एकड़ को एवरेज खेती अंकित कर देना चाहिये और इसके साथ तीस एकड़ और तीन हजार में तारतम्य स्थापित करना चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि एक ओर जुल्म हो जाय और दूसरी ओर रियायत हो जाय तो इस जुल्म और रियायत की गुंजाइश नहीं आने देना चाहिये। इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा, और वह केवल इसी विधेयक में ही नहीं लागू होगा वरन् सरकार की जितनी गतिविधि होती है वह सब पर लागू होगी। हम यह चाहते हैं कि ऐसा सीधा सादा कानून बनायें जिसके अन्तर्गत किसी को भी बेईमानी करने की गुंजाइश न रहे और अगर कानून इतना पूर्ण न हो पाये तो बेईमानी करने की गुंजाइश कम होती चली जाय। क्योंकि सरकार के मंत्रिगण इस सदन में बारबार इस बात का चर्चा किया करते हैं कि हमारा जो नेशनल करेक्टर है वह पतन के गर्त में गिरता चला जारहा है। तो जब परिस्थिति का उनका विश्लेषण यह है तो उस विश्लेषण को देखते हुये ऐसा विधेयक क्यों नहीं बनाया जाता कि कोई आदमी अगर बेईमानी भी करना चाहे तो वह कर न पाये ? श्रीमन्, टक्साल गृह में कुछ आदमी काम करते हैं कि जिनके दिमाग में यह भावना चलती है कि हम वहां से कुछ मुद्रा ले लें लेकिन वहां के नियम ऐसे हैं कि वह नहीं ले जा सकते हैं। इसलिये अगर वह बेईमानी करने की इच्छा भी रखता हो और चुराने की भावना भी रखता हो तो उसके लिये हमारे कानून ऐसे हों, इस तरह की जांच पड़ताल हो, और इस तरह का पहरा बैठा हो कि वह वैसा न कर सकें। मैं चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक के जरिये से ऐसी गुंजाइश पैदा कर दे कि कोई बेईमानी का उसको मौका न मिल सके। माननीय माल मंत्री यहां पर अभी नहीं थे अब मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह हमारे इस निवेदन को मान लें क्योंकि कभी-कभी वह हमारी बात को ध्यान से सुन लेते हैं और मैं यह जानता हूं कि वह वस्तुस्थिति के गुणदोष का विचार करके उस पर विवेचन करते हैं। आज मुझे दुख हुआ जब कि माननीय मौर्य जी ने जिस भावना को लेकर इस विधेयक को यहां पर प्रस्तुत किया, हमको उनकी भावना से विरोध नहीं है लेकिन सदन में बारबार हमारी जो भावना है उनको हमने बतलाया है कि ३० एकड़ की सीमा निर्धारित की जाय, डाइरेक्ट टैक्सेशन (सीधा कर) लगाया जाय, डेथ ड्यूटी (मृत्यु कर) लगे। उन्होंने इस बात को गलत समझा कि हम जो समय चाहते हैं वह समय इसलिये चाहते हैं कि हम उनके रास्ते में बाधक हों। हम तो उनकी सहूलियत पैदा करने के लिहाज से समय चाहते थे और आन्तरिक परस्पर विरोध की परिस्थिति को मिटाने के लिये समय चाहते थे। सरकार का बहुमत है वह चाहेगी तो इस विधेयक को पास करा लेगी। मगर श्रीमन्, मैं बिलकुल दावे के साथ कहता हूं और माननीय राजस्व मंत्री जी की खिदमत में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह संकट अपनी जगह पर बना रहेगा और इसकी पूर्ति के लिए राजस्व मंत्री जी को निकट भविष्य में कोई न कोई विधेयक लाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि वह इस पर ध्यान दें। जमींदारी अबालीशन संशोधन बिल पर हम थोड़ा सा समय चाहते थे और उसके लिये उनसे निवेदन किया था। उस निवेदन को न मानने की वजह से उनको ३ बार संशोधन करने के लिये वह बिल लाना पड़ा था। उसी तरह से इसके लिये भी हालत पैदा होगी। उनको यह अधिकार है लेकिन जो परिस्थिति बतलायी गयी है उस परिस्थिति का उनको सामना करना पड़ेगा और उस परिस्थिति का सामना करने के लिये एक समुचित विधेयक इस सदन के सामने लाना पड़ेगा, और इस तरह से बार-बार संशोधन लाने से सदन का समय नष्ट होता है। इस अवसर पर मैं फिर राजस्व मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि

अब सामान्य डिस्कशन हो रहा है, १,२ घंटा का समय मिल जाय तो इस पर हम विचार कर लें। हम ऐसे संशोधन कर सकते हैं कि जो ३ हजार और ३० हजार का विरोधाभास है वह हल हो जायगा। मैं चाहता हूं कि कुछ समय मिल जाय तो उनकी खिदमत में अपने विचार उपस्थित कर दूं और फिर आगे वह उसी के अनुसार व्यवस्था करें।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि विरोधी दल के नेता इस विधेयक को समझे नहीं हैं और उन्होंने जो विवाद और समालोचना की है वह असल में उस पर नहीं है। उनके विचार में जो आया सो कह दिया। इस विधेयक में ४,५ बातें हैं। एक तो यह है कि पहले कृषि कर अधिनियम के अनुसार यह तरीका था कि आमदनी पर कर लिया जाता था, या करदाता के लगान का जो परता होता था, जो जमीन उसके पास है उस जमीन के परते से जो लगान आता था उसके ७ १/२ गुने को आमदनी मान कर कर लिया जाता था। मगर एक बात यह थी कि अगर उसने एक दफा यह तरीका तय कर लिया कि मैं आमदनी पर कर दूंगा तो फिर वह बदल नहीं सकता था कि मैं अपने परते पर देना चाहता हूं। अगर इस साल आमदनी पर दिया है तो अगले साल भी उसको आमदनी पर ही देना होगा, और इसी तरह से तीसरे साल भी देना होगा। और अगर वह परते से देना तय कर लेता था तो आगे भी उसको हर साल परते से देना होता था। इसको परिवर्तित करने का अधिकार केवल बोर्ड आफ रेवेन्यू को ही था, उसका मौक़ा करीब-करीब आता ही नहीं था। इसलिये यह पाबन्दी कि करदाता ने जो तरीक़ा एक बार पसन्द कर लिया है वह फिर बदला नहीं जा सकता। उस पाबन्दी को हटा दिया गया है। अब कृषि करदाता को यह अधिकार है कि वह एक वर्ष में आमदनी पर कर दे और दूसरे वर्ष में चाहे तो परते पर दे दे। इसलिये इसमें अब भारी सुधार हो गया है। पहले जो बहुत बड़ी गड़बड़ी होती थी, और जिसकी वजह से कहीं-कहीं अन्याय होता था और कहीं-कहीं सख्ती होती थी वह अब जाती रही है। अगर कोई करदाता समझता था कि हमारे हिसाब को सही नहीं माना जाता है और अधिकारी जो चाहे उस पर लगा देते हैं और उसी को मानना पड़ता है और व्यर्थ की मुकदमेबाजी होती है। इसी प्रकार वह चीज भी अब हटा दी गई है। अब लगान के हिसाब से पर्ते पर देगा और कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा। एक बड़ी भारी चीज इसमें यह हुई है।

दूसरा परिवर्तन इसमें यह हुआ कि पहले बाग़ों में जो खर्च दिया जाता था वह केवल १२ प्रतिशत आमदनी पर दिया जाता था, यानी जो आमदनी है उसका २ आना रुपया काट दिया जाता था। उसमें भी कभी-कभी बहुत अन्याय होता था। जो बागात शहरों में होते थे उनमें खर्च ज्यादा होता था। जिनको शहर के बागात का अनुभव है वह जानते हैं कि नगरों के बागात में बहुत अधिक खर्च होता है और बाज-बाज साल तो खर्च ज्यादा और आमदनी कम होती है। इसीलिये इस विधेयक में यह रखा गया है कि बागात का खर्च और आमदनी इसी तरह से लगाई जायगी जिस तरह से किसान के खेत की उपज का हिसाब लगाया जाता है। उसका सारा खर्च लगाया जाता है और वह आदमनी में से काट दिया जाता है। इसी तरह से जो बागात की आमदनी और खर्च हैं दोनों को आपस में मिनहा करने के बाद ही आमदनी कायम की जायगी।

तीसरा परिवर्तन इसमें यह हुआ है कि पहले जो कर नियत होता था वह ४ किस्तों में लिया जाता था, लेकिन अब वह केवल २ किस्तों में ही लिया जायगा। एक तो उस समय जब नोटिस दिया जायगा और बाकी जो आधा बचा वह उसके ६ महीने के बाद लिया जायगा।

अब रह गई ३,००० रुपये वाली बात। इसमें मालूम होता है कि माननीय राजनारायण जी को कुछ मुग़ालता हुआ है वह यह है कि अगर किसी किसान के

[श्री रतनलाल जैन]

पास ३० एकड़ जमीन से कम है और वह लगान जो उसकी किसी प्रकार वसूल होता है वह ५० रुपये से ज्यादा न हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ३० एकड़ से कम वाली जमीन, बशर्ते कि करदाता को ५० रुपये से ज्यादा लगान वसूल न होता हो तो उसका कोई हिसाब नहीं लगाया जायगा। अगर ३० एकड़ से जमीन ज्यादा है या ५० रुपये से ज्यादा आमदनी लगान से होती है तब ही उसका हिसाब लगाया जायगा, वर्ना नहीं। इससे छोटे-छोटे किसान जिनकी ३० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है और जिनको लगान भी वसूल नहीं होता है उन पर कोई टैक्स नहीं होगा। इसलिये हमारे भाई का जो भ्रम है वह दूर होना चाहिये। इसमें अब का कानून बहुत स्पष्ट है और उसमें कोई धोखे या दिक्कत की बात नहीं है। अगर किसी के पास ३० एकड़ से जमीन कम है तो वह साफ बच गया और उससे कोई कर नहीं लिया जायगा सिर्फ उन्हीं से लिया जायगा जिसके पास ३० एकड़ से अधिक जमीन है, वह चाहे आमदनी का हिसाब दें या पर्ते पर दें।

पहले जो पर्ता लगान का था उससे ७ १/२ गुना लगान करके आमदनी स्थिर की जाती थी। अब इसे कृषि कर के द्वारा पर्ता लगान से १२ १/२ गुना आमदनी स्थिर की जावेगी। अगर किसी की आमदनी कृषि के ऊपर उसके परते के लिहाज से मान लीजिये पांच सौ रुपया आती है तो साढ़े सात गुना के हिसाब से उसकी ३७५० हुई। मगर अब इस कृषि कर के द्वारा आमदनी बजाय साढ़े सात के साढ़े १२ मानी जायगी। अगर मान लीजिये कि पांच सौ उसकी आमदनी है जो कि परते से आती है, तो साढ़े बारह गुने के हिसाब से उसकी साढ़े ६२ सौ रुपये की आमदनी कायम कर ली जायगी। इसके लिए कारण यह है कि जब यह परते कायम हुये थे उस वक्त एक सस्ते का जमाना था। १९४० से पहले ये परते कायम हुये हैं और उस वक्त गेहूं पन्द्रह बीस सेर एक रुपये का मिलता था। हरएक चीज बहुत सस्ती थी, इसलिये उसका परता भी कम कायम हुआ था। अगर १५ बीस सेर नहीं था तो १२ तेरह सेर सही। बहरहाल लड़ाई से पहले अनाज बहुत सस्ता था इसलिये उसका परता भी उस वक्त कम कायम किया गया था। परते में यह ध्यान रखा गया कि जो आमदनी किसान की है उसका पांचवां हिस्सा लगा कर परता कायम किया गया। इसलिये साढ़े सात गुने से ज्यादा आमदनी नहीं आती थी। गवर्नमेंट ने यह सोचा कि चूंकि उस जमाने में यह परता कायम हुआ है कि अब जब अनाज सस्ता था, परते का रेट भी सस्ता था, इसलिए साढ़े १२ कर दिया जाय गोकि मेरे विचार में अगर यह साढ़े १२ के बजाय दस होता तो ज्यादा अच्छा था। खैर यह दूसरी बात है। मैंने यह आपसे अर्ज किया कि इस तरह से चूंकि पहले जमाने में जब मंदी थी परता भी हल्का था। इसलिये अगर अब परते से साढ़े १२ भी लगाया जाता है तो वह ज्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा जिसको हम अनुचित कह सकें। इसलिये मैंने जो-जो बात इस कानून में समझी वह आपके सामने रख दीं। मैं आशा करता हूं कि श्री राजनारायण जी को जो बहुत कुछ संदेह इस विधेयक के सम्बन्ध में था उनका बहुत कुछ संदेह दूर हो जायगा।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार ने उत्तर प्रदेश कृषि आय कर संशोधन विधेयक उपस्थित किया है, जहां तक उसका उद्देश्य है, जो त्रुटियां रह गयी थीं, यह कुछ कानूनी दिक्कतें थीं, उनको दूर करने का जो मैं समर्थन करता हूं। लेकिन वहां सरकार ने इस बात की चेष्टा की है कि इसको और बढ़ा दिया जाय, इसका स्कोप बढ़ा कर कुछ आमदनी और की जाय उसका मैं विरोध करता हूं।

श्रीमन्, एक तरफ तो हमारी सरकार जोरों से प्रचार करती है कि हम अधिक अन्न पैदा करें, किसानों को प्रोत्साहन दिया जाय, फार्म होल्डर्स को हर तरह से इमदाद दी जाय कि वह देश में अधिक अन्न पैदा करें, उसके साथ-साथ आप

इस विधेयक में यह देखते हैं कि सरकार की पचास लाख की आमदनी को बढ़ाने के लिए यह छोटा सा विधेयक पेश किया गया है। दरों के मल्टिपिल को बढ़ा देना, और पचास एकड़ के बजाय तीस एकड़ तक यह टैक्स लगाना, इसका नतीजा यह होगा कि जहां आप अपने उद्देश्य में यह कहते हैं कि हमको अन्न अधिक पैदा करना चाहिए, वहां अगर आप इस तरह से छोटे-छोटे किसानों के जो फार्म्स हैं उन पर यह टैक्स लगाएंगे तो बजाय प्रोत्साहन के बड़ा भारी धक्का उनको मिलेगा। मैं नहीं देखता कि ५० लाख से सरकार को कितना बड़ा लाभ हो जायगा? इस ५० करोड़ के फायदे से तो सरकार का उधर अन्न बढ़ता वह ज्यादा अच्छा था। जब कि सरकार करोड़ों रुपया और अरबों रुपया विदेश में देती है सिर्फ अन्न खरीदने में, तो अगर उधर अन्न बढ़ा कर उस रुपये को बचाएं और कर न लगाएं और उसके बजाय मदद दें तो और अधिक फायदा आप देश का करेंगे और इस प्रान्त का भी करेंगे। हमारे मित्र सोशलिस्ट भाइयों के दिमाग में भूत सा सवार है कि ३० एकड़ होना चाहिये। हमारा मतलब यह है कि ३० एकड़ तो हो लेकिन उससे इतनी आमदनी तो हो सके कि वह टैक्स दे सके और तभी आप लीजिये। आपको यह भी तो देखना चाहिये कि हर चीज आज गिरां है। कपड़े का दाम दूना हो गया है, बैल की कीमत आज क्या हो गयी है? मान लिया कि अनाज की कीमत बढ़ी हुई है तो बहुत से भाई समझते हैं कि अनाज तेज है इसलिये आमदनी ज्यादा हुई, इसलिये उससे टैक्स लेना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि अभी ज़मींदारी खत्म होने के बाद जो एक्स-ज़मींदार हैं उन्होंने थोड़ा सा धंधा शुरू किया, अपने फार्म पर रुपया लगाया, और फार्म्स पर काम करना चाहते हैं तो आपको तो उनकी मदद करनी चाहिये। यह उचित नहीं है किसी प्रकार से कि छोटे-छोटे लाभ के लिए सरकार इतना बड़ा धक्का उनको पहुंचाए। आप किसी की उन्नति में कितनी बड़ी बाधा पहुंचाने जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को यह किसने राय दी कि छोटी सी रकम बढ़ाने के लिए इसका मल्टिपिल बढ़ा दिया जाय और ५० एकड़ के बजाय ३० एकड़ पर लगा दिया जाय। ३० एकड़ वाले कोई बड़े ज़मींदार नहीं हैं। छोटे-छोटे किसान हैं। और अगर उन्होंने ३० एकड़ कर लिया है तो वह अपने परिश्रम और अपने पैसे से किया है। किसी ने जमीन उनको इनाम में नहीं दी है। आप चाहते हैं कि उन पर टैक्स लगा कर उनको धक्का पहुंचाएं, तो मैं इसका विरोध करता हूं और आपके जरिये फिर सरकार से अनुरोध करूंगा कि जहां तक त्रुटियों का सवाल है इस कृषि आय-कर बिल में उसको तो आप पास कीजिये, लेकिन जहां आपने ५० एकड़ से ३० एकड़ घटाया है और मल्टिपिल बढ़ाया है उसका मैं विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इन दोनों चीजों को हटा दें तो मैं इसका समथन करूंगा।

श्री शिवनारायण (ज़िला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा आज सदन के सामने यह बात बताना चाहता हूं कि यह जो टैक्सेशन लग रहा है और ५० एकड़ की बजाय जो ३० एकड़ पर किया गया, यह अनुचित नहीं है। हम अपने सोशलिस्ट भाई श्री राजनारायण जी को भी बताना चाहते हैं कि जब मैंने उनकी तकरीर सुनी तो मुझे दुःख हुआ कि वह भी विरोध करने लगे।

श्री राजनारायण—हमने विरोध नहीं किया। आप ग़लत कहते हैं।

श्री शिवनारायण—खैर, ३ हजार पर तो आप कहते हैं...

श्री राजनारायण—३ हजार से भी मैंने नहीं कहा। आप ग़लत कहते हैं।

श्री शिवनारायण—खैर, श्रीमन्, यह जो ३० एकड़ पर टैक्सेशन लग रहा है तो ३० एकड़ उन्हीं लोगों के पास है जो बड़े लोग हैं, जिन्होंने ज़मींदारी कानून बनने के समय अपने रिश्तेदार और नातेदारों को अपने खाते को बांट दिया। उन्हीं

[श्री शिवनारायण]

पर यह लगाया गया है। किसी किसान के पास ३० एकड़ जमीन नहीं है। बमुश्किल तमाम मैं तो कम से कम अपने जिले की बात बताता हूं कि ज्यादा से ज्यादा किसी के पास चार बैल की खेती है किसी के पास दो बैल की खेती है, और इससे बेशी किसी किसान के पास नहीं है। ज्यादा खेती बड़े-बड़े जमींदारों के पास है जिनके पास तीस-तीस, चालीस-चालीस बीघा जमीन परती पड़ी हुई है। राजा साहब के यहां पड़ती जमीन पड़ी रहती है और हमारे प्रधान मंत्री जी को देश विदेश से अन्न की भीख मांगनी पड़ती है, क्योंकि आप अकर्मण्य हैं, उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। हरिजनों का नाम लिया गया लेकिन कोई हमें खेत देता नहीं है। हमारा जो टेन परसेंट का रिजर्वेशन है वह भी नहीं पूरा होता है। जिस दिन जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का बजट चल रहा था मैंने अपोजीशन का विरोध किया था, लेकिन किसी पत्र में छप गया कि मैंने हरिजनों का जो हक है उसका विरोध किया। मैंने उसका विरोध नहीं किया वह तो हमारा हक है। अगर बाबू राजनारायण सिंह और राजा साहब देश का कल्याण चाहते हैं, और ग्रो मोर फूड कैम्पेन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनको हरिजनों के लिये जमीन का प्रबन्ध करना चाहिये। खाली गाल बजाने से काम नहीं चलेगा। हम आपके पुराने साथी हैं, नये नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ कह रहा हूं राजा साहब उसको गौर से सुन सकते हैं कि हमने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के साथ तलवार खींची थी। हम उसके अगवाड़े नहीं बस्ते हैं, पिछवाड़े बस्ते हैं। जैसा आप करेंगे वैसा आप भुगतेंगे। कमाते हम हैं और खाते आप हैं। हमारे भाई हल चलाते हैं, मजदूरी करते हैं और राजा साहब खाते हैं और बंगलों में मजा उड़ाते हैं। मैं आज हाउस को बतला देना चाहता हूं कि यह जो टैक्सेशन हो रहा है यह एक बहुत सुन्दर कदम है। हम समाज को बराबर ले आना चाहते हैं, छोटों को ऊपर लाना चाहते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट सोशलिज्म को देश में धीरे-धीरे फैला रही है, सबको बराबर करना चाहते हैं, लेकिन किसी का एकदम गला दबाना नहीं चाहते हैं।

कल हमारे ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर पर जुमलाकशी की गयी, यद्यपि उनका इस सदन में सब से उत्तम विषय था। टैक्सेशन का जब विरोध होता है तब गवर्नमेंट कहां से चलेगी। नो गवर्नमेंट विधाउट टैक्सेशन क्या कोई सरकार बिला कर के चल सकती है? आपने कोई सुझाव पेश किया? राजस्व मंत्री जी कहां से ले आवें, वे अपने घर से नहीं देंगे। आज टीचर्स की हड़ताल चल रही है लेकिन यह उपाय नहीं बताया गया कि उनके लिये रुपया कहां से आयेगा। मैं फिर कहता हूं कि यह एजीटेशन D.B. में होना चाहिये। हम अध्यापकों के पक्ष में हैं, लेकिन जहां से मिलना हो वहां से मांगना चाहिये। मैं राजनारायण जी से कहूंगा कि जब असाढ़ में खेत में हेंगा होने को होता है तब पड़ोसी से कहा जाता है कि हेंगा हमारे खेत में देदो। वैसे ही हमारे हरिजनों का नाम ले लिया जाता है। आप ने तो कुछ किया नहीं। मैं श्री राजनारायण जी से पूछना चाहता हूं कि गंगापुर में आपने कितना इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन किया, आपने अपनी जमींदारी और सीर से कितनी जमीन हरिजनों को दे दी। राजा साहब मैं दूर नहीं रहता हूं, मैं आप के यहां जा करके देखूंगा। मेरी कांस्टिट्चुएंसी आप से सटी हुई है, नदी पार करके मैं आपके यहां पहुंच जाऊंगा। यह जो बिल आया है, इसमें सिर्फ संशोधन करना है, कृषि आय कर हम लगा रहे हैं। हर प्रकार का कर आवश्यकतानुसार लगाना पड़ता है। आवश्यकता के लिये प्रत्येक कार्य करना पड़ता है। यदि किसी के शरीर में फोड़ा हो जाय तो बिला आपरेशन के काम नहीं चल सकता है। जब से स्वतंत्रता हुई है तब से हम सारी मुसीबतें उठा रहे हैं, सूखा हुआ, भुखमरी हुई, और तमाम चीजें हुईं। हमारी गवर्नमेंट ने जनता को चरी खिला करके जिलाया, और मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि जनता ने चरी खा करके हमको वोट दिया। हमने माननीय हुकुम सिंह के एलेक्शन में देखा कि वहां

तमाम राजे लोग इकट्ठा हो गये लेकिन किसान ने असली फैसला दिया । कहना यह है कि सदन में जितनी बात कीजिये उस पर अमल किया जाय, सिर्फ गाल बजाने से काम नहीं चलेगा। हमको और आपको मुल्क की भलाई करनी है। हमको बाहर से अन्न मंगाने में दुःख होता है, हमारा रुपया बाहर की कम्पनियों के हाथ में जाता है। हम और आप मिल करके खेती करें और बांट करके खायं, यह हमारी रिक्वेस्ट है। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि मुल्क की भलाई हो और सब मिल करके देश का उत्थान करें। प्रत्येक गलियों में, शहरों में और हर जगह आज क्रिटिसिज्म चलता है। मैं आज पुनः सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अध्यापकों का जो प्राब्लम है वह तय किया जाय और उस पर विचार किया जाय, और केवल इन्हीं को दावा न रहे कि ये हमदर्द हैं हम भी उस्तादों को उस्ताद समझते हैं, उनको गैर नहीं समझते हैं। इन शब्दों के साथ मैं यह अनुरोध करूंगा कि जितनी बात यहां की जाय वह सुन्दर की जाय। मैंने अभी समझा था कि राजनारायण जी ने कोई अटैक किया होगा। तीस एकड़ का उनका नारा था वह चल रहा है। आप सपोर्ट कीजिये और वह चलेगा। सोशलिस्ट प्रोग्राम जितना था, वह कांग्रेस ने किया। अब वे सोशलिस्ट भाई प्रजातिरट हो गये । तो हिन्दुस्तान में अब कोई सोशलिस्ट तो रहा नहीं, अब तो वे प्रजालिस्ट हो गये। इस-लिये मेरा यह सुझाव है कि यह जो बिल है और जो टैक्सेशन है यह उचित ढंग से किया जायगा। जिनकी दो तीन हजार की आमदनी है या जिनकी आराजी ३० एकड़ से ज्यादा है उनसे यह टैक्स लिया जायगा, नीचे वालों से नहीं लिया जायगा। यह भी सरकार ने आश्वासन दिया है कि जहां पर पत्थर पड़ेंगे वहां यह कर माफ कर देंगे। हम यह प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश में पत्थर न पड़ें और आपत्ति न आये और हमारा देश सुखी और समृद्धशाली बने।

श्री राजनारायण—श्रीमन् एक आपत्ति मुझे यह है कि माननीय शिवनारायण जी ने "बाबू राजनारायण सिंह" कहा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि "बाबू" शब्द भी हमारे लिए घृणित है और "सिंह" शब्द भी मैंने सन् १९४२ से निकाल दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—तो आपने सूचना दे दी। अब आगे से वह इस्तेमाल नहीं करेंगे।

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, अगर उनको दुःख हुआ है तो मैं इन शब्दों को वापस लेता हूं।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा दुर्भाग्य है कि माननीय सदस्य बस्ती की ब्रिलिएंट ओरेटरी के बाद आपने मेरा नाम पुकारा और मुझे मालूम नहीं कि उस ऊंचे पैमाने की ओरेटरी सुनने के बाद माननीय सदस्य इस मूड में होंगे भी या नहीं कि वे कुछ मेरे भी चन्द शब्द सुनें।

श्रीमन्, इस विधेयक में जैसा कि माननीय सभा सचिव ने कहा पांच, छे बातें जिनकी वजह से यह संशोधन विधेयक यहां लाया गया है। इसमें कुछ तो ऐसी गलत-फहमियां या गलतियां या त्रुटियां पहले विधेयक में थीं उनको ठीक करने के लिये कुछ और ऐसी चीजें इसमें रखी गयी हैं जिससे किसी तरह की कोई बेईमानी न की जा सके सरकार के साथ। परन्तु इसके साथ-साथ इस अवसर से यह भी फायदा उठाया गया है कि सरकार के कोष में कुछ अधिक रुपये भी आ जायं। श्रीमन्, जहां तक फ्राडुलेंट ट्रान्सफर का सवाल है इस विधेयक में जो यह प्राविजन किया गया है उससे मैं सहमत हूं। जहां तक यह साफ किया गया है कि अगर १९५२ में जमीन

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

थी और १९५३ में नहीं है तो १९५२ का टैक्स उसको देना ही पड़ेगा उससे भी मैं सहमत हूं। परन्तु आगे जो मुझे प्राप्त है उसमें जो कुछ मैं निवेदन करना चाहता हूं उसका भार भी माननीय सभा सचिव ने मेरे ऊपर से बहुत हल्का कर दिया है। उन्होंने स्वयं कहा कि संयुक्त दल की ओर से जो कुछ आपत्तियां हैं, अमेंडमेंट्स का भी जिक्र उन्होंने किया, मैंने उनके इधर नोट कर लिये थे, "एतराजों की कुछ गुंजायश है"। श्रीमन्, इससे साफ़ यह जाहिर होता है कि सरकार हमारी यह सोचती है कि अगर किसी पुराने वर्ग के किसी सदस्य की ओर से....

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—एतराजों की गुंजायश में क़बूल थोड़े ही कर रहा हूं कि आपके जो अमेंडमेंट्स हैं वे मान लिये जायं।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—मैंने यह कभी नहीं कहा कि माननीय सभा सचिव मेरी आपत्तियों को क़बूल करेंगे। वह तो क़बूल कर ही नहीं सकते क्योंकि अभाग्यवश वह उधर बैठे हुये हैं और सरकार की कुर्सियों पर बैठे हैं और सरकार की ओर से यह विधेयक है तो मेरी आपत्तियों को उनके क़बूल करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं तो यह कह रहा था कि उनके ये शब्द थे कि "एतराजों की गुंजायश है" तो श्रीमन् जहां तक एतराजों का सवाल है मैं माननीय सदस्य बस्ती को यह इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि मैं काश्तकारों के पीछे खड़े होकर या काश्तकारों का नाम लेकर अपनी आपत्तियों को कैमोफ्लाज नहीं करूंगा। मैं जमींदार वर्ग का था, जमींदारों का प्रतिनिधित्व करता था, उनका प्रतिनिधित्व करते हुये चार साल तक मैं अपर हाउस में रहा और मुझे गर्व है इस बात का। इस समय चूंकि इस विधेयक से उन्हीं पुराने जमींदारों का नुक़सान होने जा रहा है इसलिये साफ़-साफ़ कह रहा हूं कि उन जमींदारों की ओर से इस पर आपत्ति करता हूं, काश्तकारों का नाम मैं नहीं लेता हूं। इसलिये कि मैं उससे सहमत हूं कि ५० एकड़ या ३० एकड़ के काश्तकार शायद बहुत कम होंगे। परन्तु मैं वहां पर सहमत नहीं हूं जहां उन्होंने अपने भाषण में करीब १५० मर्तबा "राजा साहब, राजा साहब" का नाम लिया है। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कोई राजा साहब इससे एफ़ैक्ट नहीं होंगे क्योंकि शायद ही कोई ऐसे राजा साहब हों, १ या २ इस प्रान्त भर में, जिनके पास ५० या ३० या ४० एकड़ हो। उसको भी ५० या ३० एकड़ कर दो जाय तो राजा साहबों को भी इससे कोई नुक़सान नहीं होता क्योंकि हर एक के पास शायद १०० या १५० एकड़ होगा। अब नुक़सान किसका होता है? उनका होता है जिनको हर माननीय सदस्य ने यह मान लिया था कि बेचारा वह गरीब जमींदार पिसा जा रहा है जो छोटा जमींदार कहलाया जाता है। परन्तु क्या किया जाय यह अबालीशन आफ जमींदारी का सिस्टम इतना खराब है कि इसके अन्दर चाहे जो कोई पिस जाय हमको तो अबालीशन आफ़ जमींदारी करना है। परन्तु उस रोड़े के हटने के बाद और उस घुन के पिस जाने के बाद अब जिसके पास थोड़ा सा रह गया है जबकि वह किसी प्रकार का शोषण नहीं कर सकता, जब वह किसी प्रकार का इंटरमिडियरी नहीं है, जबकि उसकी सारी सम्पत्ति खोई जा चुकी है और अगर मान लीजिये कि उसके पास ४० या ३० एकड़ सम्पत्ति रह गई है और आप यहां ५० से ३० एकड़ कर रहे हैं तो इसके मानी यही होते हैं कि आपसे वह भी नहीं देखा गया कि वह छोटा जमींदार जिससे आपने सब कुछ ले लिया है जिसके पास ३५ एकड़ है तो उसे इनकमटैक्स न देना पड़े। सरकार की ओर से कहा गया कि चूंकि जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में ३० एकड़ रह गया है इसलिये वह यहां भी ३० एकड़ रख रही है। क्या मैं उनसे बअदब पूछ सकता हूं कि एग्रीकल्चरल इनकमटैक्स में और जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में ३० एकड़ को समानता देने का क्या मतलब है? अगर एग्रीकल्चरल इनकमटैक्स में आप रखते १०० एकड़ और जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में रखते १० एकड़, तो क्या इनकांग्रुइटी है? कारण केवल यही है कि इस सरकार से यह भी न देखा गया कि २० एकड़ का जो अन्तर है जिससे छोटे जमींदारों

को कुछ लाभ होता, वह दरवाजा उनके लिये बन्द कर दिया गया है। श्रीमन्, यहां पर ७ १/२ और १२ १/२ गुने लगान पर बहुत बहस हो चुकी है और जब मैंने माननीय नेता विरोधी दल का इस पर भाषण सुना तो मुझे बड़ी दया आई जबकि वह यह कह रहे थे कि उन्होंने इस बिल को पढ़ा ही नहीं है और समय नहीं मिला है और वह बेचारे डायलेटरी टैकटिक्स नहीं कर रहे थे। वह सत्य कह रहे थे कि उन्होंने सचमुच नहीं पढ़ा। ७ १/२ या १२ १/२ के मानी यह होते हैं कि अगर कोई अपनी जोत या इनकम का हिसाब नहीं रखता तो जितना रेंट होता है उसका ७ १/२ गुना वह पहले दे देता था अब सरकार ने उसे १२ १/२ गुना कर दिया है। कहा यह जाता है कि जब यह हियरडिटैरी रैंट्स लगाये गये थे तो उस समय लड़ाई चल रही थी और गल्ला महंगा था। परन्तु जो माननीय सदस्य इस विधेयक का साथ दे रहे हैं या सरकार एक बात भूल गई कि गल्ला सस्ता तो था परन्तु कृषि आयकर का विधेयक सन् १९४८ में लगाया गया था। सन् ४८ में लड़ाई को खत्म हुये कितने साल हो गये थे और कितने दिन तक गल्ला महंगा रह चुका था यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं। तो सन् ४८ में यह मूल विधेयक बनाया गया था उस समय सरकार को आपत्ति नहीं हुई कि गल्ला अब तो महंगा बिक रहा है और पड़ता लगाया गया था सस्ते गल्ले के समय, इसलिये इसे १२ १/२ गुना लगाया जाय। श्रीमन्, उस समय क्या आपत्ति थी कि साढ़े बारह गुना नहीं किया गया और अब इसको इस तरह से बढ़ाया जा रहा है। अगर सरकार यह कहती कि पहले गलत हिसाब लगाया गया था जिसको अब ठीक किया जा रहा है। उनकी इस बात में भी कोई तत्व नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो सन् ४८ में ही साढ़े बारह गुना कर दिया गया होता लेकिन श्रीमन्, यह एक और तलवार उसी जमींदार पर चलाई जा रही है जिसके पास अब केवल थोड़ी सी खेती बाकी रह गयी है। क्योंकि बड़े-बड़े जमींदारों से तो इसका कुछ वास्ता इसलिये नहीं हो सकता कि उनके पास तो स्टाफ है, वे तो अपना हिसाब रखते हैं, और उसको तैयार करवा भी सकते हैं। ये तो केवल छोटे जमींदार ही हैं जिनके पास स्टाफ नहीं है, और न संपत्ति ही है और वह अपनी सहूलियत के लिये इसको मंजूर कर लेता था कि बार बार कहां हिसाब देते फिरेंगे, या कहीं कोई हिसाब गलत न हो जाय, यह साढ़े सात गुना देने के लिये तैयार हो जाता था। तो यह तलवार छोटे जमींदारों के ऊपर ही चलाई गयी है। मेरी यह समझ में नहीं आता कि उस समय किस हिसाब से यह साढ़े सात गुना रखा गया था, मेरा तो ख्याल है कि यह काफी समझ बूझ कर रखा गया होगा, काफी पूछताछ कर रखा गया होगा फिर अगर ऐसी बात है तो उस समय क्यों साढ़े सात गुना ठीक था और अब उसके बजाय साढ़े बारह गुना क्यों रखा जा रहा है। अगर सरकार यह कहे कि हिसाब में गलती हुई तो अगर उस हिसाब में गलती की वजह से छोटे जमींदारों को कोई थोड़ा बहुत फायदा हो गया, उसके जीवन निर्वाह के लिये कुछ बच गया तो फिर क्यों कर साढ़े सात गुना से बढ़ाकर साढ़े बारह कर दिया जा रहा है। पहले हमेशा यह कहा जाता रहा कि बड़े जमींदार तो केवल थोड़े से हैं फिर जो अधिकतर छोटे जमींदार हैं उन पर यह तलवार क्यों चलाई जा रही है। फिर केवल १०।१५ लाख रुपये के लिये २० लाख जमींदारों के ऊपर तलवार चलाना कहां तक ठीक है यह मैं सरकार के ऊपर ही छोड़ता हूं।

इसके बाद श्रीमन् सभा सचिव महोदय ने ४ किस्तों के बारे में जिक्र किया तथा इस बिल के जो ऐम्स एंड आबजैक्ट्स हैं उनमें भी यह लिखा हुआ है कि ४ के बजाय दो किस्त सुविधा के लिये रखी गई है श्रीमन्, यह सरकार यहां इस मैजारिटी में बैठी हुई है, जैसा चाहे विधेयक लाये, जैसा चाहे आर्डर निकाले लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वह कामन-सेंस को क्यों छोड़ती जा रही है। अगर सरकार की सुविधा की बात होती तब तो कुछ समझ में भी आ सकता था लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वह हम लोगों को क्या बेवकूफ समझती है या यह समझती कि हममें बिल्कुल अक्ल ही नहीं है जो यह समझने लगें कि ४ किस्तों के बजाय २ किश्तों में सुविधा होगी।

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

जिसको ४ हजार रुपया देना है उसको एक-एक हजार करके चार मर्तबा देने में सुविधा अधिक होगी या दो-दो हजार करके दो मर्तबा देने में अधिक सुविधा होगी ? माननीय वित्त मंत्री जी यहां नहीं हैं वरना मैं उनसे पूछता कि अगर मिनिस्टरों की तनख्वाह एक ही इनस्टालमेंट में साल भर की दे दी जाय तो वे किस तरह से अपने बजट को चलायेंगे। हर एक आदमी का अपने-अपने घर का बजट होता है। किसी का १५ हजार का बजट होता है, किसी का १० हजार का बजट होता है, किसी का ५ हजार का बजट होता है। तो वे अपने बजट के हिसाब से ही दे सकते हैं। वे समझते हैं कि कुछ खरीफ की फसल से आमदनी हो जायगी, कुछ रबी की फसल से आमदनी हो जायगी, कुछ इधर उधर से हो जायगी, इस तरह से ४ इनस्टालमेंट में देने में उनको अधिक सुविधा होती है जब कि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि दो इन-स्टालमेंट में उसे अधिक सुविधा होगी। श्रीमन्, ये आपत्तियां थीं जो मैंने बतलायीं। दो तीन बातें जो इसमें सरकार की ओर से लायी गयीं हैं वे ऐसी थीं जिनको देखते हुये मुझे इस विधेयक का सपोर्ट करना चाहिये था परन्तु जो आपत्तियां मैंने आपके सामने रखी हैं उनको देखते हुये मुझे दुख है कि मैं इस विधेयक का साथ नहीं दे सकता।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने उन भाषणों में जो कि सदन में अभी तक हुये हैं यह देखा गया कि कुछ लोग इस विधेयक का विरोध इसलिये करना चाहते हैं क्योंकि यह विधेयक सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया है। और दूसरे लोग इस विधेयक का समर्थन इसलिये करना चाहते हैं क्योंकि वे सरकार की तरफ से ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हुए हैं। परन्तु मैं यह बतला देना चाहता हूं कि यह विधेयक जो प्रस्तुत है उसके जरिये जो सरकार अपनी आमदनी बढ़ाना चाहती है क्या उसका असर जनता के ऊपर पड़ेगा और खास कर उस क्लास के ऊपर जिसको कि वह अदा करना पड़ेगा आया वह नुक्सानदायक होगा और इस हद तक होगा कि उन लोगों के साथ बेइन्साफी कही जायगी। मैं समझता हूं कि हमारे भाई जो कि गरीबों के हमदर्द हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वे निष्पक्ष भाव से इस समस्या पर विचार करने की कृपा करें। वे देखें कि गरीब तबके के लोग जिनके पास छोटी-छोटी जमीनें हैं, और जो ३० एकड़ से कम हैं वे तो इस विधेयक में बरी कर दिये गये हैं। उन छोटे लोगों के ऊपर कोई भी टैक्सेशन बढ़ाने की कोशिश नहीं की गयी है। इसलिये यों कहना कि गरीबों का कोई ख्याल यह विधेयक नहीं करता है यह तो स्पष्ट गलत दिखलाई देता है। अब वे लोग जो कि दे सकते हैं, जो कि आसूदा हालत में हैं और इस जमाने में जब कि सरकार ने लाखों करोड़ों रुपये इस प्रान्त के अन्दर बहाया है और किसानों की हालत सुधारने की बहुत कुछ कोशिश की गयी है, नहरें खुदवाई गयी हैं, कुवें खुदवाये गये हैं, और दूसरी-दूसरी सुविधायें उनको उपलब्ध करायी गयी हैं तो मैं समझता हूं कि जब कि सरकार आर्थिक संकट में है और जब कि हमें इस प्रदेश की आय को बढ़ाना है तो जो यह कहते हैं कि छोटी-छोटी आमदनी के जो जरिये हैं उनको हमें छोड़ देना चाहिये मैं समझता हूं कि यह तो उनकी बिल्कुल गलत दलील है। हमें यह देखना है कि छोटी-छोटी आमदनी पर कर लगाने से हमारे उत्तर प्रदेश की आमदनी बहुत हद तक बढ़ सकती है तो मैं समझता हूं कि इस तरह का ग्राउन्ड पेश करना अनटेनेबिल हुआ करता है। और मैं यह समझता हूं कि ऐसी हालत में जिस प्रकार कि सरकार इस वक्त तुली हुई है टैक्सेशन बढ़ाने के लिये और बहुत से दूसरे-दूसरे टैक्सेशन सरकार ढूंढ़ रही है और लगा रही है तो उस हालत में मैं समझता हूं कि जो यह विधेयक लाया गया है यह बिलकुल जायज है और इसके खिलाफ कोई आवाज उठाना अनुचित है। मैं समझता हूं कि हर माननीय सदस्य इस बात को महसूस करता है कि इस सरकार को चालू रखने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। केवल मंत्रिमंडल ही इसके लिये जिम्मेदार नहीं है जितने एम० एल० ए० साहबान चुने गये हैं उन सब पर इसकी जिम्मेदारी पड़ती है जिनको मुल्क का इंतजाम करने के लिये, मुल्क में नई व्यवस्था चलाने के लिये हमारी जनता ने इस सदन में भेजा है। इसलिये यों न समझ कर कि यह मंत्रियों का ही काम है कि वे टैक्सेज लगायें और कहां-कहां लगायें और हमारी

जब मर्जी हो हम उनका विरोध करें और जब मर्जी हो हम सपोर्ट करें। मैं समझता हूं कि इस तरह का स्टैंड लेना बिलकुल गलत होगा। हमें तो यही देखना है कि सरकार की जो मांग है वह अनुचित है या नहीं और काल, देश, पात्र और समय की मांग इस समय क्या है। अगर उसको ठीक समय पर सरकार नहीं सुनती तो मैं समझता हूं कि सरकार वह महान गल्ती करेगी और आज जबकि हमें अपनी आमदनी बढ़ाना है और सरकार चुपचाप बैठ जाय और उसको स्वयं न ढूंढे तो मैं समझता हूं कि और सरकार समुचित व्यवस्था उसकी नहीं कर पाती है तो वह मुल्क के अन्दर अव्यवस्था को प्रोत्साहन देगी। हमें यह अच्छी तरह मालूम है कि सरकार को बहुत से रुपये की आज जरूरत है। हमारे छोटे छोटे कर्मचारी मुसीबत में हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दो राय भी इस सदन में नहीं हो सकतीं कि उन छोटे नौकरों की तनख्वाहों को न बढ़ाया जाय। यहां पर कहा गया कि प्राइमरी स्कूलों के जो मास्टर्स हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को बहुत गहरी दृष्टि से देखने की जरूरत है। आज केवल मास्टरों का ही प्रश्न नहीं, मास्टरों से भी छोटी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों की बहुत बड़ी तादाद हमारे इस प्रदेश में है उनको कम से कम पेट भरने के लिये मोटा अनाज और पहनने के लिये मोटा कपड़ा और अपने बाल बच्चों के भरणपोषण लायक तनख्वाह तो अवश्य मिलनी चाहिये। ऊंचे दर्जे के लोगों को अच्छा पहनने और खाने को मिले लेकिन गरीबों को मोटा अनाज और कपड़ा अवश्य मिलना चाहिये। तो मैं समझता हूं कि अगर सरकार उसके लिए कोई जरिया नहीं ढूंढती तो वह खतरे में है और वे साहबान जिन्होंने इस मुल्क की व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने लिये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी वे सरकार को इस कार्य में मदद नहीं देते तो वे अपने कर्त्तव्य को अच्छी तरह नहीं समझते। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

(इस समय ४ बजकर ३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, यह जो एग्रिकल्चरल इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है मैं इसका समर्थन करता हूं। बिल बहुत छोटा सा है और इसकी जो मंशा है वह बहुत साफ है। बिल की मंशा इतनी ही है कि अब तक एग्रिकल्चरल इनकम टैक्स की वसूली में जो दिक्कतें आती थीं या जो इस टैक्स को इवेड किया करते थे चन्द लूपहोल्स की वजह से उनको खत्म किया जाय और साथ साथ यह भी देखा जाय कि जो एसेसीज हैं उनकी सुविधायें कम न हों। इस संबंध में जो विरोधी दल के माननीय नेता ने अपना भाषण दिया उसको तथा अन्य सदस्यों के भाषणों को मैंने काफी ध्यान से सुना। माननीय नेता विरोधी दल की सबसे पहली शिकायत तो यह थी कि जब कि और सूबों में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स काफी पहले लागू हो चुका था तो क्या वजह थी कि हमारे इस प्रदेश में यह जल्दी नहीं लगाया गया और हो सकता है कि उनकी बात ठीक हो कि यह टैक्स पहले से लगाया जाना चाहिये था लेकिन मेरा विचार है कि आज उसकी शिकायत करना इस स्टेज पर जब कि एक अमेंडिंग बिल हाउस से सामने हो और सन् ४८ से वह लागू हो चुका हो ज्यादा मुनासिब बात नहीं थी। उसके बाद उन्होंने एक बात यह कही कि ३० एकड़ की जो मियाद रखी है उससे कम की जो जोतें हों उन पर टैक्स नहीं लगाया जायगा और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि ३ हजार रुपये की आय जिसकी होगी उस पर टैक्स लगेगा तो क्या वजह है कि ३० एकड़ से कम की जिसकी जोत है और उसकी आमदनी ३ हजार से अधिक हो तो उसके ऊपर टैक्स क्यों न लगाया जाय। जहां तक सिद्धांत की बात है यह शायद अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन व्यावहारिक कुछ दिक्कतें हैं। अगर कोई मियाद न हो तो यह संभव है कि जो एसेसिंग अथारिटीज हैं वह किसी भी काश्तकार को यह नोटिस दे सकती हैं कि तुम अपनी आमदनी का

[श्री नवलकिशोर]

हिसाब हमारे सामने पेश करो और उसमें काफी संख्या में किसान ऐसे हो सकते थे जिनको काफी दिक्कतें पेश होतीं। इसलिये इस परिस्थिति में यह उचित था कि कहीं न कहीं कोई सीमा बांधी जाय। इसलिये ५० एकड़ से घटा कर सीमा ३० एकड़ पर रख दी गई। इसके बाद उन्होंने यह फरमाया कि बहुत से लोग इनकम टैक्स से बच जाते हैं। मिसालन उनके दिमाग में कुछ बातें आईं जैसे कि ३० एकड़ वाली। इस अमेंडिंग बिल की मंशा यह है कि जो लोग अधिकतर लूपहोल्स के कारण बच जाते थे और जैसा उन्होंने स्वयं कहा कि कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों और बीवी बच्चों के नाम अपनी जमीनें ट्रांस्फर कर दीं और इस तरह से उसकी आमदनी को कम दिखा दिया। इस विधेयक में यह चीज भी है कि इस तरह के जो ट्रांसफर्स हैं उनको सरकार नहीं मानेगी और जो टोटल एकड़ जमीन उनके पास होगी उसकी आय के ऊपर इनकम टैक्स लगाया जायगा तो इस शिकायत के लिये काफी बचत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जैसी कि उनकी एक आदत सी है उन्होंने यह भी अपने भाषण में कहा कि जमीन का वितरण होना चाहिये। उस सिलसिले में यह भी कहा कि ऐसा न होने पर जो खेतिहर मजदूर हैं वह विद्रोह कर सकते हैं। तो उसका जवाब मैं श्रीमान् नहीं देना चाहता यह आये दिन की बातें हैं और ऐसा कहना उनका स्वभाव सा हो गया है। मगर हां, जो उन्होंने अन्त में यह कहा कि सरकार को यह देखना चाहिये कि बेईमानी को कम से कम गुंजाइश हो जानी चाहिये सो ठीक ही है, हर सरकार का यह फर्ज है पर Human Nature as it is मगर मानव स्वभाव जैसा वह है, और हमारा जो नैतिक स्तर आज है उसको देखते हुए तमाम इप्रकाशंस के बावजूद भी यह दावा नहीं किया जा सकता कि ऐसी कोई गुंजाइश अपनी जगह पर बाकी नहीं रहेगी।

इसके बाद श्रीमान् और माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। माननीय वीरेंद्र शाह जी ने कहा कि जो छोटे छोटे काश्तकार हैं उनको इससे बहुत बड़ी हानि पहुंचेगी क्योंकि बजाय ५० एकड़ के सरकार ने ३० एकड़ की सीमा बांध दी है। मुझे खुशी है कि उन्हीं की पार्टी के दूसरे माननीय मित्र ने इसका खंडन कर दिया। हमारे इस प्रान्त में ३० एकड़ जमीन के काश्तकार जिनको हम वाकई में किसान या काश्तकार कह सकते हैं वह बहुत कम हैं। ज्यादातर छोटी छोटी होल्डिंग्स के काश्तकार हैं और इसको उन्होंने स्वयं ही ज्यादा स्पष्ट कर दिया कि जो हमारे यहां भूतपूर्व जमींदार भाई थे जो अब भूमिधर हैं उनके ऊपर ही इसका अधिक असर पड़ता है। उन्होंने यह एतराज भी किया कि इससे ग्रो मोर फूड कम्पेन को भी हानि पहुंच सकती है। तो मेरा ऐसा विचार है कि यह उनकी भ्रान्ति है। ग्रो मोर फूड पर इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, टैक्सेशन से इसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। इंडस्ट्री पर टैक्सेशन होता है तो उससे इंडस्ट्रीज बन्द नहीं हो जाया करतीं, तो एग्रिकल्चर पर टैक्सेशन होने से ग्रो मोर फूड में कमी आ जाय इसको मैं नहीं मानता। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यह नहीं देख सकी कि जो जमींदार भाई खेती करके अपना पेट भर रहे थे उनको शान्ति से रहने दिया जाय मगर उनकी यह आमदनी भी सरकार को खटकी। मैं इस विषय में केवल यह कह देना चाहता हूं कि जो और व्यापारी तबका है उसके ऊपर भी जब वह टैक्स लगाया जाता है इतने हजार की आय के ऊपर तो कोई वजह नहीं है कि एग्रिकल्चरल इनकम टैक्स खेती करने वालों पर न लगाया जाय। एक बात यह कही गई कि साढे ७ गुना से साढे १२ गुना किया गया है। इसका कारण बिल में यह लिखा हुआ है कि साढे सात गुना जब पहले था तब कीमतें कम थीं और चूंकि, अब कीमतें बढ़ गई हैं इसलिये वह भी पहले से ज्यादा बढाया गया है। इसके खंडन में एक बात उन्होंने यह कही की चूंकि यह कानून सन् १९४८ में आया था तो कीमतें तो उस से पहले ही बढ़ चुकी थीं इसलिये यह साढे बारह गुना तभी होना चाहिये था। मैं माने लेता हूं कि यह त्रुटि उस समय ओवर साइट के कारण रह गई थी और अब उसी त्रुटि की कमी इस संशोधन द्वारा पूरी कर दी गई है। यह भी कहा गया कि इस साढे बारह गुना के करने से छोटे २ जमींदारों को नुक्सान होगा। क्योंकि उनकी आमदनी कम होगी। तो श्रीमान मुझे यह कहना है कि यह जो

आपत्ति उठाई गई है वह निर्मूल है क्योंकि हर एसेसी को आप्शन किया गया है कि अगर वह चाहे तो अपनी आमदनी दिखा दे और चाहे तो साढे बारह गुना के हिसाब से दे दे यही नहीं बल्कि हर साल वह अपनी सुविधा के अनुसार दो में से एक आप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मेरा यह निवेदन है कि यह एक छोटा सा विधेयक है और इसे स्वीकार किया जाय।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े आश्चर्य के साथ इस कृषि आय कर विधेयक पर वादविवाद को सुनता रहा। जैसा कि श्री राजनारायण जी ने बताया मैं तो स्वयं भुक्तभोगी हूं। जिनके ऊपर बीती है वह स्वयं समझ सकते हैं और चाहते हैं कि ऐसी किसी पर विपत्ति न आये। उदाहरण के तौर पर मैं अपना हिसाब पेश करता हूं। जुलाई, १९४९ में १३,३६५ रु० ८ आने लगाया गया। फिर अपील में ४,३७० रु० ५ आने कम हुआ और इस तरह से ८,९९५ रुपये ३ आने रह गया। १२ अक्तूबर सन् १९४९ में १७,१५० रुपये लगाया गया। अपील से मार्च, १९५० में २,४९३ रु० १३ आने रह गया और इस तरह से १४,४५६ रुपये ५ आने कम हुआ। मेरे ऊपर अब १७,१५० रुपये लगाया गया तो मैंने कहा कि ग्रो मोर फूड कम्पेन चल रहा है और एक ट्रैक्टर का मूल्य ले लिया गया तब कहा गया कि अपील कर दी जाये, कम हो जायेगा। गत वर्ष की आय पर ११,०७८ रु० ८ आने लगाया गया। अगर इस वर्ष का हिसाब लिया जाता तब कम बैठता छट हो गयी थी, ओले पड़े थे अतः बिना हिसाब लिये इतना लगा दिया गया। इस प्रकार से बातें होती हैं। सरकारी अफसर कहते हैं कि ऊपर से आदेश आते हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के आदेश रोके जायं। सरकारी अफसर समझते हैं कि अगर ज्यादा कर लगायेंगे तो उनकी पदोन्नति होगी। ३० एकड़ तो तभी किया जाता जब कि अन्न बहुत महंगा हो जाता। लेकिन ऐसी दशा में जब कि अन्न सस्ता होने लगा है ५० एकड़ की जो आय होगी वह ३० एकड़ की आय से भी कम होगी। तो ऐसे समय में ऐसा संशोधन किस विचार से हो रहा है यह भी मेरी समझ में नहीं आता। अब जमींदार नहीं रहे और उनके ऊपर वादविवाद उठाना पुरानी बात का पृष्ठपेषण करना है। यहां यह देखना है कि जो कर लगाया जा रहा है उसका प्रभाव किन पर पड़ेगा। अब तो सभी किसान हैं। कोई छोटे, कोई बड़े, कोई सीरदार, कोई अधिवासी और कोई भूमिधर आदि। तो इससे यह स्पष्ट माना जायगा अब तक यह जमींदारों पर लगता था लेकिन अब जब जमींदार नहीं रहे तो अब किसानों पर, बड़े किसानों पर यह कर लगेगा। तो क्या जमींदारों के उन्मूलन होने के बाद अब किसानों का उन्मूलन होगा और अगर उनका भी उन्मूलन हो गया तो फिर उसके बाद कौन शिकार होगा। क्या तीस एकड़ के बाद फिर १० एकड़ और १५ एकड़ वालों से भी वसूल किया जायगा? मेरे यहां अमेठी राज्य में ही ऐसे बहुत से काश्तकार हैं जिनके पास कई सौ बीघा काश्त है और अभी उनमें कई भूमिधर भी नहीं हुये हैं और बहुत से भूमिधर भी ऐसे हैं जो सौ सौ बीघे खेती करते हैं। तो पहले अगर यह जमींदारों के लिये था अब बड़े काश्तकारों के लिये है और यह कुछ नहीं है सिवाय रुपया जुटाने के लिये एक उपाय सोचा गया है और तनिक भी ध्यान इस बात का नहीं दिया गया है कि किस पर इसका क्या असर पड़ेगा। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि यह कृषि आय कर महा भयंकर सिद्ध होगा, इसमें संदेह नहीं है। मैं तो पहले भी कहा करता था कि जमींदारी एक जिम्मेदारी है और कभी कभी भी खत्म हो सकती है। तो वह जमींदारी भी खत्म हो गयी है और अब यह कृषि आयकर महा-भयंकर सिद्ध होगा। मैं माननीय राजस्व मंत्री से यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे सरकारी कर्मचारीगण यह कभी नहीं कहें कि सरकारी हुक्म है इसलिये वह किसी के ऊपर अधिक से अधिक लगा देते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि अपीलें आवश्यक होती हैं और उसके लिये वकील करना पड़ता है, समय लगता है, रुपया जमा कर देना पड़ता है। इसके

[श्री रणंजय सिंह]

अतिरिक्त दो किस्तों की बात क्यों लगाई गई है एक ही किस्त में सारा लगान ले लिया जाया करे। यह इतनी बड़ी कृपा क्यों की जा रही है। इसके अलावा साढ़े बारह गुना की बातें हो रही हैं वह भी ठीक नहीं है। मैं तो यह प्रार्थना करूंगा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये यदि पांच गुना ही बढ़ाया जाय तो उतना अधिक न होगा। और मैं यह भी जानता हूं कि यह किसानों के लिये किया गया है और काश्तकारों का माननीय सदस्यों को पूरा ध्यान रखना चाहिये। अब जमींदारों का प्रश्न तो रह नहीं गया अब तो सभी काश्तकार हैं उन्हीं का अब प्रश्न है और उनको जितनी भी सुविधा दी जा सके, अच्छा है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह किसानों के लिये किया जा रहा है। काश्तकार तो आज वैसे ही बहुत सी चीजों के लिये परेशान हैं और खाने पीने और कपड़े की बहुत सी परेशानियां उनकी हैं, कोई वस्तु उनको सस्ती नहीं मिलती है। उनको आज बहुत ही परिश्रम से अपनी रोटी के लिये कमाना पड़ता है। उनके ऊपर किसी न किसी तरह से एक के ऊपर एक कर लगते जा रहे हैं। आज बहुत से किसान इतने परेशान हैं कि अगर सचचाई के साथ पूछा जाय तो उनके ऊपर कोई कर न लगाया जाना चाहिये। आज जब कि चकबन्दी की योजना बन रही है तो सरकार को किसान के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिये। मैं भी एक काश्तकार ही हूं और मैं कोई जमींदार नहीं हूं। बहुत से लोग कह देते हैं कि मैं कोई बड़ा ताल्लुकेदार हूं या क्या हूं मैं तो एक काश्तकार ही हूं और बहुत पुराना काश्तकार हूं और मैं तो अमेठी राज का युवराज बहुत दुःख के समय में हुआ और ईश्वर की कृपा से मेरे पिता भी अभी जिन्दा हैं और मैं जो काश्तकार हूं पुराना काश्तकार हूं और मेरी काश्तकारी ३० एकड़ से ज्यादा की है। मैं जो कह रहा हूं वह कोई अपने लिये नहीं कह रहा हूं, मेरे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि उनको काश्तकारों की दशा पर ध्यान देना चाहिये और उनको हर प्रकार की सुविधा देनी चाहिये और जिससे उनको कठिनाई न पड़े, तीसरी धारा के बारे में मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि यह धारा 'सबजूडिस' है और हाई कोर्ट में पेश है और इसीलिये, इस पर वादविवाद न होना चाहिये और अगर इसके अर्थ बदले ही जाते हैं तो वह आगे के लिये लागू होने चाहिये। एक प्रस्ताव यह है कि अगर उसकी स्त्री अलग हो गई और खेत जोत रही है तो उसको जोत का कर देना होगा। जहां तक कहा जाता है कि काश्तकारों और उनके शिकमी काश्तकारों के सम्बन्ध में ऐसा होता है कि जो खेत जोते, बोवे जिसके हल बैल मजदूर हों वही मालिक माना जाता है और अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें अभी समाज सुधार होना है। देहातों में यह होता रहता है किसी का झगड़ा हुआ अलग हो गया घर से और अलग काम करने लगा और इधर उधर बट गया तो वह कर देता रहे और उसकी जिम्मेदारी रहे यह बड़ी विचित्र सी बात मालूम होती है। इसलिये जो परिवर्तन किये जा रहे हैं उनमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उनसे किसानों को कोई असुविधा न हो और हमें काश्तकारों की सुविधा और सहूलियत की ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि इस सदन के माननीय सदस्यों में से कितनों ने इस विधेयक के उद्देश्यों में से दूसरे उद्देश्य की तरफ ध्यान दिया है। इस विधेयक का दूसरा उद्देश्य इस प्रकार से है "धारा ४ में विहित ५० एकड़ की सीमा को घटा कर ३० एकड़ कर देने का भी प्रस्ताव है क्योंकि १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में भविष्य के लिये अनुकूलतम खाते के क्षेत्रफल की सीमा ३० एकड़ रखी गयी है।" मैंने खेद के साथ में यह सुना, श्रीमन् कि इस विधेयक का विरोध इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने किया। विधेयक सचमुच छोटा है। किन्तु इसके पीछे

जो भावना है उसको यदि समझने का प्रयास किया जाता तो संभवतः इस विधेयक का कोई विरोध न होता। सदन के कुछ सदस्यों द्वारा यह आवाज उठायी गयी, पहले भी उठायी जाती थी, आज भी उठायी जाती है कि किसी के पास भी ३० एकड़ से अधिक न रखा जाय। मैं सदन के सामने यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे जैसे भी व्यक्तियों की सम्मति में यह अनुकूल नहीं ग़लत है कि इस देश में जहां पर कि ३८ करोड़ की जनसंख्या के पीछे १९ करोड़ एकड़ भूमि जोतने के लिये हो, जिस देश की औसत आमदनी आज भी २ सौ रुपये के लगभग हो और जिस देश की तुलना नित्यप्रति रूस, चीन और जापान तथा अमेरिका से करें, जिन देशों में औसतन प्रत्येक व्यक्ति के पीछे पांच एकड़ भूमि है, उसमें यदि यह मांग की जाय कि यहां के किसी खेतिहर के पास तीस एकड़ से अधिक भूमि न हो सम्भवतः यही नहीं कि अनुचित नहीं है यह न्यायानुकूल भी है। मैंने स्पष्ट रूप से और जोरदार शब्दों में सदा इस मांग का स्वागत और समर्थन किया है और मैं निश्चित रूप से यह बात कह सकता हूं कि यह सरकार भी इस मांग को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखना चाहती। यह विधेयक उसी का प्रमाण है जिससे यह निश्चित रूप से देखा जा सकता है कि सरकार की दृष्टि में भी यह तीस एकड़ का खाता ही उचित और न्यायानुकूल है। अब केवल प्रश्न यह है कि आखिर तीस एकड़ के खाते तक किस मार्ग से पहुंचा जाय। जो कुछ जमींदारी विनाश के समय हुआ और जो आज समस्या इस राज्य सरकार के सामने है। वह स्पष्ट रूप से सामने है। जब कभी भी किसी की भूमि स्थगित करने का प्रश्न उठता है जब यह प्रश्न उठता है कि भूमि के अधिकारों को सरकार द्वारा ले लिया जाय, तो हमारे सामने विधान की धारायें हैं, उनके अनुसार कुछ मुआविजा देना चाहिए। सरकार के पास मुआविजा कहां है। कौन सा ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा धन लेकर कम्पेंसेट किया जाय और जिसके पास तीन एकड़ से ज्यादा भूमि है उसको हस्तगत कर लिया जाय। तो उसका दूसरा मार्ग यह हो सकता है कि टैक्सेशन के द्वारा यह असम्भव कर दिया जाय कि किसी के पास तीन एकड़ से ज्यादा भूमि रहे। मैं यह नहीं जानता सरकार इसको किस दृष्टि से सामने रखती है और कौन किस दृष्टि से इसको सामने रखता है। लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट यह कहता हूं कि यह उस गोल तक पहुंचने का एक रास्ता है जिसके द्वारा हम कह सकें कि किसी के पास तीस एकड़ से अधिक भूमि न हो और जिनके पास हो उनके लिए मैं आवाज उठाता हूं कि वह अधिक टैक्स दें जिससे उनके पास तीस एकड़ से अधिक भूमि न रहे। आज केवल साढ़े बारह गुना कर का सवाल है यदि आवश्यकता हो तो इससे ज्यादा बढ़ा दिया जाय।

मेरे मित्र टैक्सेशन की बात को ले आते हैं। कहते हैं कि खेतिहर पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि वह अपने दृष्टिकोण को बदलें। यह खेतिहर पर टैक्स नहीं है। यह उन लोगों पर टैक्स है जो तीस एकड़ से अधिक भूमि रखते हैं। इस निर्धन देश में जहां पर कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जिनके पास एक चप्पा भूमि नहीं है और जिन्होंने सदा ही खेती का काम किया है जिन्होंने कहीं साझा किया, कहीं मजदूरी की और जो आज आए दिन दाने-दाने के लिये तरसते हैं उनके साथ अब कोई खाता न करवाएं, साझा न करवाएं, मजदूरी उनसे न करवाएं कि कहीं ऐसा न हो कि अगर किसी को साझे में दखल देने के लिये बुलाया गया तो उसी का खाता न हो जाय। तो जब हमारे जमींदार साहबान जिनकी मैं बहुत वक़अत करता हूं, जिनकी सम्पत्ति ऐहिक दृष्टि से, आज के मैटिरियलिस्टिक प्वाइंट से हमने छीनी, उनके प्रति सहानुभूति होते हुये भी मैं उनसे कहता हूं कि वह समझने की कोशिश करें।

मेरे एक मित्र ने ८ लाख की आमदनी पर एक टैक्स देने का जिक्र किया। मैं नहीं जानता कि अब वह अपने हृदय में यह विचारते हैं या नहीं कि आज इस निर्धन देश की औसत आय कितनी है, पर मैं तो उन्हीं की न्याय दृष्टि के लिए उनके सामने

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

रखता हूं कि आखिर क्या बात है। क्यों वह ८ लाख की आय पर किसी टैक्सेशन की, टैक्स देने की शिकायत करते हैं। आठ लाख की आय वाला व्यक्ति तो हमारे यहां बहुत बड़ा व्यक्ति है। वह चाहे कुछ भी हों, उनके बड़प्पन के लिये मुझे कोई रोष, दुःख या घृणा नहीं, किन्तु मैं उनके सामने रखता हूं कि यह उनके लिये कौन सा न्याय है कि वह इस ग़रीब देश में ८ लाख की आय रखते हैं ? किसी भी व्यक्ति के लिये यहां यह गुंजायश नहीं है कि वह इस निर्धन देश में इतनी आय रखता है।

मेरे दूसरे मित्र ने ग़लती से यह सोचा कि यह जमींदारों के ऊपर कुठाराघात है। उन्होंने जिक्र किया कि जितने जमींदार हैं, जिनकी सम्पत्ति हम लोगों ने छीनी, उनके अधिकारों पर भी कुठराघात किया जा रहा है। मैं उनसे कहता हूं कि वह ग़लत समझ रहे हैं और जब वह जमींदारों का जिक्र करते हैं तो उन्हें इतिहास के पन्नों का जिक्र करना चाहिये, जमींदारी का प्रश्न नहीं उठता, वह तो बीती हुई यादगार बनी रहेगी कुछ दिनों तक। आज की स्थिति में जमींदारों का कोई प्रश्न नहीं। आज तो प्रश्न यह है कि जिस व्यक्ति के पास ३० एकड़ से अधिक भूमि है, मैं उम्मीद करता हूं कि वह भूमि उससे छीन ली जायगी। मैं नहीं चाहता कि इस समय किसी के पास ३० एकड़ से ज्यादा भूमि हो। (कोलाहल) मैं इन आवाजों का आदी नहीं हूं और मैं चाहता नहीं कि मैं एक एक का उत्तर दूं। मैं नहीं चाहता कि जब ८ लाख का जिक्र किया जाय तो साथ में डालमिया साहब का भी जिक्र हो। यह कहा जाय कि कांग्रेसमैन के पास ज्यादा भूमि है। उनको समझना चाहिये कि वह भूमि उनसे भी छिनेगी। ऐसा तो नहीं है कि इस विधेयक के द्वारा कांग्रेस मैन को कहीं अलग कर दिया गया हो। ऐसा भी नहीं है कि डालमिया साहब को इस विधेयक के द्वारा किसी एक्सेप्शनल नोट में लिख दिया गया हो। तो यह सब थोथी बातें हैं और उनका एक एक का उत्तर देना अनुचित है।

लेकिन एक चीज मैं सदन के सामने रखूंगा जिनको मैं चाहता हूं कि मंत्रिमंडल विचारे। कुछ स्थल ऐसे हैं जैसा कि बुंदेलखंड का स्थल है, जिसमें कि एक काश्तकार होता है। यह सही है कि वहां लगान कम है और भूमि अधिक है, किन्तु मैं नहीं जानता कि उनके पास इतने साधन हैं कि वह इतना कर दे सकेंगे। उनको भी क्या आप उसी स्थान पर रखेंगे जिनमें कि आपने दूसरे खेतिहरों को रखा है? मैं मंत्रिमंडल से नम्र निवेदन करता हूं कि वह इस पर अलग से विचार कर लें कि उनकी स्थिति क्या होगी।

जहां पर सुरेश प्रकाश जी ने कहा कि दो बार में टैक्स लेने का उसूल, उनकी दृष्टि में कोई सदस्य इस सदन में नहीं है जो उसे मंजूर कर सके, तो मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूं कि मैं उन सदस्यों में से एक हूं और उसका कारण यह नहीं कि मैं इधर बैठा हूं और वह उधर बैठे हैं, लेकिन मैं उनसे नम्रतापूर्वक कहता हूं कि वह जरा इस पर विचार करें कि यह दो दफा देने की व्यवस्था क्यों आई? उनको अपने को उन खेतिहरों से अलग करना पड़ेगा जिनकी दो फसलें होती हैं। मासिक रूप से मुझको कोई आय होती है तो मैं उस आय के कर को तीन इंस्टालमेंट में दूं या दो में दूं या ४ में दूं, तो मेरे लिए तो वह चीज कोई महत्व नहीं रखती। लेकिन जिस खेतिहर को केवल वर्ष में दो बार आय हो, यदि आप उससे तीन दफा या चार दफा कर लें, तो मैं समझता हूं कि यह उसके साथ अन्याय है। वह इसलिये कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय के अनुसार अपने खर्च का लेखा जोखा करता है। उसको यह विचारना पड़ता है कि अपनी आय को वह किस प्रकार, कब और कैसे खर्च करे। प्रत्येक व्यक्ति मेरे समान या उनके समान या और किसी भाई के समान इतना लेखा जोखा रख नहीं पाता जिससे वह पूरे तौर पर यह विचार सके कि एक इंस्टालमेंट मेरा मार्च में ड्यू है, दूसरा फिर बाद में तीन महीने बाद, तीसरा उसके तीन महीने

बाद और चौथा उसके चार महीने बाद आयेगा। तो वह प्रत्येक के लिये अपने पास के उस पैसे को बचा के रख सके। ऐसी दशा में मैं श्रीमन् उनसे ही पूछ लूं कि आप यदि दो बार की व्यवस्था करते हैं, जब कि दो बार उसके पास आय होती है, वह दोनों बार अपनी आय में से निकाल कर कुछ बचा हुआ धन इसके लिये दे दे, तो वह अनुचित होगा या उचित इसको वही विचारें। मेरी दृष्टि में यह उचित ही होगा कि वह इस प्रकार दो बार करके अपना कर दे सके।

मेरे मित्रों में से किन्हीं मित्रों ने इस विधेयक के कुछ दूसरे स्थलों पर भी कहा और खास तौर से उन्होंने जिस चीज पर विशेष जोर दिया, यद्यपि मैंने उसका जिक्र श्रीमन् के समुख अभी किया, वह साढ़े १२ गुना वाली बात थी। उन्होंने कहा कि यह साढ़े सात से बढ़ा करके साढ़े १२ गुना किया गया है। मैंने अभी इसका उत्तर दिया। गल्ले के भाव के सम्बन्ध में यद्यपि बात ठीक है कि उस समय के और आज के भाव में कुछ अन्तर है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं नहीं जानता कि सचमुच सरकार इसको इस दृष्टि से देखती है या नहीं। मैं तो चाहता हूं कि यह जो साढ़े १२ गुना वाली बात है इसको कुछ और बढ़ा दीजिये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस तर्क में यह भावना नहीं है कि आप टैक्स अधिक लगायें, किन्तु भावना यह है कि तीस एकड़ से अधिक जोतों को समाप्त कर दीजिये। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ और निवेदन करना नहीं है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोस्त को बधाई देना चाहता हूं कि आज उन्होंने एक निहायत शानदार तकरीर इस सदन के सामने फरमाई। लेकिन अफसोस यह है कि बहुत सी बात या तो वह समझने का साहस नहीं रखते हैं या देखते हुये भी उसे मानने के लिये तैयार नहीं हैं। अभी मेरे मित्र ने यह फरमाया कि एक सज्जन के पास ८ लाख की जायदाद है और अगर उसे कुछ देना होता है तो उसे किस तरह से आपत्ति होती है, यह शायद वह नहीं समझ पाये। आज हजरतगंज की सड़कों पर वह घूमता है और उसके तन पर वस्त्र नहीं है, पेट में अन्न नहीं हैं तो वह हमारे आचार्य जी से पूछ सकता है कि यह टोपी धोती और कमीज जो आपके ऊपर है यह भी एक नैसेसिटी नहीं, बल्कि लक्जरी है। (हंसी) मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि यह हंसनेवाली बात नहीं है, समझने की कोशिश कीजिये। यदि आपका बहुमत है तो यह न समझिये कि जो कुछ आप कहते हैं वही ठीक है बल्कि दूसरों को भी कहने और सुनाने का अधिकार है। हमारे कांग्रेसी भाई यह समझते हैं कि जमींदारों की जमींदारी छीन लेने से या किसी के पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है तो उसे टैक्स का देनदार बनाने से वह मुल्क की तरक्की कर रहे हैं लेकिन वह यह नहीं समझते कि इससे प्राइवेट प्रापर्टी को सैंक्टिटी नष्ट-भ्रष्ट होती है। मैं समझता हूं कि वे भूल करते हैं और वह ऐसी भूल है कि वह केवल हमारे समाजवादी नेताओं तक ही नहीं पहुंचते या हमारे विरोधी दल के नेता तक ही नहीं पहुंचते, बल्कि वह रूस तक पहुंचने की इच्छा कर रहे हैं और अपने माननीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी वह अगर शिक्षा देने का साहस नहीं कर सकते तो यह अवश्य करते हैं कि उनको यह बतला दें या यह सलाह दें कि जो कुछ हमारे नेताओं की फारन पालिसी है वह न्यूट्रल रहने की, वह बिला वजह बेकार है। यह हो सकता है कि मैं जो कुछ जमींदार होने के नाते यहां कहूं वह उन्हें बुरा लगे या वह उसे सुनने के लिये तैयार न हों। लेकिन वह आज कम्युनिज्म की तरफ जा रहे हैं। वह आज हर एक जमींदार को और जमींदार ही नहीं बल्कि हर काश्तकार को जिसके पास ३० एकड़ या ज्यादा जमीन है मजबूर कर रहे हैं कि वह जावें उनके साथ बल्कि जो उनके बड़े भाई हैं माननीय नेता विरोधी दल के उनके साथ जावें। हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा था कि वह तैयार नहीं हैं

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

इस बिल के लिये, यह ठीक है। लेकिन उसके बाद विवश होकर उनको कुछ न कुछ अपना मत प्रकट करना पड़ा। सचिव महोदय इसके लिये तैयार नहीं थे कि वह इसे दूसरे दिन के लिये टालते। रौलिंग हो चुकी है, लिहाजा उस पर मुझे अधिक कहने का साहस नहीं है और अधिकार नहीं है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि मंत्रि महोदय को आपत्ति भी हुई तो वह डबल डीलिंग के समझने में। मैं समझता हूं कि हमारे नेता ने डबल डीलिंग इस बिल के साथ भी की है। बग़ैर समझे आपने यह भी कह दिया कि ३० एकड़ से ज्यादा जिसके पास जमीन हो वह नेशनेलाइज करली जाय। फैवरिट टर्म हैं, सोशलाइजेशन और नेशनेलाइजेशन कर लिया जाय। माननीय सचिव जी ने कहा कि यह बहुत निर्दोष बिल है, यह बहुत मामूली सी बात है कि जहां ७ १/२ गुना था वहां १२ १/२ गुना कर दे रहे हैं और जहां ५० एकड़ था वहां ३० एकड़ कर देते हैं।

श्रीमन्, यह मैं बता दूं कि भूतपूर्व जमींदार कुछ भी हो सकता था लेकिन वह बेवकूफ़ नहीं था। यह अगर आप उन को समझाना चाहते हैं कि यह आप उन के हित के लिये कहते हैं तो यह आप की भूल है। यही नहीं, दूसरी बात और भी कह गुजरते हैं। इस विधेयक में है श्रीमन् कि चार क़िस्तें थीं यह मुनासिब नहीं थीं, ये दो कर दी जांय। बच्चों को अगर आप यह समझाते तो उनको भी शायद यह चीज समझ में न आती फिर प्रौढ़ लोगों को यह चीज समझाना कहाँ तक उचित है मैं नहीं समझता। श्रीमन्, इससे किसी की नीयत पर छींटे डालने का मेरा अभिप्राय नहीं है बल्कि मुझे यह कहना है कि जिस सिद्धांत से मल्टीपुल प्रोड्यूस और वैल्यू में भिन्नता ला रहे हैं इसका परिणाम भविष्य में चल कर यह होगा कि स्लम्प जब था और हेरिडिटरी राइट पर वह किया गया, अगर यही प्रिन्सिपिल ठीक है तो आज इसके माने यह होंगे कि भूमिधरों से जो वादा सरकार करती है कि ४० साल तक कोई इनहान्समेंट नहीं होगा यह ग़लत होगा। अगर यह सिद्धांत मान लिया जाय कि एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स के लिये वह रेट कम था तो यह भी माना जा सकता है कि जो आज काश्तकार लगान देता है कि उस स्लम्प के आधार पर वह कम है लिहाजा आप उनसे ले सकते हैं और वह प्रिविलेज्ड क्लास जिसको आपने भूमिधर और शेबनाग और क्या-क्या बना कर रखा है वह तो ४० साल तक आप के शिकंजे में पड़ेगा नहीं। जमींदारों के ऊपर हर तरह से छींटें आते हैं। वे अब मर चुके और मैं समझता हूं कि अब उन को भूल जाना चाहिये। लेकिन लोगों में एक आदत सी हो गयी है कि वोट भी मिलेगा तो भी जमींदारों को गाली देने से ही मिलेगा। अब और कुछ तो रहा नहीं है। सन् ३७ में जो कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनी उसके किसी हद तक हम भी जिम्मेदार हैं कि हमने इन कांग्रेसी भाइयों को गद्दी पर पहुंचाया क्योंकि कुछ तो हमारी ग़लतियों की वजह से और कुछ हमारे छोटे जमींदारों की भूल की वजह से जिनको यह कहा जाता था कि ढाई सौ से नीचे वाले तो हमारे भाई हैं।

श्री शिवनारायण—आप की इजाजत से मैं राजा साहब को बता देना चाहता हूं कि आप ने कभी हमारा साथ नहीं दिया।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—श्रीमन्, इन को कोई अधिकार नहीं है बोलने का। इन माननीय सदस्य ने भी कुछ बातें कहीं लेकिन उनका जवाब देना तो मैं समझता हूं कि स्तर को बहुत नीचे गिरा देना है और उस अभिशाप के लिये मैं कदापि तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि "स्तर को बहुत नीचे गिरा देना है" ये शब्द आप को इस्तेमाल नहीं करने चाहिये। इस तरह से एक दूसरे का अपमान करना है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—श्रीमन्, यह अपमान नहीं। मैं वास्तव में यह हृदय से कह रहा हूं। इसमें अन्तर होता है। (हंसी)

श्री अध्यक्ष—लेकिन ये शब्द आप को नहीं कहने चाहिये।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---श्रीमन् जो कहें वह आज्ञा शिरोधार्य है। मैं वापस लेता हूं। लेकिन यह मैंने हृदय से कहा था, अपमान करने की मेरी नीयत नहीं थी।

आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि इस बिल पर विचार कर लें और यह जो साढ़े १२ गुणा और ३० एकड़ सब्टीट्यूट है यह हानिकारक है जमींदारों के लिये ही नहीं बल्कि काश्तकारों के लिये भी क्योंकि आप यह अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस प्रदेश में काश्तकार भी ऐसे हैं जिनके पास ३० एकड़ से अधिक जमीन है। यह मैं मानता हूं कि ऐसे काश्तकार कम हैं लेकिन हैं जरूर। अगर यही रवैया हमारी सरकार का आगे रहा तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का मर्जर स्वयं आप लोगों की करतूतों से आ जायगा। और इससे ज्यादा आप बहुत दूर तक चले जायंगे। हमको केवल अब यही कहना है कि अब अन्याय और अत्याचार काफ़ी हो चुके हैं और अब वह सीमा आ गयी है जिसका उल्लंघन करना श्रेयस्कर नहीं है।

श्री व्रजभूषण मिश्र---श्रीमन्, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री अध्यक्ष---अभी एक और साहब बोल लें।

श्री रामसुभग वर्मा (ज़िला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन के सामने जो कृषि आय कर विधेयक प्रस्तुत है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह बतलाया जा रहा है कि यह विधेयक छोटा सा विधेयक है लेकिन मेरा कहना तो यह है कि किसानों के लिये पहाड़ है। श्रीमन्, हमारा देश कृषि प्रधान देश है लेकिन फिर भी खेती के लिये कोई उपयुक्त साधन नहीं है। श्रीमन्, आज कल जो पहले खेती में पैदा-वार होती थी उससे वह बहुत कम हो गयी है। खास कर देवरिया ज़िले में आज से पहले जब यहां अंग्रेजों का राज्य था तो वहां पर खेती से इतनी पैदावार होती थी कि ३ महीने रबी की फसल से और ३ महीने ख़रीफ़ की फ़सल से वहां पर ६ माह का गुज़ारा हो जाता था तथा ६ महीने के लिये ग़ल्ला बाहर से मंगाना होता था लेकिन ४,५ वर्षों के लगातार वर्षा, सूखा, ओले और पछवा तथा अन्य कारणों से वहां की फ़सल नष्ट होती रही है। फिर भी दिन पर दिन अनेकों प्रकार के करों का बोझा किसानों के ऊपर लादा जा रहा है। किसान इस समय करों से इस प्रकार ऊबा हुआ है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरीक़े से रावण के राज्य में सारे करों के बाद देवताओं पर एक कर लादा गया था और वह यह कि खून जमा करो उसी प्रकार किसानों पर अब यह कर लादा जा रहा है। एक तरफ तो किसान अपने आप को लगान के चुकाने में असमर्थ समझ रहा है दूसरी तरफ उसके ऊपर कृषि आय कर का बोझ लादा जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आता कि वह उसको किस प्रकार से संभाल पाएगा। मैं आपके द्वारा यह भी बतलाऊं कि खेती कई प्रकार की होती है यानी दुमट, बांगर, रेतीली और धूसी जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार की पैदावार होती है। यहां यह रखा गया है कि टैक्स ३० एकड़ से ऊपर की जोत पर लगाया जायगा लेकिन मैं तो यह देखता हूं कि ६० एकड़ में भी लोगों के खाने का गुज़ारा नहीं होता है। बहुत सी ज़मीनें ऐसी हैं जिनमें २० एकड़ में इतनी पैदावार हो जाती है जितनी दूसरी ६० एकड़ में भी नहीं होती। इसके बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप कृषि आय कर लगाना ही चाहते हैं तो कृषि आय कर लगाने से पहले आप उस खर्चे को काट दीजिये जो वह ज़मीनों के ऊपर ख़र्च करता है, बीज के दामों को छोड़ दीजिये, लगान को छोड़ दीजिये, घर की और जितनी ज़रूरतें जैसे कपड़ा, खाना, लड़कों की पढ़ाई, श्राद्ध और विवाह आदि हैं उनका खर्चा आप उसमें से निकाल दीजिये, बाक़ी जो बचे उस पर अगर आप कृषि आय कर लगायें तो मुमकिन हो सकता है।

श्रीमन्, मैं यह बतला रहा था कि आज तक किसान ३ महीने रबी और ३ महीने ख़रीफ़ की पैदावार से इस प्रकार किसी न किसी तरह वह अपना गुज़ारा ६ महीने तक करता था लेकिन आज चार पांच वर्ष से ऐसी हालत हो गयी है कि न वे अपने बीज की क़ीमत ही जो किसी के यहां से लाते

[श्री रामसुभग वर्मा]

हैं चुका पाते हैं न खाद ही जो किसी सोसाइटी से या कहीं से लाते हैं उसकी ही क़ीमत चुका पाते हैं और न जिससे हल ख़रीदते हैं उसका ही दाम दे पाते हैं। उनके ऊपर दिनों दिन क़र्ज़े का बोझ लदता जा रहा है। जमींदारों की बात जो बतलायी गयी है तो जमींदार ख़त्म होने के बाद वे भी एक प्रकार के किसान ही हो गये हैं और जो उनके ऊपर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि वे ३० एकड़ से ज्यादा जमींन अपने पास नहीं रख सकते हैं तो जिस वक्त आप ने यह चीज की उसी वक्त जमींदारों ने अपने खानदान में अपनी जमींनों का बटवारा कर दिया और बीस-बीस एकड़, तीस-तीस एकड़ कर दिया। तो फिर आप किस पर कर लगायेंगे? वे लोग जो पहले अपनी खेती करते थे तो वे कोई मवेशी व बैल नहीं रखते थे। वे दूसरों से हरी ले लेकर अपने खेतों को जोतवा लेते थे। वे अपनी जमींदारी के गांव से एक-एक दिन सौ-सौ हल लेकर अपने खेतों को जोतवा लेते थे और उन्हीं के जरिये उनकी खेती होती थी लेकिन अब तो जमींदारी ख़त्म होने के बाद उनको हरी मिलती नहीं है। उनकी हालत तो उस सांप की हो गयी है जिसके दांत तोड़ कर सपेरा अपने पास रखता है ताकि वह काटने न पावे। वही हालत आज जमींदारों की भी हो गयी है। वे खेती तो करा नहीं पाते हैं लेकिन एक बार अपने खेतों में हल घुमवा देते हैं ताकि सरकार कहीं परती जमीन समझ कर उस पर क़ब्ज़ा न कर ले। मगर वास्तव में उनकी जमींन परती ही पड़ी रहती है। इस तरह से उनकी आमदनी भी ऐसी है जिसके ऊपर वे कर नहीं दे सकते हैं। जो खेत वाले थे वे आज बिना खेत हो गये हैं। जिन के पास पैसे हैं उन्होंने उन खेत वालों से पैसे के बल पर उनकी खेती ले ली है। इस तरह से किसानों की हालत पहले से ख़राब हो गयी है। उनकी मालीहालत ऐसी हो गयी है जिसको वे संभाल नहीं पाते हैं। उनके पास खेत नहीं हैं जिससे वे बेकार पड़े रहते हैं। हमारे प्रान्त में या कहीं भी पहले खेती करने वाले कुछ थोड़े से लोग थे। पहले खेती कम होती थी लेकिन चूंकि उर्वरा शक्ति अधिक थी इसलिये पैदावार ज्यादा हुआ करती थी। अब ज्यों-ज्यों प्रान्त की या देश की आबादी बढ़ती जाती है त्यों-त्यों लोग बेकार होते जाते हैं और अब उनकी निगाह गयी है खेती की तरफ। जो लोग मेहनत करके खेती करते थे, जो जंगलों को काट-काट कर उनको खेत बनाये, वे आज बिना खेत के हो गये हैं, जिनके पास खेती थी वह खींच कर दूसरों के पास चली गयी। उसको पैसे वालों ने हड़प लिया है। मैं आप को बतलाऊं कि ज्यादा से ज्यादा जो खेती में लगे हुये थे वे आज बेकार हैं और वे अपनी रोजी के लिये बाहर चले जाते हैं, चम्पारण चले जाते हैं और वहां जा कर अपने पेट भरने का प्रबंध करते हैं। इस तरह से उनकी बेकारी बढ़ती जाती है, उनको शादी ब्याह भी करने पड़ते हैं, श्राद्ध करने पड़ते हैं, और भी दूसरी जरूरियात की चीजें उनकी बढ़ती जाती हैं और खेती की पैदावार घटती जाती है और उसके बाद भी सरकार उन पर अनेकों प्रकार के टैक्स लगाती जा रही है। मैं समझता हूं कि आप जितना भी टैक्स लगाते हैं उन सारे टैक्सों का भार किसानों के ऊपर ही जा कर पड़ता है, दूसरों पर नहीं पड़ता है। जो माननीय सदस्य यहां पर बैठे हुये हैं उनके ऊपर इसका क्या भार पड़ेगा? जो खेती करने वाले हैं उन्हीं के ऊपर सारा टैक्स लगाया जाता है अगर वह दियासलायी भी ख़रीदता है तो उस पर भी उसे ही टैक्स देना पड़ता है, या बाजार से जो चीजें भी ख़रीदता है उस पर उसे ही टैक्स देना पड़ता है। मैं तो कहता हूं कि कम से कम सरकार को चाहिये कि वह किसानों को इस कृषि कर से अवकाश दे और बड़े-बड़े लोगों पर ही जो फार्म बनाये हुए हैं उन्हीं पर, ३० एकड़ से अधिक जोत वाले हैं, कृषि कर लगाये। और अगर लगाती ही है तो मेरा एक सुझाव है कि खेती करने वालों की कृषि में जितनी लागत लगती है उस लागत को छांट कर, लगान को निकाल कर, घर में जो शादी ब्याह, श्राद्ध वगैरह का ख़र्चा है उसको छांट कर, लड़कों की पढ़ाई का जो ख़र्चा है उसको छांट कर, इस प्रकार से जो बकिया आमदनी हो उसी पर वह कर लगावे। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को और किसी तरह पर जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के विरोध में कुछ बातें कही हैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा न तो कोई टैक्स या कर बढ़ाया जा रहा है और न कोई नया कर लगाया जा रहा है। ३ हजार की आमदनी पर, जैसा कि मूल विधेयक में है, कृषि आय कर लगाये जाने का कानून था, वही तीन हजार की आमदनी पर अब भी कर लगाया गया। श्री राजनारायण जी को इस संबंध में, जैसा कि मैंने उनके भाषण से समझा, कुछ भ्रम है। यह ३० एकड़ की बात जो कही गयी है तो वह यह है कि जिनके पास ३० एकड़ से कम जमीन होगी और साथ ही साथ ५० रुपये से उनकी कम आमदनी होगी तो उनके ऊपर कोई कृषि आय कर नहीं लगाया जायेगा। यानी उनकी आमदनी का कोई ब्यौरा नहीं लगाया जायेगा। अगर उनके पास ३० एकड़ से कम भूमि है और ५० रुपये से उनकी कम आमदनी है तो उनको नोटिस भी जारी नहीं होगा। लेकिन अगर ३० एकड़ से कम भूमि है और ५० रुपये से ज्यादा रेवेन्यू है तब उनकी आमदनी देखी जायगी। अगर तीन हजार रुपये से आमदनी ज्यादा है यानी अगर इस तरह से ३० एकड़ से कम भी भूमि है लेकिन ५० रुपये से ज्यादा रेवेन्यू है तो भी उनकी आमदनी देखी जायेगी। अगर ३ हजार रुपये से उनकी आमदनी कम होती है चाहे उनके पास जितनी भी भूमि हो लेकिन तीन हजार से आमदनी कम होती है तो भी उनके ऊपर कोई आयकर नहीं लगेगा। इस तीन हजार की जांच के लिये दो तरीक़े रखे गये हैं। पहला तरीक़ा यह है कि अगर तीस एकड़ से उसके पास भूमि ज्यादा है और ५० रुपये से रेवेन्यू ज्यादा है.....

श्री अध्यक्ष---अब तो बहुत समय लग जायगा। मैं समझता हूं कि आप अपनी स्पीच अगले रोज जारी रखें।

१९५३-५४ की वित्त समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---वित्त समिति की सदस्यता के लिये निम्नलिखित अभ्यर्थियों के नाम निर्देशित किये गये हैं:---

१---श्री भूपाल सिंह,
२---श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा,
३---श्री कालिका सिंह,
४---श्री विष्णुशरण दुब्लिश,
५---श्री सुगनचन्द,
६---श्री वीरेन्द्र वर्मा,
७---श्री राधाकृष्ण अग्रवाल,
८---श्री वंशीधर मिश्र,
९---श्री मुहम्मद अदील अब्बासी,
१०---श्री भगवती प्रसाद शुक्ल,
११---श्री नारायण दीन,
१२---श्री धर्मसिंह,
१३---श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट,
१४---श्री नारायण दत्त तिवारी,
१५---श्री पुत्तूलाल,
१६---श्री हरदयाल सिंह पिपल, व
१७---श्री उल्फत सिंह चौहान।

२६ मार्च, १९५३ को १ बजे तक नामों की वापसी का अन्तिम समय नियत किया गया था यदि इस समय के भीतर ३ नाम वापस नहीं हुये तो २७ मार्च, १९५३ को ११ से ३ बजे तक विधान वाचनालय में निर्वाचन किया जायगा।

१९५३-५४ की सार्वजनिक लेखा समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---सार्वजनिक लेखा समिति के २० स्थानों के लिये २३ नाम आये हैं। वे इस प्रकार हैं:---

१---श्री मदन मोहन उपाध्याय,
२---श्री सुखीराम भारतीय
३---श्री बेचनराम गुप्त

[श्री अध्यक्ष]

४—श्री शिवमंगल सिंह कपूर
५—श्री रामजी सहाय
६—श्री रामस्वरूप गुप्त
७—श्री जयराम वर्मा
८—श्री देवदत्त शर्मा
९—श्री लक्ष्मण राव कदम
१०—श्री रतन लाल जैन
११—श्री रामस्वरूप
१२—श्री दाऊ दयाल खन्ना
१३—श्री गोवर्धन तिवारी
१४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी
१५—श्री जयपाल सिंह
१६—श्री शिवदान सिंह
१७—श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह
१८—श्री अब्दुल मुईज़ खां
१९—श्री नाज़िम अली
२०—श्री महाराजकुमार बालेन्दुशाह
२१—श्री त्रिलोकी नाथ कौल
२२—श्री रामबली मिश्र
२३—श्री कुंवर कृष्ण वर्मा

२६ मार्च, १९५३ को एक बजे तक नामों की वापसी का अन्तिम समय नियत है। यदि निर्धारित समय तक इस समिति से तीन नाम वापस नहीं लिये गये तो २७ मार्च, १९५३ को ११ बजे से तीन बजे तक विधान वाचनालय में एतदर्थ निर्वाचन किया जायेगा।

कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में घोषणा

श्री अध्यक्ष—अब सात जो स्थायी समितियां हैं। इनके चुनाव होने थे। इनमें ज्यादा नाम थे। अब इन लोगों ने नाम वापिस ले लिये हैं। जिन लोगों ने नाम वापिस लिये हैं उनके नाम मैं पढ़ कर सुना देता हूं। उनके अतिरिक्त जो सदस्य रह गये हैं, वे चुने गये।

सामान्य प्रशासन समिति — इसमें श्री झारखंडे राय और श्री जोरावर वर्मा ने अपने नाम वापस ले लिये और जो बाक़ी १४ सदस्य हैं वे चुने गये।

सार्वजनिक निर्माण विभाग स्थायी समिति (भवन तथा सड़कों की स्थायी समिति) — १५ नामों का नामांकन हुआ था। श्री जोरावर वर्मा ने अपना नाम वापिस ले लिया। बाक़ी १४ सदस्य चुने गये।

वन स्थायी समिति — इसमें १५ सदस्य नामज़द हुये थे। श्री जोरावर वर्मा ने अपना नाम वापिस ले लिया। बाक़ी १४ सदस्य चुने गये।

कृषि तथा पशुपालन स्थायी समिति इसमें १५ नाम नामजद हुये थे। श्री लुत्फ अली खां ने अपना नाम वापिस ले लिया। बाक़ी १४ आदमी चुने गये।

पुलिस स्थायी समिति इसमें १६ नाम आये थे और उनमें से दो नाम वापिस लिये गये। श्री जोरावर वर्मा और श्री तेज बहादुर सिंह ने अपने नाम वापिस ले लिये। बाक़ी १४ चुने गये।

विकास व नियोजन स्थायी समिति इसमें भी १५ सदस्यों की नामजदगी हुई थी। इनमें से श्री झारखंडे राय ने अपना नाम वापिस ले लिया। बाक़ी १४ सदस्य चुने गये।

शरणार्थी समिति इसमें १५ सदस्यों की नामजदगी हुई थी। श्री उल्फत सिंह चौहान ने अपना नाम वापिस ले लिया। बाक़ी १४ सदस्य चुने गये।

श्रम तथा उद्योग स्थायी समितियों से त्याग-पत्र

अब एक सूचना और भी देनी है। श्रम और उद्योग स्थायी समितियों से निम्नलिखित सदस्यों के त्यागपत्र प्राप्त हुये हैं। श्रम समिति से श्री शिवराम पांडेय और श्री जवाहर लाल ने और उद्योग समिति से श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना ने त्यागपत्र भेज दिये हैं।

पुलिस समिति से त्याग-पत्र

श्री सूर्य प्रसाद जी अवस्थी ने पुलिस समिति से अपना इस्तीफा दे दिया है।

इनके इस्तीफे के कारण ४ स्थान रिक्त हो गये हैं और इनके चुनाव के लिये जो कार्यक्रम होगा वह इस प्रकार है :—

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय—२७ मार्च, १९५३ ई० को १ बजे तक।

नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा—२७ मार्च, १९५३ ई० को २ बजे तक।

नाम वापस लेने की अंतिम तिथि और समय—३० मार्च, १९५३ ई० को ३ बजे तक।

निर्वाचन की तिथि, समय तथा स्थान, यदि आवश्यक हुआ तो बाद में घोषित कर दिया जायगा।

आगामी शनिवार को सदन की बैठक करने के सम्बन्ध में सुझाव

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—एक बात अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि मेरा प्रस्ताव है कि सदन अगले शनिवार को भी बैठे ताकि एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स अमेंडमेंट बिल पर विचार हो सके और मैं समझता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस सिलसिले में एक मत होंगे कि हम चकबन्दी के बिल को पास करके उठें लेकिन यह तभी संभव है जब कि हम शनिवार को इस एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स अमेंडमेंट बिल को पास कर दें। अगर हम शनिवार को नहीं बैठते तो वह सोमवार को होगा और फिर उस के बाद चकबन्दी बिल के लिये समय कम रह जायगा और वह पास नहीं हो सकेगा क्योंकि जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि फिलहाल हमारा इरादा यह है कि यह बैठक २ अप्रैल को स्थगित कर दी जाय, एडजर्न कर दी जाय। इसलिये अगर माननीय सदस्यों को स्वीकार हो तो हम शनिवार को भी बैठ जायं।

श्री अध्यक्ष—शनिवार को तो शायद महावीर जयन्ती की छुट्टी है, इसका भी विचार कर के अगर सदन उस दिन बैठना तय करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—तो कल इसको देख लिया जायगा।

श्री चरणसिंह—कल तो नानआफ़िशियल डे है।

श्री अध्यक्ष—तो यह संकल्प सदन की आज्ञा से तो नानआफ़िशियल डे को भी आ सकता है। अच्छा यही होगा कि आप विचार करके कल उसे पेश कर दें।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२५ मार्च, १९५३ ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १ एल० ए०—१९५३—८१० ।